नए आपराधिक क़ानून
तकनीक और पारदर्शिता से त्वरित न्याय

सफल कार्यान्वयन के वृत्तांत

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

'उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन'

नए आपराधिक क़ानून
तकनीक और पारदर्शिता से त्वरित न्याय
सफल कार्यान्वयन के वृत्तांत

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

"तीन नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। यह हमारे संविधान की भावना से प्रेरित है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

–श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"तीन नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं और सरकार न्याय प्रणाली को जन-केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है।"

–श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

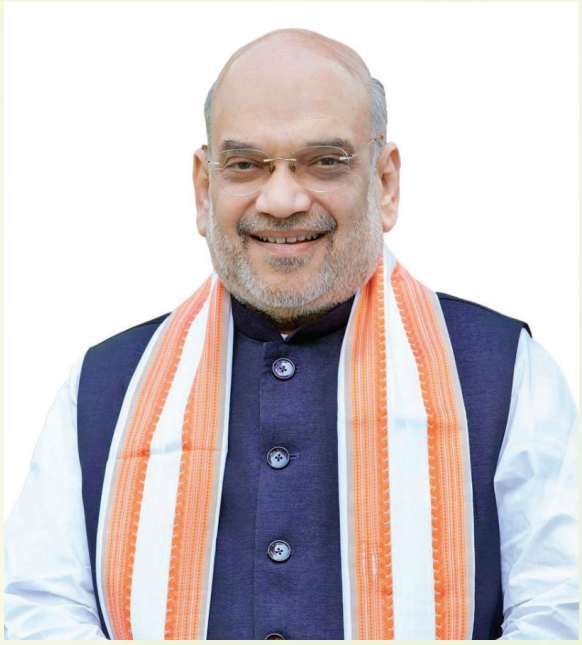

अनुक्रमणिका

वृत्तांत संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पृष्ठ सं.
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	असम	3
3.	असम	5
4.	बिहार	7
5.	बिहार	10
6.	चंडीगढ़	13
7.	चंडीगढ़	15
8.	चंडीगढ़	17
9.	चंडीगढ़	18
10.	छत्तीसगढ़	19
11.	छत्तीसगढ़	21
12.	दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	24
13.	दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	26
14.	गोवा	28
15.	गोवा	30
16.	गुजरात	31
17.	हरियाणा	34
18.	हरियाणा	36
19.	हरियाणा	38
20.	हरियाणा	40
21.	हरियाणा	42
22.	जम्मू और कश्मीर	44
23.	मध्य प्रदेश	46
24.	मध्य प्रदेश	50
25.	मेघालय	53

वृत्तांत संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पृष्ठ सं.
26.	मिजोरम	55
27.	मिजोरम	57
28.	ओडिशा	59
29.	ओडिशा	61
30.	ओडिशा	63
31.	ओडिशा	65
32.	ओडिशा	68
33.	पंजाब	70
34.	पंजाब	72
35.	पुडुचेरी	74
36.	पुडुचेरी	76
37.	पुडुचेरी	78
38.	राजस्थान	80
39.	तमिलनाडु	82
40.	तेलंगाना	84
41.	तेलंगाना	86
42.	तेलंगाना	88
43.	उत्तर प्रदेश	89
44.	उत्तर प्रदेश	91
45.	उत्तर प्रदेश	93
46.	उत्तर प्रदेश	95
47.	उत्तराखंड	97
48.	उत्तराखंड	99
49.	पश्चिम बंगाल	101
50.	पश्चिम बंगाल	104

वृत्तांत संख्या-1 : अंडमान और निकोबार

शीर्षक: *सीमा-पार से अवैध प्रवेश और पहचान की धोखाधड़ी: बीएनएस और विदेशी अधिनियम के तहत अपराध दोहराने वाले बांग्लादेशी अपराधी के लिए स्विफ्ट सजा*

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में, एक बांग्लादेशी अपराधी, नसरीम उर्फ नसीपा, जाली आधार कार्ड के साथ भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए पकड़ी गई। डिजिटल सत्यापन के माध्यम से उसकी असली पहचान उजागर हुई, जिससे 2010 से उसके बार-बार अवैध प्रवेश करने का पता चला। जांच में उसके बांग्लादेशी पासपोर्ट, सिम कार्ड और जाली भारतीय दस्तावेजों का उपयोग करने का पता चला। 29 अप्रैल 2025 को बीएनएस और विदेशी अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए और माननीय न्यायालय ने उसी दिन उसे दोषी ठहराया। उसकी सजा पहले से ही हिरासत में काटे गए समय के अनुरूप दी गई। यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत डिजिटल फोरेंसिक और समन्वित पुलिसिंग का उपयोग करके परिष्कृत सीमा पार पहचान धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाने की भारत की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है।

परिचय:

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बांग्लादेश के एक अपराधी द्वारा जाली पहचान और सीमा पार अवैध धोखाधड़ी का एक जटिल मामला रचा गया था। यह मामला दिखाता है कि कैसे बीएनएस, 2023 (भारतीय न्याय संहिता, 2023) और विदेशियों विषयक अधिनियम ने भारतीय अधिकारियों को रिकॉर्ड समय में अवैध प्रवेश, पहचान धोखाधड़ी और प्रतिरूपण से जुड़े बहुस्तरीय अपराधों को उजागर करने, दस्तावेज इकट्ठा करने और मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया।

घटना:

22 नवंबर 2024 को, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने नसरीम की पहचान के तहत यात्रा कर रही एक संदिग्ध महिला को रोका। सत्यापन के बाद, यूआईडीएआई अधिकारियों ने पुष्टि की कि उसका आधार कार्ड जाली था। महिला ने अंततः अपनी असली पहचान *नसरीम उर्फ नसीपा के रूप में बताई*, जो बांग्लादेशी नागरिक और बार-बार अपराध करने वाली *मुमताज* की बेटी थी।

जांच प्रक्रिया:

पूछताछ में पता चला कि *नसरीम* 2010 से कई बार अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुकी है। उसे पहले दोषी ठहराया गया था और पश्चिम बंगाल से निर्वासित किया गया था (विदेशी अधिनियम के तहत प्रत्यावर्तन के बावजूद, उसने सौरभ नामक एक मानव तस्कर की सहायता से भारत में फिर से प्रवेश किया। उसके मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य ने उसके बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक बांग्लादेशी सिम कार्ड और एयरलाइन टिकटों के लिए बुकिंग विवरण की तस्वीरें दिखाईं।

आगे की जांच में पता चला कि *नसरीम* ने 2016 में अहमदाबाद में एक भारतीय नागरिक से शादी करके और मुंबई में घरेलू सहायिका के रूप में काम करके भारतीय समाज में गहरी पैठ बनाने का प्रयास किया। अपनी असली पहचान को जानबूझकर छिपाने व पहचान दस्तावेज जालसाजी के लिए बीएनएस की धारा 340 (2) और धोखाधड़ी के लिए बीएनएस की धारा 318 (4) और 336 (3) के तहत स्पष्ट आधार स्थापित हुए।

पीएस सी एंड ईओ, दक्षिण अंडमान ने विदेशी अधिनियम और बीएनएस, 2023 के तहत व्यापक कानूनी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और पूरक दोनों आरोप पत्र समय पर दाखिल करने के साथ मामले को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

29 अप्रैल 2025 को विदेशी अधिनियम की धारा 14/14C और बीएनएस के कई प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भारी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार किया, जिससे अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं बची।

दोषसिद्धि और सजा:

ठीक उसी दिन आरोप तय किए गए, 29 अप्रैल 2025 को, माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। चूंकि वह प्रोथरापुर में ओपन डिस्ट्रेस कैंप में प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए सजा को पहले से ही हिरासत की अवधि के साथ जोड़ा गया था, जो आव्रजन और आपराधिक कानून के सख्त अनुपालन को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत परिष्कृत अवैध आव्रजन नेटवर्क से निपटने के लिए भारत की विकसित क्षमता पर प्रकाश डालता है। बार-बार अपराध करने वाले अपराधी द्वारा जाली भारतीय दस्तावेजों के उपयोग को समन्वित डिजिटल, फोरेंसिक और प्रक्रियात्मक कठोरता के माध्यम से उजागर किया गया था। तेजी से आरोप तय किए जाने और उसी दिन दोषसिद्धि से पता चलता है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब वैज्ञानिक सटीकता और गति के साथ जटिल अंतरराष्ट्रीय अपराधों को भी संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

वृत्तांत संख्या-2 : असम

शीर्षक: *कॉपर पाइप चोरी का केस वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ हल किया गया: बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा सुनाई गई*

असम के शिवसागर में, एक ऑफिस एसी यूनिट से तांबे के पाइप से जुड़ी एक छोटी सी चोरी को वैज्ञानिक सटीकता के साथ सुलझाया गया। 20 जुलाई 2024 को सुरक्षा गार्डों द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर, आरोपी पर बीएनएस की धारा 303(2) के तहत आरोप लगाया गया। ई-साक्ष्य एप्लिकेशन का उपयोग करके जब्ती प्रक्रिया का वीडियो-दस्तावेजीकरण किया गया, जिससे गवाहों के पलटने की संभावना समाप्त हो गई। आरोप पत्र 10 दिनों के भीतर दायर किया गया था, और आरोप 37 दिनों में तय किए गए थे। अदालत ने आरोपी को एफआईआर के केवल 89 दिनों के भीतर 6 महीने के साधारण कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत मामूली संपत्ति अपराधों के लिए भी तेज, तकनीक-सक्षम न्याय प्रणाली को उजागर करता है।

परिचय:

असम के शिवसागर में, एक छोटे पैमाने पर चोरी का प्रयास इस बात का एक आदर्श उदाहरण था कि कैसे बीएनएस, 2023 के तहत भारत की सुधारित आपराधिक न्याय प्रणाली छोटे संपत्ति अपराधों के लिए भी तेजी से, वैज्ञानिक रूप से समर्थित न्याय प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग, सख्त प्रक्रियात्मक समय-सीमा और सीमित स्थगन ने यह सुनिश्चित किया कि यह मामला गिरफ्तारी से सजा तक तेजी से आगे बढ़ा।

घटना:

20 जुलाई 2024 को सुबह लगभग 7:00 बजे, दो सुरक्षा गार्डों, *अरिंदम* और *बिष्णु* ने शिवसागर में लेखा कार्यालय के पीछे की तरफ स्थापित एयर कंडीशनर से तांबे के पाइप चोरी करने का प्रयास करने वाले एक संदिग्ध को पकड़ा। गार्डों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी के कब्जे से कुछ टूटे हुए तांबे के पाइप भी बरामद किए गए हैं। एफआईआर को 21 जुलाई 2024 को बीएनएस, 2023 की धारा 303(2) के तहत तुरंत दर्ज किया गया था।

जांच प्रक्रिया:

जांच वैज्ञानिक सावधानी के साथ आयोजित की गई थी। चोरी किए गए तांबे के पाइपों की जब्ती की वीडियोग्राफी नए शुरू किए गए ई-साक्ष्य एप्लिकेशन का उपयोग करके की गई थी, जैसा कि बीएनएसएस

की धारा 105 के तहत अनिवार्य है। इस डिजिटल दस्तावेज ने जब्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया, पक्षद्रोही जब्ती गवाहों के जोखिम को समाप्त किया और अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया।

सुरक्षा गार्डों के गवाहों के बयान तुरंत दर्ज किए गए। बरामद तांबे के पाइप की फोरेंसिक तस्वीरें ली गईं, और हिरासत के रिकॉर्ड की पूरी श्रृंखला को सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया। धारा 230 बीएनएसएस का अनुपालन करते हुए पेशी के 14 दिनों के भीतर आरोपी को केस दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गईं।

एफआईआर दर्ज होने के ठीक 10 दिन बाद 31 जुलाई 2024 को चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें बीएनएसएस प्रक्रियात्मक समयसीमा का अनुशासित पालन किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

27 अगस्त 2024 को, धारा 250 बीएनएसएस द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, धारा 303(2) बीएनएस के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। ट्रायल सख्त फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ा। धारा 346 बीएनएसएस के अनुसार, निर्बाध दैनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए दो से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं थी। वैज्ञानिक जब्ती वीडियोग्राफी, तत्काल गवाह गवाही, और चोरी की सामग्री की पूरी वसूली ने कोई असष्टता नहीं छोड़ी।

दोषसिद्धि और सजा:

18 अक्टूबर, 2024 को, एफआईआर के ठीक 89 दिन बाद, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी की कम उम्र, चोरी की संपत्ति के सीमित मूल्य और उसके पहली बार के अपराध को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्हें 6 महीने के साधारण कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने की चूक में, अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया था।

निष्कर्ष:

यह मामला उदाहरण देता है कि कैसे बीएनएस, 2023 ने मामूली संपत्ति अपराध परीक्षणों को भी कुशल, पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित प्रक्रियाओं में बदल दिया है। 37 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने और केवल 3 महीने के भीतर फैसले सुनाए जाने के साथ, यह सफलता की कहानी तेजी से, पीड़ित-संवेदनशील और वैज्ञानिक रूप से न्याय वितरण के लिए भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है, चाहे अपराध का पैमाना कोई भी हो।

वृत्तांत संख्या-3 :असम

शीर्षक: *डिजिटल जब्ती के माध्यम से मोबाइल चोरी का समाधान: असम ने बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा हासिल की*

असम के जगीरोड में 25 अगस्त 2024 को दो मोबाइल फोन की चोरी के मामले में चार महीने के भीतर ही त्वरित सजा सुनाई गई। आरोपी फोन को बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए। 42 दिनों के भीतर आरोप तय किए गए और न्यूनतम स्थगन के साथ मुकदमा कुशलतापूर्वक समाप्त हुआ। 30 दिसंबर 2024 को आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया। यह मामला दर्शाता है कि कैसे सामुदायिक सतर्कता, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और बीएनएस, 2023 के तहत सुव्यवस्थित परीक्षण प्रक्रियाएं संपत्ति अपराधों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करती हैं।

परिचय:

असम के नखोला ग्रांट गांव में, एक घटना जो घर चोरी के रूप में जो शुरू हुआ, वह बीएनएस, 2023 के तहत एक प्रभावशाली कुशल जांच और सजा का कारण बना। डिजिटल जब्ती तकनीक, सतर्क समुदाय के सदस्यों और अनुशासित न्यायिक प्रक्रियाओं के उपयोग के माध्यम से, यह मामला इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे मामूली संपत्ति अपराध भी अब अनसुलझे नहीं रह सकते हैं।

घटना:

25 अगस्त 2024 को कुछ अज्ञात बदमाश शिकायतकर्ता सबीना के घर घुसे और दो मोबाइल फोन चुरा लिए। एफआईआर 26 अगस्त 2024 को बीएनएस, 2023 की धारा 305 के तहत जागीरोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। अपराध में शुरू में अज्ञात अपराधी शामिल थे, लेकिन तेजी से स्थानीय समन्वय से जल्दी से अपराधी की पहचान की गई।

जांच प्रक्रिया:

पुलिस और सतर्क स्थानीय लोगों के बीच उल्लेखनीय समन्वय के साथ जांच आगे बढ़ी। स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर, गवाहों *सलमान* और *जहीर* ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जब आरोपी *इमरान* ने आसपास के गांवों में चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने आनन-फानन में आरोपी को पकड़ लिया और दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए।

जब्ती प्रक्रिया को नए शुरू किए गए ई-साक्ष्य एप्लिकेशन का उपयोग करके वीडियोग्राफी की गई थी, जैसा कि धारा 105 बीएनएस के तहत अनिवार्य है। इस डिजिटल दस्तावेज ने अचूक साक्ष्य प्रदान

किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब्ती के गवाह मुकर न जाएं और अदालत जब्ती प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी।

बीएनएसएस के तहत सभी प्रक्रियात्मक शासनादेशों का सख्ती से पालन किया गया। वैधानिक अवधि के भीतर 25 सितंबर 2024 को चार्जशीट दायर की गई थी। बीएनएसएस की धारा 230 के तहत, चार्जशीट की प्रतियां आरोपी को उसकी पेशी के 14 दिनों के भीतर आपूर्ति की गईं, जिससे कोई प्रक्रियात्मक देरी नहीं हुई।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

8 अक्टूबर 2024 को धारा 250 बीएनएसएस के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा सटीकता के साथ आगे बढ़ा। धारा 346 बीएनएसएस के अनुसार दो से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं थी, और प्रक्रियात्मक बाधाओं के बिना बहस समाप्त हो गई थी। धारा 258 बीएनएसएस के बाद, अंतिम बहस के 30 दिनों के भीतर निर्णय दिया गया था।

दोषसिद्धि और सजा:

30 दिसंबर 2024 को, एफआईआर दर्ज होने के लगभग 126 दिन बाद, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। *इमरान* को बीएनएस की धारा 305 (ए) के तहत दोषी ठहराया गया और बीएनएस की धारा 331 (4) के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। व 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया व जुर्माना न देने के मामले में अतिरिक्त एक महीने की कारावास भी दी गयी थी। सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत डिजिटल साक्ष्य, सामुदायिक सतर्कता और अनुशासित विचारण समयसीमा के महत्व को प्रदर्शित करता है। केवल चार महीनों में एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक, 42 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने और मुकदमे को कुशलता से पूरा करने के साथ, यह सफलता की कहानी उस सटीकता और गंभीरता को दर्शाती है जिसके साथ भारत की न्याय प्रणाली अपने सुधारित आपराधिक कानून ढांचे के तहत संपत्ति अपराधों को भी संभालती है।

वृत्तांत संख्या-4: बिहार

शीर्षक: *बीएनएस, 2023 के तहत भारत का पहला दोषसिद्धि मामला एक ऐतिहासिक ट्रिपल मर्डर केस 50 दिनों में सुलझा*

भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत भारत में पहली बार सजा सुनाई गई, जिस में, बिहार के सारण में दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की नृशंस हत्या से जुड़े एक भीषण तिहरे हत्याकांड का मामला मात्र 50 दिनों में सुलझा लिया गया और सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 2024 को, आरोपी हिमांशु उर्फ मोहन और जय कुमार द्वारा जाति-हिंसा और अस्वीकृत स्नेह के एक पूर्व नियोजित कृत्य में शालिनी कुमारी, उसकी बहन सभा और उनके पिता की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। जैविक नमूने, डीएनए विश्लेषण, हत्या के हथियार की बरामदगी और शांति देवी की गवाही सहित फोरेंसिक साक्ष्य ने बीएनएस की धारा 103(1), 109(1) और 329(4) के तहत ठोस आरोप तय किए। मुकदमा 13 अगस्त को शुरू हुआ और 3 सितंबर 2024 को दोषसिद्धि के साथ समाप्त हुआ। 5 सितंबर को, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को अतिरिक्त कठोर कारावास और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह ऐतिहासिक मामला भारत में बीएनएस, 2023 के तहत पहला आजीवन कारावास का मामला है, जो डीएनए आधारित जांच और त्वरित अभियोजन द्वारा संचालित है, तथा जघन्य अपराधों में वैज्ञानिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम करता है।

16 जुलाई, 2024 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को बिहार के सारण जिले में एक नृशंस अपराध ने हिलाकर रख दिया। एक माता-पिता और उनकी दो बेटियों पर नींद में हमला किया गया, जिसमें तीन की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन वैज्ञानिक जांच, तेज पुलिसिंग और नए बीएनएस, 2023 ढांचे के उल्लेखनीय प्रदर्शन में, केवल 50 दिनों के भीतर न्याय दिया गया, जो नए कानून के तहत देश में इस तरह की पहली सजा है।

16/17 जुलाई 2024 की रात शांति देवी (शिकायतकर्ता), अपने पति रामेश्वर सिंह और दो बेटियों शालिनी कुमारी (उम्र 17 वर्ष) और सभा कुमारी (उम्र 15 वर्ष) के साथ रात का खाना खाने के बाद छत पर सो रही थीं। रात 02 बजे के करीब, दो युवक (आरोपी) शिकायतकर्ता के घर में ईंट की दीवार की मदद से छत पर चढ़ गए। इस बीच, शिकायतकर्ता की बेटी शालिनी कुमारी जाग गई और आरोपियों में से एक मोहन उर्फ हिमांशु कुमार गांव और पोस्ट रसूलपुर जिला सारण की पहचान उसके द्वारा की गई। दूसरे आरोपी जय कुमार की भी उसने पहचान की। उसने छत पर उनके अनचाहे आगमन का विरोध किया। शालिनी का विरोध सुनकर मोहन

कुमार को गुस्सा आ गया और उसने जय कुमार की मदद से शालिनी कुमारी के शरीर पर धारदार हथियार से लगातार वार करना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना को देखते हुए जब शांति देवी (शालिनी की मां) शालिनी को बचाने गई तो उसी चाकू से वार कर दिया गया जिससे उसका बायां हाथ घायल हो गया और वह वहां से भागकर छत से नीचे उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस घटना को देखते हुए, शिकायतकर्ता का पति और उसकी छोटी लड़की सभा कुमारी, जो एक ही छत पर सो रही थी, शालिनी को बचाने के लिए गई, जब मोहन और जय कुमार ने दोनों को एक ही चाकू से वार किया, जिससे उनकी छाती और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर घातक घाव हो गए। नतीजतन, तीनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद आरोपी वारदात स्थल से फरार हो गए। शिकायतकर्ता की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मौके पर आए ग्रामीणों ने बिहार पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सारण पुलिस ने मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट विधिवत बनाई। उन्होंने इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और घायल शिकायतकर्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसका तुरंत इलाज किया गया।

एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य/नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना भेजा गया। इस संबंध में शिकायतकर्ता शांति देवी के फर्दबयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 01- मोहन 2- जय कुमार दोनों गांव और पोस्ट रसूलपुर, जिला- सारण में रसूलपुर पुलिस स्टेशन दिनांक-17/07/24 धारा 103(1)/109(1)/329(4)/3(5) भारतीय न्याय संहिता।

घटना का मुख्य कारण यह था कि आरोपी नंबर 01 मोहन कुमार रामेश्वर सिंह की दूसरी बेटी शालिनी कुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन शालिनी कुमारी मोहन कुमार के दूसरी जाति से होने और परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों की नाराजगी के डर से उससे शादी नहीं करना चाहती थी। दुखी होकर, उसने एक योजना बनाई कि वह लड़की के घर जाएगा और शालिनी को आखिरी बार अपनी शादी का प्रस्ताव देगा और अगर उसने फिर से मना कर दिया, तो वह पूरे परिवार को मार डालेगा। योजना के अनुसार, 12 जुलाई, 2024 को, वह ओडिशा (कार्यस्थल) से रसूलपुर में अपने घर आया और घर आने के बाद, उसने शालिनी से मिलने की कई बार कोशिश की लेकिन उससे मिल नहीं सका। गुस्से में आरोपी मोहन कुमार ने रसूलपुर स्थानीय बाजार से 300 रुपये में एक धारदार चाकू खरीदा और पहले की योजना के अनुसार, वह शालिनी कुमारी के पूरे परिवार को मारने के लिए अपने दोस्त जय कुमार को साथ ले गया। दोनों पीछे की दीवार पर चढ़कर छत पर चढ़ गए जिससे इस जघन्य अपराध को आगे बढ़ाया जा सके।

घटना के 01 घंटे के भीतर, रसूलपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन, सारण के आरोपी मोहन के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय, मोहन के पैर पर ताजा खून और हाथ पर ताजा घाव के साथ पाया गया था। उसके शरीर की विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। दूसरे आरोपी जय कुमार पुत्र मुनिल राम गांव और पोस्ट रसूलपुर जिला सारण को आरोपी के इशारे पर गिरफ्तार किया गया। मोहन कुमार की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो पता चला कि वह अपने खून से सने कपड़े, सफेद शर्ट और नीली जींस

जो उसने अपराध को अंजाम देने के समय पहनी थी को अपने घर में लकड़ी के चूल्हे की मदद से जलाकर सबूतों को नष्ट कर रहा था। शर्ट पूरी तरह से उसके द्वारा जला दी गई थी, लेकिन आधे जले हुए जींस पैंट को पुलिस ने उसके घर से बरामद किया था, और उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया गया था। आरोपी मोहन कुमार और जय कुमार द्वारा दी गई जानकारी पर, अपराध में इस्तेमाल चाकू पास के सूखे कुएं से बरामद किया गया था। दोनों के पास से मोबाइल फोन, कपड़े और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जब्ती की औपचारिक सूची तैयार कर जब्त कर ली गई। साथ ही, फोरेंसिक टीम के विशेषज्ञों द्वारा कुल 18 नमूने एकत्र किए गए और अन्य सभी सबूतों को जब्त कर त्वरित जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना भेजा गया। जांच रिपोर्ट (जैविक, सीरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट) विधिवत प्राप्त की गई और विचारण के दौरान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय ने 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रायल शुरू किया और ट्रायल करने के बाद, 03 सितंबर 2024 को, दोनों आरोप-पत्रित आरोपियों को धारा 103(1)'I09(1)329(4) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। 05 सितंबर 2024 को, मामले के 50वें दिन, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारण ने इस मामले के संबंध में सारण पुलिस द्वारा की गई जांच की प्रशंसा करते हुए इसे सही माना और दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

डीएनए एसटीआर विश्लेषण के माध्यम से नए कानूनों को लागू करने के बाद बिहार का पहला फैसला।

दो अभियुक्तों को दी गई सजा:

1. धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25000 रुपये का जुर्माना।
2. धारा 109 (1) के तहत, 06 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक दोषी को 10000/- रुपये का जुर्माना ।
3. धारा 329 (4) के तहत, 06 महीने का कठोर कारावास और प्रत्येक दोषी को 5000 रुपये का जुर्माना ।

यह पहला मौका है जब ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों को देश में लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

फोरेंसिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और चिकित्सा अधिकारी और गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई थी।

वृत्तांत संख्या – 5 : बिहार

शीर्षक: *सौतेली क्रूर माँ द्वारा बच्चे की हत्या: बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित न्याय*

13 अगस्त 2024 को बिहार के गोपालगंज जिले के पंडितपुर गांव से छह वर्षीय बालक लापता हो गया। कुछ घंटों बाद, उसका शव पास के एक खेत में आंशिक रूप से दबा हुआ मिला, जिस पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान थे। जांच में गहरी घरेलू दुश्मनी का पता चला - उसकी सौतेली माँ को उसकी बहन ने उसकी मौत से कुछ समय पहले बच्चे को घसीटते हुए देखा गया था। सिधवलिया पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 103(3)(5) और 238(3)(5) के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। फोरेंसिक साक्ष्य, मोबाइल ट्रैकिंग, नाबालिग गवाहों की गवाही कबूलनामे ने अपराध की पुष्टि की। दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई और मार्च 2025 में मुकदमा शुरू हुआ। 27 मार्च 2025 को शर्मीन को दोषी ठहराया गया और ₹1 लाख जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला बाल हत्या के मामलों में बीएनएस, 2023 के प्रभाव का उदाहरण है, जिसमें मात्र 7 महीनों के भीतर त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य और सफल अभियोजन को दर्शाया गया है।

2024 में अगस्त की एक उमस भरी दोपहर को, बिहार के गोपालगंज जिले के शांत गाँव पंडितपुर में, छह वर्षीय एक हंसमुख और जिज्ञासु छोटा लड़का, हमेशा की तरह अपने स्कूल से रवाना हुआ। उस दिन, पहले की तरह, वह अपनी बड़ी बहन और चचेरे भाइयों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन जब उसकी माँ घर लौट आई और उसे उसका बेटा घर पर नहीं मिला, तो उसने महसूस किया कि उसके सीने में भय का एक अपरिचित दुःख बस गया है।

उसका नाम सावित्री देवी था, और उसने अपने पति तौज़ान बलिया के पुनर्विवाह के बाद अपने बेटे और उसकी तीन बहनों को अपने दम पर पाला था। जिस महिला से उन्होंने शादी की, वह शरमीन निशा थी, जो उसी घर में रहती थी और समय के साथ सावित्री के बच्चों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी।

13 अगस्त को, जैसे ही सूरज ढलने लगा और बालक लापता रहा, सावित्री ने अपनी बेटियों से पूछताछ शुरू की। सबसे बड़ी, 15 वर्षीय बेटी ने घबराते हुए बताया कि उनकी सौतेली मां, ने उस दिन पहले उसे 10 रुपये दिए थे और उसे एक दुकान से फूली हुई बर्फ खरीदने के लिए भेजा था। जब वह लौटी तो भाई कहीं नजर नहीं आया। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि निशा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।

एक और बच्ची, 7 वर्षीय बेटी ने भयावह आतंक को

जोड़ा। उसने कहा कि उसने निशा को शॉल में लिपटे बालक को अपनी चाची नुसरत नूर्न के साथ पीछे के खेतों की ओर घसीटते हुए देखा था। परिजनों की चिंता दहशत में बदल गई।

गांव में तलाश शुरू हो गई। रात होने तक, लड़के के बेजान शरीर को एक कृषि क्षेत्र के कोने में खोजा गया था, आंशिक रूप से दफन किया गया था और झाड़ियों और टाट के नीचे छुपाया गया था। उसके छोटे फ्रेम में गर्दन के चारों ओर दिखाई देने वाले निशान थे – गला घोंटने के संकेत। उसे मार दिया गया था और उसी मिट्टी में छोड़ दिया गया था जिसके आसपास वह कभी खेला करता था।

आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। कुछ घंटों के भीतर, नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103(3)(5) और 238(3)(5) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया, जो एक नाबालिग पीड़िता और पूर्व नियोजित हत्या से जुड़े अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

जांच तेजी से आगे बढ़ी। अगली सुबह गोपालगंज एफएसएल की फोरेंसिक टीम अपराध स्थल पर पहुंची। लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम में गला घोंटकर मौत की पुष्टि हुई। कई चोट, नाखूनों से घर्षण के निशान, और गर्दन की मांसपेशियों की भीड़ ने जानबूझकर गला घोंटने का संकेत दिया - दुर्घटना या बीमारी नहीं।

पूछताछ के दौरान ग्रामीणों और परिजनों ने सौतेली मां और सावित्री देवी के बच्चों के बीच बढ़ती दुश्मनी और ईर्ष्या का खुलासा किया। कई बच्चों ने गवाही दी कि निशा अक्सर बालक के साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसे बोझ और उपद्रव कहती थी।

मोबाइल ट्रैकिंग डेटा में निशा और नुसरत नूर को मौत के अनुमानित समय के आसपास मैदान के पास पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें एक बंडल की तरह दिखने वाली चीज़ को लपेटकर यार्ड में घसीटते हुए ले जाते हुए देखा।

अपने शुरुआती इनकार के बावजूद, निरंतर पूछताछ और बढ़ते सबूतों के तहत, निशा टूट गई। उसने एक विस्तृत स्वीकारोक्ति में अपराध स्वीकार किया जो जांचकर्ताओं द्वारा पुनर्निर्मित अनुक्रम से मेल खाता था। उसने अपनी बहन की मदद से इस अपराध की योजना बनाई थी, जो नाराजगी और सावित्री के बच्चों को परिवार की वंशावली से खत्म करने की इच्छा से प्रेरित थी।

कुछ दिनों के भीतर, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य, चश्मदीद गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट की सहायता से घटना के दो महीने के भीतर एक व्यापक आरोप पत्र दायर किया।

परीक्षण मार्च 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ। मृतक की मां की दो नाबालिग बेटियों सहित अभियोजन पक्ष के पांच प्रमुख गवाहों ने लगातार और विश्वसनीय गवाही दी। चिकित्सा अधिकारी डॉ० सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक साक्ष्य की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। बचाव पक्ष द्वारा नाबालिग गवाहों को बदनाम करने और मौत के कारण को चुनौती देने के प्रयासों के बावजूद, चिकित्सा निष्कर्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दृढ़ रहे।

न्यायाधीश ने मुकदमे में "लास्ट सीन टुगेदर" सिद्धांत के उपयोग पर ध्यान दिया – यह तथ्य कि आरोपियों को मृत पाए जाने से ठीक पहले बच्चे के साथ आखिरी बार देखा गया था, उनकी भागीदारी स्थापित करने में मदद मिली। अदालत ने निष्कर्ष निकाला

कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपराध साबित कर दिया है।

27 मार्च, 2025 को, अदालत ने अपना फैसला सुनाया: शर्मीन निशा को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 103 (3) (5) के तहत दोषी पाया गया - गंभीर परिस्थितियों में बच्चे की हत्या - और ₹1 लाख के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, भुगतान न करने पर उसे छह महीने के अतिरिक्त कारावास की चेतावनी दी गई थी।

दोषसिद्धि न केवल अपराध की जघन्य प्रकृति के लिए बल्कि नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच की गति और प्रभावशीलता के लिए भी उल्लेखनीय थी। फोरेंसिक विज्ञान, डिजिटल लोकेशन ट्रैकिंग, नाबालिग गवाह की गवाही और त्वरित पुलिस कार्रवाई के उपयोग ने प्रशिक्षण, अंतर-एजेंसी समन्वय और कानूनी प्रावधानों के उचित उपयोग के मूल्य का प्रदर्शन किया।

यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत दोषसिद्धि देखने वाले बिहार के पहले कुछ मामलों में से एक था – न्याय वितरण के एक नए युग का प्रतीक जहां बच्चों के खिलाफ अपराधों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है, और डिजिटल और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से मुकदमे में देरी को कम किया जाता है।

वृत्तांत संख्या-6 : चंडीगढ़

शीर्षक: *चोरी हुआ स्कूटर, स्विफ्ट सजा: बीएनएस-2023 के तहत केवल 111 दिनों में सजा*

चंडीगढ़ में 24 सितंबर 2024 को नेहा के स्कूटर की चोरी कुशल शहरी पुलिसिंग में एक केस स्टडी बन गई। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी हुई। बरामदगी और कबूलनामे के साथ एक मजबूत मामले ने जल्दी से आरोप तय करने और मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त किया। 15 जनवरी 2025 को, दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें पहले से ही सजा सुनाई गई। 111 दिनों के भीतर समाप्त हुआ यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीएनएस, 2023 पुलिस और अदालतों को शहरी चोरी की घटनाओं को तेजी और सटीकता से संभालने का अधिकार देता है।

परिचय:

चंडीगढ़ की निवासी नेहा *के लिए,* एक नियमित दिन जल्द ही अप्रत्याशित निराशा में बदल गया जब उसने पाया कि उसका स्कूटर अपने सामान्य पार्किंग स्थल से गायब है। जो आसानी से एक लंबी जांच में बदल सकता था, वह बीएनएस, 2023 ढांचे के तहत पुलिसिंग सटीक और त्वरित न्याय का एक उदाहरण बन गया।

घटना:

24 सितंबर 2024 को *नेहा ने* अपने दोपहिया वाहन की चोरी की सूचना देते हुए एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवतत कर दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अच्छी तरह से स्थापित डिजिटल निगरानी प्रणालियों से जांच टीम ने तेजी से आसपास के सीसीटीवी नेटवर्क से लीड एकत्र की। कुछ दिनों के भीतर, पुलिस ने दो संदिग्धों अमित और *अनीश की पहचान की,* दोनों को पहले की गई छोटी-छोटी चोरियों के लिए भी जाना जाता है।

जांच प्रक्रिया:

खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और *नेहा की चोरी की* गई स्कूटर को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों संदिग्धों ने अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। जांचकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक फोरेंसिक तस्वीरें, जब्ती मेमो और जब्ती दस्तावेज संकलित किए। वास्तविक समय सीसीटीवी फुटेज ने घटनाओं की श्रृंखला की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएनएसएस-2023 के तहत प्रक्रियात्मक समयसीमा के अनुसार, बिना देरी के चार्जशीट दायर की गई थी।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

अदालत ने आरोप पत्र की समीक्षा की और तुरंत

आरोप तय किए। इसमें कोई जटिल कानूनी देरी शामिल नहीं होने के कारण, मुकदमा कुशलता से आगे बढ़ा। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने दैनिक सुनवाई सुनिश्चित की, इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए, जब्ती मेमो की समीक्षा की, बरामदगी साक्ष्य और सत्यापित स्वीकारोक्ति सुनिश्चित की।

दोषसिद्धि और सजा:

अदालत ने एफआईआर दर्ज होने के सिर्फ 111 दिनों के भीतर 15 जनवरी 2025 को अपना फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। अपराध की प्रकृति और न्यायिक हिरासत के दौरान पहले से ही बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पहले से ही गुजारी गई अवधि के अनुरूप साधारण कारावास की सजा सुनाई। जवाबदेही दर्शाने के लिए जुर्माना भी लगाया गया।

निष्कर्ष:

एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक, इस मामले को 3 महीने और 21 दिनों की उल्लेखनीय छोटी अवधि के भीतर हल किया गया था। चोरी की संपत्ति की तेजी से वसूली, आरोपों का त्वरित निर्धारण, और तेजी से ट्रैक किया गया परीक्षण इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीएनएस, 2023 ने कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका को गंभीरता, दक्षता और देरी के लिए शून्य सहिष्णुता के साथ मामूली चोरी के मामलों को संभालने का अधिकार दिया है। यह मामला भारत के विकसित कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में शहरी अपराध जांच के लिए एक मॉडल है।

वृत्तांत संख्या-7 : चंडीगढ़

शीर्षक: *सार्वजनिक उपद्रव को तुरंत संभाला गया - बीएनएस और पीपी अधिनियम के तहत 18 दिनों की सजा सुनाई*

16 सितंबर 2024 की रात को चंडीगढ़ पुलिस ने मुकेश नाम के एक व्यक्ति को शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के आरोप में पकड़ा था। 17 सितंबर 2024 को आईटी पार्क पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 की धारा 355 और पंजाब पुलिस अधिनियम की धारा 68(i)(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच 18 दिनों के भीतर पूरी कर ली गई थी। 4 अक्टूबर 2024 को माननीय एसीजेएम, यूटी चंडीगढ़ की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे ₹10,000 के निजी मुचलके और ₹2,000 के कोर्ट मुकदमे के भुगतान के साथ 6 महीने की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। यह मामला नए कानूनी शासन के तहत सार्वजनिक उपद्रव अपराधों के लिए त्वरित न्यायिक प्रतिक्रिया को उजागर करता है, जो सार्वजनिक आचरण में अनुशासन को मजबूत करता है।

परिचय:

सार्वजनिक स्थान शांति के लिए होते हैं, लेकिन 16 सितंबर 2024 की रात को एक नशे में धुत व्यक्ति के व्यवहार ने चंडीगढ़ के आईटी पार्क क्षेत्र की शांति भंग कर दी। त्वरित पुलिस कार्रवाई और एक त्वरित न्यायिक प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि इस तरह के कृत्यों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

रात्रि

गश्ती ड्यूटी के दौरान एसआई चंदन वर्मा और उनकी टीम ने गांव किशनगढ़, चंडीगढ़ से 36 वर्षीय मुकेश को शराब पीने और सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचाने के आरोप में पकड़ा। एफआईआरको आईटी पार्क पुलिस स्टेशन में 17 सितंबर 2024 को बीएनएस की धारा 355 और पंजाब पुलिस अधिनियम की धारा 68 (i) (बी) के तहत दर्ज किया गया था।

जांच प्रक्रिया: बीएनएसएस में निर्धारित प्रक्रियात्मक अनुशासन का सख्ती से पालन करते हुए जांच केवल 18 दिनों में पूरी की गई थी। बयान दर्ज किए गए और मुकेश के आचरण को स्पष्टता के साथ प्रलेखित किया गया, जिससे अदालत के लिए कोई अस्पष्टता नहीं बची।

आरोप तय किए गए और परीक्षण प्रक्रिया:

एसीजेएम, यूटी चंडीगढ़ की माननीय अदालत में मुकदमा तेजी से शुरू हुआ। अपराध की प्रकृति और अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति को देखते हुए, कार्यवाही बिना किसी देरी के समाप्त हो गई।

दोषसिद्धि और सजा:

4 अक्टूबर 2024 को आरोपी को दोषी ठहराया गया और 6 महीने की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। उन्हें 10,000 रुपये का व्यक्तिगत परिवीक्षा बांड प्रस्तुत करने और अदालती मुकदमेबाजी के आरोपों के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

निष्कर्ष:

यह मामला इस विचार को पुष्ट करता है कि नए आपराधिक कानून के तहत जवाबदेही के लिए कोई अपराध बहुत छोटा नहीं है। सार्वजनिक उपद्रव को गंभीरता और कानूनी सटीकता के साथ संभालने के लिए चंडीगढ़ का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्थान सुरक्षित और नागरिक रहें, जो बीएनएस, 2023 के तहत न्याय की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।

वृत्तांत संख्या-8 : चंडीगढ़

शीर्षक: *डिजिटल साक्ष्य दोषसिद्धि को सुरक्षित करता है - चोरी की संपत्ति वसूली मामला 151 दिनों में समाप्त हो गया*

चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में चोरी के एक मामले में चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी का दस्तावेजीकरण करने के लिए ई-साक्ष्य जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। सिंक किए गए वीडियो-फोटोग्राफिक साक्ष्य ने अदालती कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। मुकदमा सिर्फ 19 दिनों में पूरा हो गया और एफआईआर दर्ज होने के 151 दिनों में दोषसिद्धि हो गई। आरोपी को 2 महीने की साधारण कैद की सजा मिली। यह मामला दर्शाता है कि बीएनएस के तहत ई-साक्ष्य कैसे तेजी से और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करता है।

परिचय:

चंडीगढ़ से संपत्ति चोरी का एक मामला इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गया कि कैसे डिजिटल साक्ष्य और ई-साक्ष्य जैसे तकनीकी एकीकरण बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से न्याय में मदद करते हैं।

घटना:

एफआईआर नंबर 650 दिनांक 21 जुलाई 2024 को इंडस्ट्रियल एरिया पीएस, चंडीगढ़ में धारा 303 (2) और बाद में 317 (2) बीएनएस के तहत संपत्ति की चोरी के बाद दर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

खोज, जब्ती और बरामदगी को ई-साक्ष्य वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था। समन्वय किए गए डिजिटल रिकॉर्ड ने अदालत में एक प्रभावशाली घटनाक्रम का निर्माण किया।

आरोप तय किए गए और परीक्षण प्रक्रिया: मुकदमा तुरंत शुरू हुआ, और 19 दिनों के भीतर, अदालत ने दुर्लभ प्रक्रियात्मक दक्षता का प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी।

दोषसिद्धि और सजा:

अदालत ने आरोपी को 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसमें एफआईआर की तारीख से केवल 151 दिनों में फैसला सुनाया गया।

निष्कर्ष:

यह मामला दिखाता है कि कैसे साक्ष्य का डिजिटल समन्वय अब आपराधिक कार्यवाही में मानक बन रहा है, जिससे त्वरित और निर्णायक फैसले सक्षम हो रहे हैं।

वृत्तांत संख्या-9 : चंडीगढ़

शीर्षक: *चंडीगढ़ में एकसाल के सश्रम कारावास की सजा*

चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर (धारा 304(2), 317(2), 3(5) बीएनएस) के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े एक मामले में मात्र 18 दिनों में दोषसिद्धि हासिल की। ई-साक्ष्य का उपयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कुशलतापूर्वक एकत्र किए गए। 28.11.2024 को आरोप तय किए गए और एक ही दिन में 11 गवाहों ने गवाही दी। दोनों आरोपियों को 1 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला त्वरित न्याय प्रदान करने में डिजिटल साक्ष्य और प्रक्रियात्मक अनुशासन की शक्ति को उजागर करता है।

चंडीगढ़ में गंभीर आरोपों से जुड़े एक आपराधिक मामले को बीएनएस कानूनी व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और न्यायिक अनुशासन की बदौलत रिकॉर्ड गति से सुलझाया गया।

घटना:

13नवंबर 2024 को पीएस-17, चंडीगढ़ में धारा 304(2), 317(2), और 3(5) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

जांच टीम ने साक्ष्य के डिजिटल संग्रह के लिए ई-साक्ष्य मंच का उपयोग किया। आरोप 28 नवम्बर को तय किए गए थे और न्यायालय द्वारा तत्परता से 30 नवम्बर को एक ही दिन में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

आरोप तय किए गए और परीक्षण प्रक्रिया:

मजबूत डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के साथ अभियोजन पक्ष की सहायता के साथ मामला तेजी से आगे बढ़ा।

केवल 18 दिनों के भीतर, दोनों आरोपियों को मौद्रिक जुर्माना के साथ 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष:

यह मामला तकनीक-सक्षम साक्ष्य प्रबंधन द्वारा संचालित कई गवाहों और गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में भी समय पर न्याय देने के लिए बीएनएस और बीएनएसएस ढांचे की क्षमता को रेखांकित करता है।

वृत्तांत संख्या - 10 : छत्तीसगढ़

शीर्षक: *जंगल क्राइम टू कोर्ट रूम जस्टिस: नाबालिग रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा*

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 23 जुलाई 2024 को जंगल में टहल रही 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया। 25 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने तत्परता और सावधानी से काम करते हुए फोरेंसिक, मेडिकल और साक्ष्य एकत्र किए। 20 सितंबर को आरोप तय किए गए और 8 फरवरी 2025 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 198 दिनों में सजा का संकल्प इस बात पर जोर देता है कि कैसे बीएनएस, 2023 और पॉक्सो अधिनियम नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों में संवेदनशील, वैज्ञानिक और त्वरित न्याय प्रदान कर सकते हैं।

परिचय:

महासमुंद जिले के कोमाखान के शांत वातावरण में, एक नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक भयानक अपराध ने समुदाय की अंतरात्मा को हिला दिया। इसके बाद बीएनएस, 2023 और पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत त्वरित, वैज्ञानिक और पीड़ित-केंद्रित जांच का एक उत्तम उदाहरण था।

घटना:

23 जुलाई 2024 को जंगल से होते हुए घर लौटते समय अवदेश ने एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया। उसकी मां ने 25 जुलाई 2024 को कोमाखान पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप धारा 64 (2) (एफ), 351 (2) बीएनएस और धारा 4 (2), 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, पीड़िता का बयान तुरंत दर्ज किया गया, फोरेंसिक परीक्षाएं पूरी हुईं और अपराध स्थल का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। सभी सबूतों को सावधानीपूर्वक संकलित किया गया था, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ित और गवाह की गवाही और रेखाचित्र शामिल थे। चार्जशीट महज 53 दिनों के भीतर दायर की गई थी।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

20 सितंबर 2024 को आरोप तय किए गए थे।

परीक्षण फास्ट-ट्रैक आधार पर आयोजित किया गया था।

दोषसिद्धि और सजा:

8 फरवरी 2025 को, माननीय न्यायालय ने *अवदेश* को दोषी ठहराया, बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और ₹1,000 का जुर्माना लगाया।

निष्कर्ष:

एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक की पूरी यात्रा 198 दिनों में पूरी हुई, जिसमें 57 दिनों के भीतर आरोप तय किए गए और ट्रायल 141 दिनों में पूरा हुआ. यह मामला वैज्ञानिक जांच और नए कानूनों के तहत त्वरित सुनवाई के माध्यम से एक पीड़ित के साहस को त्वरित न्याय में बदलने की प्रणाली की क्षमता का उदाहरण है।

वृत्तांत संख्या- 11 : छत्तीसगढ़

शीर्षक: *छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक क्रूर हत्या के मामले में वैज्ञानिक जांच और दोषसिद्धि कैसे सुनिश्चित की, इसकी कहानी*

बेमेतरा में एक क्रूर हत्या का वैज्ञानिक तरीकों से पर्दा उठाया गया। पीड़ित, मिनेश यादव की हत्या संजू मंडावी ने की थी, जिसे बाद में बीएनएस के तहत दोषी पाया गया। डिजिटल साक्ष्य न होने के बावजूद, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पीड़ित के भतीजे की प्रत्यक्षदर्शी गवाही और हत्या के हथियार पर खून की फोरेंसिक पुष्टि ने आजीवन कारावास की सजा दिलाई। अदालत ने मामले के पेशेवर संचालन की प्रशंसा की, जिसने वैज्ञानिक पुलिसिंग के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया।

16 जुलाई, 2024 की शाम को, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा शहर में हिंसा की एक भयावह घटना देखी गई, जो अंततः भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत वैज्ञानिक पुलिसिंग के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करेगी। एक साधारण पड़ोस में, 36 वर्षीय मिनेश यादव, जिसे नीनू के नाम से भी जाना जाता था, को ईंट से पीट-पीटकर मार डाला गया था, उसका शव मुकेश डेली नीड्स स्टोर के पास एक खाली प्लॉट के बगल में पड़ा हुआ था। इसके बाद कुशल, वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच का प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण नए लागू आपराधिक कानून ढांचे के तहत दोषसिद्धि हुई।

अपराध और पहला सुराग

उस दिन प्रत्यक्षदर्शियों ने आखिरी बार मिनेश को बेरला निवासी स्थानीय जय मुकेश उर्फ संजू मंडावी के साथ देखा था। उस शाम बाद में, मिनेश के भतीजे रिशान यादव ने रामपुर खंड से घर लौटते समय, संजू को अपने चाचा के सिर पर ईंट से बार-बार वार करते देखा। हैरान और भयभीत केशव घर पहुंचे और अपने बड़े भाई हेतन यादव को सूचित किया, जो एक पड़ोसी के साथ मौके पर पहुँचा। वहाँ उन्होंने मिनेश को खून से लथपथ पाया और उसके सिर पर ईंट रखी हुई थी।

रिपोर्ट मिलने पर, बेरला पुलिस स्टेशन ने एक मुक़द्दमा दर्ज किया और बीएनएस (हत्या) की धारा 103 (1) के तहत अपराध शुरू किया । अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था, और पूछताछ, पोस्टमॉर्टम और सबूत संग्रह के लिए तत्काल कदम उठाए गए थे।

वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह: कार्रवाई में फोरेंसिक

जांच का नेतृत्व कर रहे सब-इंस्पेक्टर मयंक मिश्रा ने अपराध स्थल का विस्तार से दस्तावेजीकरण किया। "नेहा" लेबल वाली दो ईंटें मिलीं- एक पीड़ित के सिर के ऊपर, और एक शव के बगल में। दोनों के

पास खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिया गया। उसी रात मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

चिकित्सा अधिकारी ने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पुष्टि की कि मिनेश की खोपड़ी पर कई कुंद बल की चोटें आई थीं । उनकी लौकिक, पश्चकपाल और पार्श्विका हड्डियां टूट गई थीं, और उन्हें भारी आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखित में मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं किया गया था, गवाही के दौरान, चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की कि चोटों की प्रकृति हत्या थी, आकस्मिक नहीं।

मामले को और मजबूत करने के लिए, जांच अधिकारी ने जब्त वस्तुओं – ईंटों और आरोपी के कपड़ों सहित – फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) ने इन वस्तुओं पर मानव रक्त की मौजूदगी की पुष्टि की है।

आरोपी और उसका बचाव

मुख्य आरोपी ओम मुकेश उर्फ संजू मंडावी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने शुरू में संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन धारा 27 की जांच (साक्ष्य अधिनियम) के दौरान, उसने एक ईंट का उपयोग करके मिनेश की हत्या करने की बात कबूल की और बताया कि उसने अपने खून से सने कपड़े कहां छिपाए थे। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर एक काली शर्ट और डेनिम जींस बरामद की, दोनों खून से सने हुए थे।

इन घातक तथ्यों के बावजूद, आरोपी ने बाद में अपने कबूलनामे को वापस ले लिया, यह दावा करते हुए कि उसे झूठा फंसाया गया था। धारा 351 बीएनएसएस के तहत अपने बयान के दौरान, उन्होंने बार-बार जवाब दिया, "मुझे नहीं पता" या "यह गलत है" हत्या और सबूतों के बारे में पूछे गए सवालों के लिए।

प्रत्यक्षदर्शी गवाही: आधारशिला

अभियोजन पक्ष ने दो प्रमुख चश्मदीद गवाहों पर भरोसा किया:

1. केशव यादव – उसने हत्या को होते देखा और तुरंत परिवार को सूचित किया।
2. साईराम @ जीतू - मामले में एक विवादास्पद व्यक्ति। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पीड़ित ने पहले संजू पर हमला किया, लेकिन उनके बयान विरोधाभासी थे, और उन्होंने शराब पीने के दौरान दोनों पुरुषों के साथ होने की बात स्वीकार की।

बचाव पक्ष द्वारा केशव को मृतक के रिश्तेदार के रूप में बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद, अदालत ने कहा कि अकेले संबंध एक गवाह को अविश्वसनीय नहीं बनाता है, खासकर जब चिकित्सा, फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है।

बचाव पक्ष का तर्क और न्यायिक तर्क

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि:

- पोस्टमार्टम में स्पष्ट रूप से "हत्या की मौत" का उल्लेख नहीं किया गया था
- केशव एक संबंधित गवाह था और संभवतः पक्षपाती था
- तारीखों और मामूली विवरणों में विरोधाभास थे

हालांकि, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि:

- भरोसेमंद पाए जाने पर रिश्तेदारों के प्रत्यक्षदर्शी बयान स्वीकार्य हैं।

- एफआईआर में देरी या स्मृति में भिन्नता आघात के तहत प्राकृतिक मानव व्यवहार है।
- फोरेंसिक साक्ष्य निर्णायक हैं, खासकर जब एक स्वीकारोक्ति और हथियारों/कपड़ों की बरामदगी द्वारा समर्थित हो।

फैसला: एक वैज्ञानिक दृढ़ विश्वास

न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा ने ओम मुकेश उर्फ संजू को धारा 103 (1) बीएनएस के तहत दोषी पाया। उन्हें सजा सुनाई गई थी:

- आजीवन कारावास (कठोर)
- ₹5,000 जुर्माना, और डिफ़ॉल्ट में, 6 महीने का साधारण कारावास

जबकि अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग की, अदालत ने फैसला सुनाया कि मामला "दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता है, हालांकि यह स्वीकार किया कि यह कृत्य "बर्बर और निंदनीय" था।

फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मानव रक्त की एफएसएल पुष्टि, सीआरपीसी के तहत मेमो स्टेटमेंट, पोस्टमॉर्टम विवरण और गवाहों की गवाही सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण उचित संदेह से परे दोषसिद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण था।

महत्व और सीख

यह मामला कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता-2023 का एक मॉडल उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे:

1. फोरेंसिक विज्ञान और साक्ष्य-आधारित जांच ने व्यक्तिपरक गवाह गवाही पर निर्भरता कम कर दी है।
2. बीएनएसएस की धारा 180 और 176 के तहत मेमो स्टेटमेंट और अपराध दृश्य प्रलेखन अभियोजन पक्ष के तर्कों को शक्तिशाली रूप से पूरक कर सकते हैं।
3. अच्छी तरह से प्रलेखित और समय पर कार्रवाई—पूछताछ से लेकर एफएसएल सबमिशन तक—कमजोर या शत्रुतापूर्ण गवाहों को दूर कर सकती है।
4. आरोपियों पर उनके कपड़ों और वस्तुओं पर खून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी, अगर उन्हें चुनौती नहीं दी जाती है, तो अपराध स्थापना में योगदान देता है।

निष्कर्ष: न्याय, सिर्फ निर्णय नहीं

ओम मुकेश मंडावी केस सिर्फ हत्या की सजा की कहानी नहीं है। यह संक्रमण का प्रतीक है - पारंपरिक जांच से वैज्ञानिक पुलिसिंग और पीड़ित-केंद्रित न्याय तक। यह नए आपराधिक कानून शासन के इरादे को पुष्ट करता है: यह सुनिश्चित करना कि अपराध अप्रकाशित न हो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सजा सबूत द्वारा समर्थित है, अनुमान नहीं।

केवल नौ महीनों में, अपराध से दोषसिद्धि तक, न्याय का पहिया सटीकता के साथ घूमता है, यह साबित करता है कि जब कानून और विज्ञान एक साथ काम करते हैं, तो न्याय अपरिहार्य है।

वृत्तांत संख्या-12 : दिल्ली

शीर्षक: *नए अधिनियम में पकड़ा गया: स्कूल चोरी डिजिटल साक्ष्य और त्वरित सजा के साथ हल की गई*

दिल्ली के स्कूल में 21 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति को खेल उपकरण चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एफआईआर तुरंत दर्ज की गई और वीडियो जब्ती और कर्मचारियों की गवाही सहित डिजिटल साक्ष्य ने एक मजबूत मामला बनाया। 18 दिसंबर 2024 को आरोप तय किए गए और मुकदमा कुशलता से आगे बढ़ा। 24 मार्च 2025 को मोहित को दोषी ठहराया गया और उसे पहले से ही सजा सुनाई गई। यह मामला दिखाता है कि बीएनएस, 2023 के तहत स्कूल की चोरी को भी कितनी गंभीरता से लिया जाता है, जिसमें डिजिटल उपकरण त्वरित न्याय में सहायता करते हैं।

परिचय:

दिल्ली के स्कूल में एक साधारण दिन अचानक अपराध के दृश्य में बदल गया जब स्टाफ के सदस्यों ने एक चोर को मूल्यवान खेल उपकरण चोरी करने का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जो अन्यथा एक नियमित चोरी रह सकती थी, वह बीएनएस, 2023 के तहत एक सफलता की कहानी बन गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे प्रौद्योगिकी समर्थित जांच और न्यायिक जवाबदेही अहिंसक संपत्ति अपराधों में भी त्वरित न्याय प्रदान कर सकती है।

घटना:

21 अक्टूबर 2024 को *मोहित को* स्कूल से 38 बैडमिंटन रैकेट और एल्युमिनियम पैटिस चुराते हुए पकड़ा गया था। स्कूल प्रशासन ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया। बीएनएस, 2023 की धारा 305 (ए) और 317 (2) के तहत एफआईआर को तुरंत दर्ज किया गया था।

जांच प्रक्रिया:

जांच अधिकारी ने अपराध स्थल को संरक्षित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। चोरी की गई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया, वीडियो-ग्राफ किया गया और सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया। आरोपी को पकड़ने वालों सहित स्कूल स्टाफ के गवाहों के बयान उसी दिन दर्ज किए गए। जब्त सामग्री की फोरेंसिक तस्वीरों और डिजिटल रिकॉर्डिंग ने निर्विवाद सबूत प्रदान किए। कानूनी समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चार्जशीट को अंतिम

रूप दिया गया और 14 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

18 दिसंबर 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। अदालत ने सबूतों और स्वीकारोक्ति की सीधी प्रकृति को पहचानते हुए, फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत निरंतर सुनवाई शुरू की। स्कूल अधिकारियों, जब्ती अधिकारियों और वीडियोग्राफी विशेषज्ञों की गवाही प्रक्रियात्मक बाधाओं के बिना प्रस्तुत की गई।

दोषसिद्धि और सजा:

मोहित को 24 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज होने के 154 दिनों के भीतर दोषी ठहराया गया था। उसकी कम उम्र और स्वीकारोक्ति को देखते हुए, अदालत ने धारा 468 बीएनएसएस के तहत लाभ बढ़ाते हुए पहले से ही गुजारी गई अवधि के लिए कारावास की सजा देकर उदारता बरती।

निष्कर्ष:

यह मामला दर्शाता है कि कैसे वैज्ञानिक दस्तावेज, डिजिटल उपकरणों का कुशल उपयोग और बीएनएस, 2023 के तहत प्रक्रियात्मक अनुशासन मामूली संपत्ति अपराधों को भी तेजी से हल कर सकता है। 58 दिनों में आरोप तय करने और केवल 5 महीनों के भीतर सुनवाई पूरी होने के साथ, यह मामला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि कोई भी अपराध, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, भारत की तेजी से विकसित होती न्याय प्रणाली में समय पर कानूनी जवाबदेही से बच नहीं पाता है।

वृत्तांत संख्या-13 : दिल्ली

शीर्षक: *दिल्ली का पहला बीएनएस-2023 व पॉक्सो का आजीवन कारावास मामला : केवल 49 दिनों में त्वरित, वैज्ञानिक सहायता से न्याय दिया गया*

दिल्ली के मंगोल पुरी में 25 फरवरी 2025 को एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया, जब 16 साल की एक लड़की ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, जिसमें बार-बार यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ। एक त्वरित पीसीआर प्रतिक्रिया के कारण बीएनएस-2023 की धारा 64(2)(एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर तुरंत दर्ज की गई। महिला एसआई पूजा के नेतृत्व में जांच तेज, संवेदनशील और साक्ष्य-आधारित थी। पीड़िता का बयान बाल-संरक्षण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्ज किया गया, जबकि डीएनए प्रोफाइलिंग ने आरोपी और नवजात बच्चे के बीच एक निर्णायक संबंध स्थापित किया। मेडिकल रिकॉर्ड, फोरेंसिक दस्तावेजीकरण और पुष्टि करने वाली गवाही बिना देरी के संकलित की गई और सिर्फ 31 दिनों में चार्जशीट दायर की गई। 28 मार्च 2025 को फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय किए आरोप तय होने के मात्र 18 दिन के अंदर ही माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। 15 अप्रैल 2025 को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला बीएनएस-2023 और पोक्सो अधिनियम के तहत दिल्ली में पहली आजीवन कारावास की सजा है। यह दर्शाता है कि कैसे विज्ञान आधारित पुलिसिंग, सुव्यवस्थित अभियोजन और पीड़ित-केंद्रित न्यायिक दृष्टिकोण 49 दिनों के भीतर पूर्ण न्याय प्रदान कर सकता है - भारत के सुधारित कानूनी ढांचे में बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

परिचय:

दिल्ली के हलचल भरे शहर में, एक नाबालिग लड़की के खिलाफ बार-बार यौन उत्पीड़न का एक दर्दनाक मामला सामने आया – लेकिन अतीत में ऐसे कई मामलों की तरह खींचने के बजाय, यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन बन गया कि कैसे बीएनएस, 2023 के तहत भारत की सुधारित आपराधिक न्याय प्रणाली, कमजोर पीड़ितों के लिए समझौताहीन, तेज और विज्ञान के नेतृत्व वाला न्याय प्रदान कर सकती है।

घटना:

25 फरवरी 2025 को, एसजीएम अस्पताल, मंगोल पुरी से एक नियमित पीसीआर कॉल ने सतह के नीचे की भयावहता को उजागर किया। एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा ने अभी-अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, निहाल विहार पुलिस स्टेशन से लेडी सब-इंस्पेक्टर प्रीति अस्पताल पहुंचीं। नाबालिग पीड़िता से उसने जो सुना वह डरावना था। किशोरी ने खुलासा किया कि उसे आरोपी द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जो

अंततः उसकी गर्भावस्था का कारण बना था।

एफआईआर को बीएनएस, 2023 की धारा 64(2) (एम) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत तुरंत दर्ज किया गया था, जिससे जघन्य अपराध की उच्च प्राथमिकता वाली जांच शुरू की गई।

जांच प्रक्रिया:

लेडी एसआई पूजा के नेतृत्व में जांच दुर्लभ तात्कालिकता और पूर्ण व्यावसायिकता के साथ आगे बढ़ी। नाबालिग के बयान संवेदनशीलता के साथ दर्ज किए गए थे, पूरी तरह से पीड़ित-केंद्रित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों को प्राथमिकता दी, और डीएनए प्रोफाइलिंग ने अकाट्य सफलता प्रदान की। आरोपी और नवजात बच्चे के बीच पितृत्व मिलान अभियोजन पक्ष के मामले की आधारशिला बन गया।

मेडिकल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों की गवाही को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया गया था। टीम ने केवल 31 दिनों के भीतर पूरे साक्ष्य संग्रह और चार्जशीट दाखिल करने को पूरा करते हुए तेज जांच फोकस का प्रदर्शन किया - बीएनएस, 2023 अब गति और दक्षता का एक असाधारण प्रदर्शन।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

28 मार्च 2025 को, जिस दिन चार्जशीट दायर की गई थी, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय किए। सबूतों की भारी ताकत को पहचानते हुए, मुकदमा बिना देरी के शुरू हुआ। पीड़ितों की सुरक्षा और समयबद्ध अभियोजन के सख्त अनुपालन में, अदालत ने लगातार दैनिक सुनवाई की, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीड़ित को बार-बार लंबे, खींचे गए मुकदमे में आघात से नहीं गुजरना पड़े।

अभियोजन पक्ष ने डीएनए रिपोर्ट, चिकित्सा निष्कर्ष और सर्जिकल सटीकता के साथ पीड़ित की लगातार गवाही प्रस्तुत की। इस तरह के परिणामी और प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ, परीक्षण जल्दी से समाप्त हो गया।

दोषसिद्धि और सजा:

आरोप तय करने के 18 दिन बाद 15 अप्रैल 2025 को माननीय न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी को बीएनएस की धारा 64 (2) (एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। फैसले ने नाबालिग की शारीरिक स्वायत्तता और विश्वास के बार-बार उल्लंघन की गंभीरता को पहचानते हुए प्राकृतिक जीवन तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले ने एक जोरदार संदेश भेजा: बाल यौन शोषण के मामलों में, शून्य उदारता होगी, और भारत की आधुनिक कानूनी प्रणाली का पूरा भार अपराधियों पर पड़ेगा।

निष्कर्ष:

यह मामला पहला बीएनएस, 2023, दिल्ली में पॉक्सो आजीवन कारावास की सजा है और वैज्ञानिक जांच, कानूनी समयसीमा का सख्त पालन और पीड़ित-प्रथम दृष्टिकोण द्वारा समर्थित होने पर भारत की सुधारित आपराधिक न्याय प्रणाली क्या हासिल कर सकती है, इसके लिए एक चमकदार मॉडल है। एफआईआर से लेकर सजा तक, केवल 49 दिनों में एक पूर्ण और अंतिम समाधान, यह ऐतिहासिक मामला दर्शाता है कि बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए न्याय अब तेजी से, करुणा के साथ और पूर्ण वैज्ञानिक अधिकार के साथ दिया जा सकता है। यह पीड़ितों के लिए आशा का संदेश है अपराधियों के लिए एक चेतावनी है कि प्रणाली अब धीमी नहीं बल्कि तेज और अविश्वसनीय है।

वृत्तांत संख्या-14 : गोवा

शीर्षक: *राज्य की सीमाओं के पार मंदिर की चोरी का समाधान: बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित सजा*

दक्षिण गोवा के कैनाकोना में, 6 अक्टूबर की रात और 7 अक्टूबर 2024 की सुबह के बीच श्रद्धेय श्री संस्थान दामोदर मंदिर में सेंधमारी की गई, जिसमें गर्भगृह से 5,000 से 6,000 रुपये की चोरी हुई। बीएनएस, 2023 की धारा 331(4) और 305 के तहत कैनाकोना पुलिस स्टेशन में तुरंत एफआईआर संख्या 68/2024 दर्ज की गई। सफलता सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिली, जिसमें आरोपी आदित्य उर्फ अक्की को कैद किया गया था, जो पहले से ही कर्नाटक के कारवार में न्यायिक हिरासत में था। समन्वित अंतर-राज्यीय प्रयासों के कारण उसे हिरासत में कबूलनामा करने में सफलता मिली। आरोप पत्र 54 दिनों के भीतर दायर किया गया था। अदालत ने बिना देरी किए आरोप तय किए, और मुकदमा तेजी से समाप्त हो गया। 3 जनवरी 2025 को, एफआईआर से लगभग 90 दिन पहले, माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 68 दिन के कारावास और ₹4,000 जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही चूक की स्थिति में 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भी। यह मामला सीसीटीवी साक्ष्य, अंतरराज्यीय सहयोग और बीएनएस, 2023 के तहत प्रक्रियात्मक सटीकता का उपयोग करके सीमा पार अपराध समाधान का एक मॉडल है।

परिचय:

दक्षिण गोवा के कानाकोना जिले में, एक श्रद्धेय मंदिर में एक साहसी ब्रेक-इन आसानी से ठंडा हो सकता था। इसके बजाय, यह मामला इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गया कि कैसे आधुनिक तकनीक, तेज अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और बीएनएस, 2023 के तहत वैज्ञानिक जांच ने रिकॉर्ड समय में दोषसिद्धि हासिल की।

घटना:

6 अक्टूबर को 19:00 बजे से 7 अक्टूबर 2024 को 06:15 बजे तक, अज्ञात व्यक्तियों ने कानाकोना के श्री संस्तां दामोदर मंदिर के गर्भगृह में मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर सेंध लगाई। गर्भगृह (आंतरिक गर्भगृह) से लगभग ₹5,000 से ₹6,000 नकद सीधे चोरी हो गए थे। एफआईआर को 7 अक्टूबर 2024 को कनाकोना पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 331(4) और 305 के तहत तुरंत दर्ज की गई थी। पीएसआई रामदास डोइफोड ने जांच का नेतृत्व किया।

जांच प्रक्रिया:

जांच में सफलता स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिली, जिसमें आरोपी को मंदिर परिसर में प्रवेश करते और तोड़ते हुए कैद किया गया। खुफिया लिंक से पता चला कि कर्नाटक के *कारवार* के रहने वाले आदित्य उर्फ *अक्की* के रूप में पहचाना गया संदिग्ध पहले से ही जिला कारागार, कारवार में एक अलग मामले में न्यायिक हिरासत में था। न्यायिक अनुमति प्राप्त करने के बाद, गोवा पुलिस की एक टीम ने कर्नाटक के अधिकारियों के साथ समन्वय किया और समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने स्वेच्छा से मंदिर चोरी की बात कबूल कर ली।

त्वरित अभियोजन के पीछे पांच प्रमुख तत्वों में आरोपी को तोड़-फोड़ करते हुए स्पष्ट सीसीटीवी दृश्य, त्वरित एफआईआर पंजीकरण, अपराध स्थल को सुरक्षित करना, न्यायिक हिरासत में रहते हुए आरोपी का स्वैच्छिक कबूलनामा, कानूनी रूप से मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपों का तत्काल निर्धारण और निर्बाध अंतरराज्यीय पुलिस सहयोग शामिल था, जो जांच में देरी को कम करता है। आरोप पत्र 54 दिनों के भीतर 30 नवंबर 2024 को दायर किया गया था, जिसमें बीएनएसएस के तहत प्रक्रियात्मक समय-सीमा का सख्ती से पालन किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

अदालत ने भारी सबूतों को स्वीकार किया और तुरंत आरोप तय किए। मजबूत स्वीकारोक्ति और वैज्ञानिक सबूतों को देखते हुए, मुकदमा बिना देरी के आगे बढ़ा और तेजी से समाप्त हुआ।

दोषसिद्धि और सजा:

3 जनवरी 2025 को, एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों से भी कम समय में, माननीय न्यायालय ने *आदित्य उर्फ अक्की को दोषी ठहराया*। उन्हें 68 दिनों के कारावास और ₹4000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। भुगतान में चूक करने पर, उन्हें अतिरिक्त 3 दिनों के साधारण कारावास की सजा काटने का आदेश दिया गया था।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत कुशल क्रॉस-क्षेत्राधिकार अपराध समाधान के लिए एक मॉडल के रूप में है। डिजिटल निगरानी, स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति, त्वरित आरोप निर्धारण और अंतर-राज्य सहयोग के संयोजन ने मुश्किल से तीन महीनों में समाधान हुआ, जिससे साबित हुआ कि सीमा पार से मंदिरों की चोरी भी भारत की विकसित न्याय प्रणाली की पहुंच से बच नहीं पाएगी।

वृत्तांत संख्या-15 : गोवा

शीर्षक: *पुलिस ने गोल्ड, मंगलसूत्र और स्कूटर एक्टिवा बरामद किया*

मार्सेल के एक निवासी को जुआ सेंट एस्टेवम पुल के पास निशाना बनाया गया। सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटर पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला का सोने का मंगलसूत्र (28 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 है) छीन ली और फरार हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी, श्री हाइडन रॉड्रिग्स ने संदिग्ध का पीछा किया और वाहन नंबर नोट किया। स्कूटर के मालिक ने भी 14/11/2024 को पणजी पीएस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विश्वसनीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा साझा की गई जानकारी की मदद से राजेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी का सोने का मंगलसूत्र और काले हेलमेट वाला सफेद एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया है।

परिचय:

17/11/2024 को लगभग 10:00 बजे, शिकायतकर्ता श्रीमती श्रीपाद परब (70 वर्ष), मार्सेल की निवासी, को जुआ सेंट एस्टेवम पुल के पास निशाना बनाया गया।

घटना:

सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटर पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका सोने का मंगलसूत्र (28 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपये है) छीन ली और फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी, श्री रॉड्रिक्स ने संदिग्ध का पीछा किया और वाहन नंबर नोट किया।

जांच प्रक्रिया:

शिकायतकर्ता ने उसी दिन मरडोल पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की। धारा 304 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच के दौरान पीएसआई रोचन मार्टिन ने तुरंत वाहन मालिक का पता लगाया, जिसने पुष्टि की कि राजेश ने 15 दिन पहले स्कूटर उधार लिया था लेकिन उसे वापस नहीं किया था। मालिक ने 14/11/2024 को पणजी पीएस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पीएसआई सेबेस्टियन ने विश्वसनीय स्रोतों की मदद से संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखी। सूचना के बाद आखिरकार राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से चोरी का सोने का मंगलसूत्र और सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई है।

जांच प्रक्रिया:

जांच सिर्फ 24 दिनों में पूरी हो गई थी। आरोप पत्र 11/12/2024 को दायर किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा तेज और केंद्रित प्रयासों का संकेत दिया गया था।

आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोंडा के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने 13/01/2025 को फैसला सुनाया। आरोपी को बीएनएस की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया गया और 48 दिनों के साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

वृत्तांत नंबर -16 : गुजरात

शीर्षक: *वैज्ञानिक जांच ने कैसे सावली - पॉक्सो मामले का पर्दाफाश किया। गुजरात से रैपिड फॉरेंसिक पुलिसिंग का मॉडल केस*

3 जुलाई 2024 को गुजरात के सावली में एक बच्ची के साथ बलात्कार और अपहरण का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद आरोपी फारुक छैसल को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल जियो-ट्रैकिंग, गवाहों के बयान और डीएनए साक्ष्य के मिलान के माध्यम से मामले की जांच अनुकरणीय फोरेंसिक कठोरता के साथ की गई। आरोप पत्र केवल 36 दिनों में प्रस्तुत किया गया था, और 6 मार्च 2025 को बीएनएस और पोक्सो प्रावधानों के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ मुकदमा समाप्त हुआ। सावली मामला नई आपराधिक कानून व्यवस्था के साथ फोरेंसिक नेतृत्व वाली जांच और त्वरित न्याय का एक मॉडल बन गया है।

1 जुलाई 2024 को, जिस दिन देश में नए आपराधिक कानून लागू हुए, गुजरात के वडोदरा जिले के ग्रामीण सावली में एक परिवार पर काले बादल छा गए। एक नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक पिता की न्याय के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक उपकरण, फोरेंसिक सटीकता और दृढ़ पुलिस कार्य तेजी से न्याय देने के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं।

अपराध और शिकायत

3 जुलाई 2024 को पीड़िता के पिता ने सावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया है। आरोपी की पहचान फारुक छैसेल महेश भाई (32) निवासी जरोड भलिया वागो, वडोदरा (ग्रामीण) के रूप में हुई है। एफआईआर नए लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 64(2)(m), 87, 137(2), और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4, 5 और 6 के तहत दर्ज की गई थी।

मामले की संवेदनशीलता और तात्कालिकता को पहचानते हुए, जांच अधिकारी (आईओ) पुलिस इंस्पेक्टर एनके राठवा ने एक विस्तृत और समयबद्ध जांच शुरू की जो फोरेंसिक पुलिसिंग के एक मॉडल के रूप में सामने आएगी।

सीसीटीवी निगरानी: पहली सफलता

पहली बड़ी सफलता तकनीकी निगरानी के माध्यम से मिली। आईओ ने तुरंत आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज के संग्रह और विश्लेषण का आदेश दिया।

टीमों ने पीड़ित के पास के बाजार क्षेत्रों, चौराहों और दुकानों से वीडियो फुटेज को स्कैन किया। एक कैमरे

ने स्पष्ट रूप से पीड़ित को चलते हुए कैद किया, आरोपी द्वारा बारीकी से पीछा किया गया। इसके बाद के फुटेज में आरोपी लड़की को एक सुनसान रास्ते की ओर ले जाते हुए दिखाई दिया।

इस डिजिटल पदचिह्न ने अपराध की समयरेखा को कम करते हुए, पहचान और गतिविधि पैटर्न दोनों की पुष्टि की।

मोबाइल निगरानी और जियो-ट्रेकिंग

अपराध स्थल पर संदिग्ध की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, जांचकर्ताओं ने मोबाइल टॉवर स्थान ट्रैकिंग और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का उपयोग किया। घटना के समय आरोपी का मोबाइल फोन उसी भौगोलिक क्षेत्र में पाया गया था, जिससे सीसीटीवी सबूतों की पुष्टि होती है।

जियो-फेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए, अधिकारियों ने निर्धारित किया कि आरोपी और पीड़ित 30 मिनट से अधिक समय तक 100 मीटर के दायरे में थे – अपहरण और अवैध परिरोध के संदेह के लिए महत्वपूर्ण।

फोरेंसिक साक्ष्य: टर्निंग प्वाइंट

शिकायत दर्ज होने के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद, फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और संरक्षित करने के लिए एक त्वरित और समन्वित प्रयास किया गया। आरोपी को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया और हिरासत प्रोटोकॉल की उचित श्रृंखला के तहत डीएनए स्वैब एकत्र किए गए।

इसके साथ ही, पीड़िता की एक मेडिको-लीगल जांच हुई, जिसमें यौन उत्पीड़न के संकेतों की पुष्टि हुई।

पीड़ितों के नमूने के साथ आरोपी के डीएनए का मिलान किया गया। इसके अलावा, पीड़ित के कपड़ों के रेशे आरोपी पर मेल खाते थे, जिससे शारीरिक संपर्क साबित हुआ। दोनों पर मिट्टी के कणों और वनस्पति की उपस्थिति ने साझा अपराध स्थल को साबित कर दिया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत बयानों में गवाह की गवाही और तकनीकी निष्कर्षों को पारंपरिक जांच उपकरणों द्वारा मजबूत किया गया था। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी को लड़की के लापता होने से कुछ समय पहले उसके साथ देखा गया था। इन गवाहों ने स्वतंत्र, सुसंगत बयान दिए जो बाद में डिजिटल ट्रेल के साथ पुष्टि करते थे।

पीड़ित और प्रमुख गवाहों दोनों के बयान एक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए, जिससे सबूतों की स्वीकार्यता सुनिश्चित हुई।

स्विफ्ट जस्टिस: 36 दिन में चार्जशीट

सावली मामला कानूनी कार्रवाई की गति के लिए खड़ा है। फोरेंसिक जटिलता के बावजूद, आईओ ने 36 दिनों के भीतर – 8 अगस्त 2024 को पूरी चार्जशीट प्रस्तुत की.

आरोप पत्र में शामिल हैं:

सीसीटीवी फुटेज टाइमलाइन

मोबाइल ट्रैकिंग और स्थान रिपोर्ट

एफएसएल रिपोर्ट (डीएनए और ट्रेस सबूत)

पीड़ित और गवाह के बयान

चिकित्सा परीक्षण के निष्कर्ष

जिला और सत्र न्यायालय, वडोदरा ने न्यायिक प्रणाली की जवाबदेही का प्रदर्शन करते हुए 9 अक्टूबर 2024 को आरोप तय किए।

फोरेंसिक ताकत के आधार पर सजा

मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, आरोपी ने कबूल किया, संभवतः यह महसूस करते हुए कि फोरेंसिक सबूतों का वजन भारी था। 6 मार्च 2025 को, अदालत ने उसे बीएनएस और पॉक्सो के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

सजा:

- 20 वर्ष का कठोर कारावास
- ₹50,000 जुर्माना, और चूक के मामले में, 1 महीने का साधारण कारावास

इस मामले ने जघन्य अपराधों के बचे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में विज्ञान समर्थित जांच के प्रभाव की पुष्टि की।

निष्कर्ष: फोरेंसिक न्याय के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण

सावली पॉक्सो मामला एक कानूनी कहानी से कहीं अधिक है; यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि भारत में 21 वीं सदी की पुलिसिंग को कैसे विकसित किया जाना चाहिए – प्रौद्योगिकी, फोरेंसिक, समय पर जांच और कानूनी समन्वय का संयोजन।

सब-इंस्पेक्टर एनके राठवा और उनकी टीम ने दिखाया है कि जब विज्ञान को आपराधिक जांच के केंद्र में रखा जाता है, तो न्याय में देरी नहीं होती है और निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जाता है।

वृत्तांत संख्या-17 : हरियाणा

***शीर्षक**: 3 वर्षीय उत्तरजीवी को न्याय मिला: बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित सजा*

हरियाणा के पानीपत में 2 सितंबर 2024 को एक परेशान करने वाली घटना सामने आई, जब एक मां को पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी 3 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची ने इशारों से पड़ोसी राकेश को अपराधी के रूप में पहचाना। उसके बड़े भाइयों ने खुलासा किया कि राकेश ने कमरे को बंद करने से पहले उन्हें भेज दिया था। उसी दिन चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और बीएनएस, 2023 की धारा 74 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच त्वरित और पीड़िता के प्रति संवेदनशील थी। नाबालिग को चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई और बाल संरक्षण प्रोटोकॉल का उपयोग करके उसका बयान दर्ज किया गया। भाइयों के प्रत्यक्षदर्शी बयानों और चिकित्सा निष्कर्षों ने एक मजबूत मामला बनाया। आरोप पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया और 4 दिसंबर 2024 को आरोप तय किए गए। फास्ट-ट्रैक कोर्ट में बिना किसी देरी के मुकदमा आगे बढ़ा। 1 मार्च 2025 को अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। 3 अप्रैल 2025 को सजा सुनाई गई, जिसमें उसे 5 साल की कठोर कारावास और ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया, साथ ही जुर्माना न चुकाने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी दी गई। यह मामला दर्शाता है कि कैसे बीएनएस, 2023 और पॉक्सो मिलकर बच्चों के खिलाफ अपराधों में समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करते हैं - अपराध के सात महीने के भीतर ही न्याय पूरा हो जाता है।

परिचय:

हरियाणा के पानीपत में, भयानक बाल यौन शोषण के एक मामले ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह इस बात का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण था कि कैसे बीएनएस, 2023 ने पॉक्सो अधिनियम के साथ मिलकर कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका को तेज, पीड़ित-संवेदनशील और निर्णायक न्याय देने का अधिकार दिया।

घटना:

2 सितंबर 2024 को, एक माँ दोपहर के आसपास अपने दैनिक कारखाने के काम से घर लौटी तो पता चला कि उसकी 3 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया था। इशारों और मासूम संकेतों के माध्यम से, युवा बच्ची ने खुलासा किया कि *राकेश*, एक ज्ञात पड़ोसी, ने कमरे के अंदर एक कंबल पर लेटने से पहले उसके निजी अंगों और छाती को अनुचित तरीके से छुआ था।

पीड़िता के बड़े भाइयों ने बताया कि *राकेश* ने पहले उन्हें समोसे खरीदने के लिए पैसे दिए थे और जानबूझकर उन्हें घर से बाहर भेज दिया था. लौटने पर उन्होंने कमरा बंद पाया। बार-बार खटखटाने के बाद आरोपी ने दरवाजा खोला। रोशनी बंद थी, और उनकी छोटी बहन को कंबल पर चुपचाप पड़ा पाया गया, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ।

अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित और विचलित होकर, मां तुरंत चांदनी बाग पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और बीएनएस, 2023 की धारा 74 के तहत दिनांक 02.09.2024 को एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

जांच दल ने मामले की अत्यधिक संवेदनशीलता को पहचानते हुए अत्यंत तत्परता और सावधानी के साथ काम किया। प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच किए जाने के दौरान बच्चे को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई थी। उनके बयान बच्चों के प्रति संवेदनशील प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किए गए। भाइयों की गवाही ने नाबालिग के खाते की पुष्टि की।

फोरेंसिक सबूत, चिकित्सा निष्कर्ष और लगातार प्रत्यक्षदर्शी गवाही ने एक मजबूत मामला बनाया। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि हर प्रक्रियात्मक आवश्यकता का सख्ती से पालन किया जाए, जो व्यावसायिकता और करुणा दोनों को दर्शाता है। आरोप पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था, जिससे मामले को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति मिली।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

औपचारिक रूप से 4 दिसंबर 2024 को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और बीएनएस की धारा 74 के तहत आरोप तय किए गए थे। नाबालिग उत्तरजीवी द्वारा सामना किए गए आघात को स्वीकार करते हुए, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि अनावश्यक स्थगन से सख्ती से बचा जाए। मुकदमा लगातार सुनवाई के साथ आगे बढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्ची और उसका परिवार लंबे समय तक कानूनी तनाव नहीं झेलेंगे।

दोषसिद्धि और सजा:

1 मार्च 2025 को कोर्ट ने *राकेश* को इस अपराध का दोषी पाया। 3 अप्रैल 2025 को सजा सुनाई गई, जिसमें उसे 5 साल का कठोर कारावास और ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया। स्वीकार्य भुगतान में चूक करने पर अतिरिक्त 6 महीने के कठोर कारावास का आदेश दिया गया था। यह निर्णय अपराध की गंभीरता और भारत के सुधारित कानूनी शासन के तहत बाल संरक्षण पर रखी गई प्रणालीगत प्राथमिकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यह मामला इस बात का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है कि कैसे बीएनएस, 2023, पॉक्सो अधिनियम के साथ मिलकर, भारत की न्याय प्रणाली को बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित और समझौता न करने वाला न्याय प्रदान करने के लिए तैयार करता है। एफआईआर से लेकर केवल 7 महीनों में अंतिम सजा तक, यह त्वरित संकल्प एक मजबूत संदेश भेजता है कि बाल यौन शोषण तत्काल और निर्णायक कानूनी परिणामों को पूरा करेगा, जिससे सबसे कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

वृत्तांत संख्या-18 : हरियाणा

***शीर्षक**: चुप्पी से सजा तक: पॉक्सो और और बीएनएस के तहत 20 साल की सज़ा से 3 साल के दुर्व्यवहार का अंत*

हरियाणा के यमुना नगर में 13 साल की एक लड़की ने 8 जुलाई 2024 को एक स्कूल जागरूकता सत्र में भाग लेने के बाद तीन साल के यौन शोषण की रिपोर्ट करने का साहस पाया। उसने खुलासा किया कि स्थानीय दुकानदार दीपक ने उसे बार-बार धमकाकर और डराकर उसके साथ मारपीट की थी। महिला थाने में पोक्सो एक्ट की धारा 5(एल)(एम) और 6 के साथ-साथ बीएनएस, 2023 की धारा 87 और 137(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच तेज और सावधानीपूर्वक हुई। एक विशेष टीम ने मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य हासिल करते हुए पीड़िता के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन सुनिश्चित किया। गवाहों के बयान, डिजिटल सबूत और इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज ने मामले को मजबूत किया। 52 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई। 29 अगस्त 2024 को आरोप तय किए गए उन्हें पॉक्सो के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही बीएनएस के तहत एक अतिरिक्त वर्ष और ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया। सिर्फ़ 180 दिनों में पूरा हुआ यह मामला इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे कानूनी जागरूकता, वैज्ञानिक जांच और सुधारित आपराधिक कानून मिलकर बाल पीड़ितों के लिए चुप्पी को न्याय में बदलने का काम करते हैं।

परिचय:

हरियाणा के यमुनानगर की शांत बस्ती में, नियमित पड़ोस के जीवन के मुखौटे के नीचे, एक युवा लड़की एक अंधेरे रहस्य के भारी बोझ के नीचे तीन साल तक रहती थी। *दीपक*, एक स्थानीय दुकानदार और एक परिचित चेहरा, बार-बार यौन शोषण का शिकार हुआ, उसकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए धमकी और धमकी का उपयोग कर रहा था। डर में फंसी, बच्ची ने कभी भी अपनी पीड़ा व्यक्त किए बिना आघात को सहन किया। लेकिन भाग्य ने एक स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक निर्णायक मोड़ लिया, जहां प्रशिक्षित अधिकारियों ने छोटे बच्चों को "गुड टच और बैड टच" पर संवेदनशील बनाया। इस ज्ञान से सशक्त होकर, उत्तरजीवी ने अंततःअपनी माँ पर विश्वास किया, और न्याय का पहिया घूमने लगा।

घटना:

8 जुलाई 2024 को, अपनी बेटी की कष्टप्रद घटना

सुनने के बाद, पीड़िता की माँ ने तुरंत महिला पुलिस स्टेशन, यमुना नगर से संपर्क किया। सब-इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के कड़े प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 5 (l) (m) और 6, बीएनएस, 2023 की धारा 87 और 137 (3) के तहत एफआईआर No. 50/2024 दर्ज की। इस एफआईआर के दर्ज होने के साथ, जो कभी वर्षों का दबा हुआ आघात था, वह न्याय के लिए एक दृढ़ खोज में बदल गया।

जांच प्रक्रिया:

तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता को पूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन मिले। पुलिस ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्तरजीवी की गरिमा सुरक्षित रहे। फोरेंसिक चिकित्सा परीक्षाएं तुरंत आयोजित की गईं, महत्वपूर्ण जैविक साक्ष्य हासिल किए। पीड़िता, उसकी मां और स्कूल अधिकारियों सहित गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए गए। जांच दल ने प्रक्रियात्मक चूक से बचने के लिए बीएनएस, 2023 के तहत सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबूतों के सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। दुकान क्षेत्र के आसपास डिजिटल साक्ष्य और सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित किए गए थे, जिससे अतिरिक्त परिस्थितिजन्य सहायता मिली। इस पेशेवर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद, एफआईआर दर्ज होने के 52 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की गई, जो पॉक्सो मामले के लिए एक अनुकरणीय गति को चिह्नित करता है।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

29 अगस्त 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रणाली के तहत आगे बढ़ा, जिसमें उत्तरजीवी के भावनात्मक तनाव को कम करने का हर संभव प्रयास किया गया। अदालत ने सुनिश्चित किया कि सुनवाई निरंतर, केंद्रित और अनावश्यक स्थगन से मुक्त हो।

दोषसिद्धि और सजा:

सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, 13 नवंबर 2024 को अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। आरोपी *दीपक* को पॉक्सो की धारा 6 और बीएनएस की धारा 351 (3) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें अपने प्रमुख अपराध के लिए 20 साल के कठोर कारावास और बीएनएस प्रावधानों के तहत एक अतिरिक्त वर्ष की सजा सुनाई गई थी। कुल 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

निष्कर्ष:

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि बीएनएस, 2023 के तहत कानूनी जागरूकता, वैज्ञानिक जांच और फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रियाएं कैसे उत्तरजीवी के साहस को त्वरित न्याय में बदल सकती हैं। एफआईआर दर्ज होने से लेकर सजा तक का पूरा सफर 180 दिनों में पूरा हुआ. 52 दिनों के भीतर आरोप तय किए गए और उसके बाद केवल 128 दिनों में मुकदमा समाप्त हो गया। यह सफलता की कहानी भारत के नए आपराधिक कानून सुधारों के तहत परिकल्पित पीड़ित-केंद्रित न्याय की भावना का प्रतीक है।

वृत्तांत संख्या-19 : हरियाणा

शीर्षक: *रश्मि के लिए न्याय: बीएनएस, 2023 के तहत रिकॉर्ड समय में ट्रिपल मौत की सजा दी गई*

हरियाणा के फतेहाबाद में 29 जून 2024 को साढ़े तीन साल की रश्मि के क्रूर अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में बीएनएस, 2023 के तहत सबसे तेज़ मौत की सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया। एफआईआर को तुरंत आईपीसी की धारा 376-डीबी, 376-ए, 302 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया। सब-इंस्पेक्टर इंद्रावती के नेतृत्व में की गई जांच में फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, डीएनए प्रोफाइलिंग, सीसीटीवी विश्लेषण और समन्वित गवाह परीक्षा को शामिल किया गया। पीड़ित के परिवार के परिचित आरोपी परविंदर और ओमपाल को कुछ ही दिनों में गिरफ़्तार कर लिया गया और हिरासत में उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोप पत्र तुरंत दायर किया गया और एफआईआर के सिर्फ़ 74 दिन बाद 12 सितंबर 2024 को औपचारिक आरोप तय किए गए। न्याय मिलने में कोई देरी न हो, इसके लिए रोज़ाना सुनवाई के साथ एक फ़ास्ट-ट्रैक ट्रायल शुरू किया गया। 9 अप्रैल 2025 को, घटना के 210 दिनों के भीतर, माननीय न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई, इसे दुर्लभतम मामला घोषित किया। अतिरिक्त आजीवन कारावास और ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला इस बात का एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे बीएनएस, 2023 बच्चों के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में सटीक, समय पर और बिना किसी समझौते के न्याय को सक्षम बनाता है।

परिचय:

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बीचोंबीच एक अकल्पनीय आतंक का अपराध सामने आया, जिसने एक पूरे समुदाय को तबाह कर दिया। एक साढ़े तीन साल की लड़की, *रश्मि का अपहरण कर लिया* गया, बलात्कार किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधी उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। अत्यंत प्रभावी तरीके से जांच की गई, क्योंकि सार्वजनिक आक्रोश ने तेज और निर्णायक कार्रवाई की मांग की।

घटना:

29 जून 2024 को *रश्मि* का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया गया था। परिवार की हताश खोज उन्हें पुलिस तक ले गई, जिसने तुरंत धारा 376-डीबी, 376-ए, 302 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की। सब-इंस्पेक्टर *इंद्रावती* ने सावधानीपूर्वक नियोजित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके तुरंत जांच का नेतृत्व किया।

जांच प्रक्रिया:

जांच टीम ने उल्लेखनीय समन्वय के साथ काम किया। बच्चे का शरीर स्थित था, और फोरेंसिक चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम ने एक विस्तृत शव परीक्षा की, महत्वपूर्ण जैविक नमूने एकत्र किए। डीएनए प्रोफाइलिंग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अपराध स्थल के फोरेंसिक पुनर्निर्माण ने जांचकर्ताओं को घटनाओं की श्रृंखला को फिर से संगठित करने की अनुमति दी। आसपास के मार्गों से सीसीटीवी फुटेज को पुनःप्राप्त किया गया और संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के लिए फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण किया गया। परिवार, पड़ोसियों और अन्य स्रोतों के गवाहों के बयानों ने महत्वपूर्ण सुराग दिए।

कुछ दिनों के भीतर, पुलिस ने *परविंदर* और *ओमपाल* को पकड़ लिया, जो एक ही इलाके के रहने वाले दो लोग थे। उनकी हिरासत में पूछताछ के बाद पहले से ही सुरक्षित फोरेंसिक निशान से मेल खाते हुए पूर्ण स्वीकारोक्ति हुई। जांच मजबूत, वैज्ञानिक और वायुरोधी थी, जिससे बचाव पक्ष के लिए बहुत कम जगह बची थी।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

आरोप पत्र रिकॉर्ड समय में दायर किया गया था। 12 सितंबर 2024 को, एफआईआर दर्ज होने के केवल 74 दिन बाद, औपचारिक आरोप तय किए गए, जिससे फास्ट-ट्रैक कोर्ट फ्रेमवर्क के तहत तत्काल मुकदमे का मार्ग प्रशस्त हुआ। अदालत ने पूरी तरह से अपराध की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दैनिक सुनवाई सुनिश्चित की। फोरेंसिक विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों और जांच अधिकारियों सहित सभी गवाहों की तेजी से जांच की गई, जिससे प्रक्रियात्मक देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी।

दोषसिद्धि और सजा:

9 अप्रैल 2025 को, अदालत ने मामला शुरू होने के ठीक 210 दिन बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को सबसे क्रूर बाल बलात्कार-हत्या के मामलों में से एक को अंजाम देने का दोषी पाया गया था। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इसे "दुर्लभतम" मामला घोषित किया, *परविंदर* और *ओमपाल* दोनों को पॉक्सो और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निष्कर्ष:

सटीक और वैज्ञानिक जांच और एक अटूट रूप से केंद्रित न्यायिक प्रक्रिया ने सात महीने के भीतर एक दिल दहला देने वाली त्रासदी को बंद कर दिया। 74 दिनों के भीतर आरोप तय करना और उसके बाद केवल 136 दिनों में मुकदमे का पूरा होना यह दर्शाता है कि बीएनएस, 2023 भारत की न्याय प्रणाली को समझौताहीन, तेज और पीड़ित-केंद्रित न्याय देने में कैसे सशक्त बनाता है।

वृत्तांत संख्या-20 : हरियाणा

शीर्षक: *हाईवे डकैती नाकाम: बीएनएस के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई*

11 अक्टूबर 2024 को गुरुग्राम के पास NH-48 पर सवारी करते समय महेंद्र को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। आरोपी ₹9,000 और निजी दस्तावेज लेकर भाग गए। पीड़ित द्वारा वाहन की नंबर प्लेट के बारे में लिखे गए नोट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जल्दी से अपराधियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और वाहन ट्रैकिंग ने मामले को सुलझाने में मदद की। 17 जनवरी 2025 को आरोप तय किए गए और अदालत ने तीन महीने से कम समय में मुकदमा पूरा कर लिया। 3 अप्रैल 2025 को सभी आरोपियों को 10 साल की कठोर कारावास और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला दर्शाता है कि कैसे बीएनएस, 2023 हिंसक राजमार्ग अपराधों में भी त्वरित न्याय को सशक्त बनाता है।

परिचय:

गुरुग्राम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर चाकू की नोक पर महेंद्र *के लिए एक नियमित राजमार्ग आवागमन एक भयानक परीक्षा बन गया* । कारपूल की सवारी के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वह एक सुनियोजित डकैती में बदल गया, लेकिन पीड़ित द्वारा त्वरित सोच और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, बीएनएस, 2023 के तहत उल्लेखनीय गति से न्याय दिया गया।

घटना:

11 अक्टूबर 2024 को, महेन्द्र गुरुग्राम-मानेसर खंड के साथ परिवहन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब एक निजी वाहन ने उन्हें सवारी की पेशकश की। वाहन में सवार होने के कुछ ही देर बाद तीन लोगों ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया, उसके दस्तावेजों के साथ 9,000 रुपये नकद जबरन चुरा लिए और उसके तुरंत बाद उसे छोड़ दिया। महेन्द्र ने तुरंत घटना की सूचना दी, और मानेसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

महत्वपूर्ण रूप से, महेन्द्र ने वाहन के पंजीकरण संख्या को नोट किया था। इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने तेजी से स्वामित्व रिकॉर्ड का पता लगाया, निगरानी की और संदिग्धों को पकड़ लिया। गवाहों से पूछताछ की गई, मोबाइल लोकेशन डेटा का विश्लेषण किया गया और फोरेंसिक टीमों ने ट्रेस सबूत इकट्ठा करने के लिए वाहन का निरीक्षण किया। कुछ दिनों के भीतर, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर

लिया गया, और चोरी की संपत्ति की वसूली सहित व्यापक सबूत सुरक्षित किए गए। बिना किसी देरी के चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

एफआईआर दर्ज होने के 96 दिनों के भीतर 17 जनवरी 2025 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। अदालत ने साक्ष्यों की पूर्णता को स्वीकार करते हुए फास्ट ट्रैक अदालत प्रणाली के तहत रोजाना सुनवाई शुरू की। गवाहों, जब्ती अधिकारियों और वसूली विशेषज्ञों ने एक कसकर समन्वित परीक्षण प्रक्रिया में अपनी गवाही प्रस्तुत की।

दोषसिद्धि और सजा:

एफआईआर के 174 दिन बाद 3 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को बीएनएस, 2023 की धारा 309 (4) के साथ 3 (5) के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास और कुल 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। स्वीकार्य भुगतान पर चूक के मामले में छह महीने का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया था।

निष्कर्ष:

छह महीने से कम समय में राजमार्ग अपराध स्थल से लेकर अदालत में दोषसिद्धि तक, यह मामला बीएनएस, 2023 द्वारा सक्षम जांच और अभियोजन दक्षता के उच्च मानकों को दर्शाता है। 96 दिनों के भीतर आरोप तय किए गए और उसके बाद चार महीने के भीतर मुकदमा समाप्त हो गया। यह मामला संकेत देता है कि भारत के राजमार्ग अब नई कानूनी व्यवस्था के तहत संगठित डकैती के लिए सुरक्षित आश्रय नहीं हैं।

वृत्तांत संख्या-21 : हरियाणा

शीर्षक: *रेलवे प्लेटफॉर्म पर झपटमारी: डिजिटल साक्ष्य बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा*

हरियाणा के सोनीपत में 7 जुलाई 2024 को रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला पर हमला किया गया और उसकी सोने की बाली छीन ली गई। सीसीटीवी फुटेज से राजू उर्फ मोनू की पहचान हुई, जो पहले से ही एक अन्य अपराध के लिए हिरासत में है। कबूलनामे और चोरी की गई बाली से अर्जित ₹4,000 की बरामदगी के बाद, उस पर बीएनएस, 2023 के तहत आरोप लगाया गया। 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई, 10 अक्टूबर को आरोप तय किए गए और 18 मार्च 2025 को सजा सुनाई गई - 253 दिनों के भीतर। आरोपी को 7 महीने की कठोर कारावास की सजा मिली। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे डिजिटल निगरानी और आदतन अपराधी ट्रैकिंग के परिणामस्वरूप समय पर सजा मिलती है।

परिचय:

हरियाणा के सोनीपत में, एक नियमित ट्रेन बोर्डिंग के रूप में शुरू हुआ एक महिला यात्री के लिए एक दर्दनाक मुठभेड़ में बदल गया। फिर भी, बीएनएस, 2023 के तहत पुलिस दक्षता और वैज्ञानिक जांच के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, न्याय तेजी से हुआ। इस मामले ने दिखाया कि कैसे आदतन अपराधियों को भी जल्दी से खाते में लाया जाता है जब डिजिटल निगरानी और सावधानीपूर्वक जांच एक साथ आती है।

घटना:

7 जुलाई 2024 को, जैसे ही यात्री सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, एक महिला दिनदहाड़े लूट का शिकार हो गई। एक अज्ञात युवक ने उस पर पीछे से हमला किया और भीड़ में गायब होने से पहले उसकी सोने की बाली छीन ली। बीएनएस, 2023 की धारा 304 और 317(2) के तहत एक त्वरित एफआईआरदर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

जांच टीम ने तुरंत डिजिटल सर्विलांस का रुख किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने एक स्पष्ट दृश्य निशान प्रदान किया। जांचकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक फुटेज का विश्लेषण किया, फ्रेम दर फ्रेम, संदिग्ध की गतिविधियों पर नज़र रखी और उसके मार्ग को एक साथ जोड़ दिया। फुटेज में राजू

उर्फ *मोनू* की पहचान तब हुई जो पहले से ही आदतन अपराधी था और एक अलग मामले के लिए न्यायिक हिरासत में बंद था। हिरासत में पूछताछ करने पर राजू ने लूट की बात कबूल कर ली। चोरी की बाली बेचने से अर्जित ₹4,000 की बरामदगी ने सबूतों को और मजबूत किया। गवाहों की गवाही सुरक्षित की गई, और केस फाइल विस्तृत फोरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ तैयार की गई। आरोप पत्र 19 सितंबर 2024 को दायर किया गया था, जिसमें जांच और अभियोजन टीमों के बीच सहज समन्वय दिखाया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

10 अक्टूबर 2024 को, चार्जशीट दाखिल करने के मात्र 21 दिन बाद औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ट्रायल शुरू हुआ।

दोषसिद्धि और सजा:

18 मार्च 2025 को, प्रारंभिक प्राथमिकी के लगभग 253 दिन बाद, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को बीएनएस प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और सात महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष:

डकैती से लेकर दोषसिद्धि तक, केवल आठ महीनों में, यह मामला दर्शाता है कि बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित कानूनी प्रक्रियाओं के साथ प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली जांच कैसे सुनिश्चित करती है कि आदतन अपराधियों को भी तेजी से न्याय के कटघरे में लाया जाए। 21 दिनों के भीतर आरोपों का त्वरित निर्धारण और उसके बाद त्वरित सुनवाई उस सटीकता और दक्षता को दर्शाती है जो भारत का नया आपराधिक ढांचा अब हासिल कर सकता है।

वृत्तांत संख्या – 22 : जम्मू और कश्मीर

शीर्षक: *नए आपराधिक कानूनों के तहत पंद्रह दिन मे न्याय : अनंतनाग में एक नए युग की शुरुआत*

एक ऐतिहासिक घटना में, अनंतनाग पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार सजा हासिल की। 1 अप्रैल 2025 को एक लोड कैरियर चोरी हो गया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज किया गया। कुछ ही दिनों में, दो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और वाहन बरामद कर लिया गया। 15 दिनों के भीतर - 16 अप्रैल 2025 को - मामला सुलझा लिया गया, आरोप तय किए गए और दोषी करार दिया गया - जिसके परिणामस्वरूप 3 महीने की न्यायिक कारावास और जुर्माना हुआ। यह मामला भारत की सुधारित आपराधिक न्याय यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो बीएनएस-बीएनएसएस की दक्षता, जवाबदेही और तत्परता को दर्शाता है।

भारत के आपराधिक न्याय सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर में, अनंतनाग पुलिस ने 16 अप्रैल, 2025 को नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली सजा हासिल की। एफआईआर के आधार पर यह मामला पुनर्गठित दंड कानून ढांचे के आवेदन और प्रवर्तन के लिए एक मिसाल कायम करता है और बेहतर प्रक्रियात्मक दक्षता और खोजी जवाबदेही पर प्रकाश डालता है।

संक्षिप्त इतिहास:

यह मामला हावोरा मुंशी पोरा के निवासी श्री एबी जशीद अली द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 को मेहंदी कदल, अनंतनाग से अपने लोड कैरियर ऑटो की चोरी की सूचना दी थी। इस शिकायत के आधार पर, अनंतनाग पुलिस ने धारा 303 (2) (चोरी से संबंधित) और 238 सबूत गायब करने से संबंधित मैं तहत मामला दर्ज किया।

अनंतनाग पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल शब्बीर अहमद और एसएचओ इंस्पेक्टर माजिद हसन खान के नेतृत्व में जांच ने जल्दी से दो आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया:

1. रसूक अहमद भट
2. अयान वानी,
   (दोनों निवासी बंगाईदार, अनंतनाग)

पूछताछ करने पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और चोरी का ऑटो बरामद कर लिया गया।

विश्लेषण

यह मामला न केवल बीएनएस के तहत पहली सजा होने के लिए उल्लेखनीय है, बल्कि नए आपराधिक

न्याय प्रणाली के तहत कल्पना की गई बढ़ी हुई दक्षता और जवाबदेही का प्रदर्शन करने के लिए भी उल्लेखनीय है । कार्यान्वयन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट हैं:

- त्वरित एफआईआर पंजीकरण और केंद्रित जांच ने त्वरित न्याय सुनिश्चित किया।
- तकनीकी समन्वय, हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, मामले की समय पर वसूली और प्रसंस्करण से अनुमान लगाया जाता है।
- समयबद्ध जांच और त्वरित न्यायिक प्रसंस्करण प्रक्रियात्मक देरी को कम करने पर जोर देते हैं - बीएनएस का एक प्राथमिक उद्देश्य।
- जांच के नेतृत्व वाली पुलिसिंग और नए प्रक्रियात्मक ढांचे के तहत जांच अधिकारियों की बढ़ती जवाबदेही ने संभवतः त्वरित परिणाम का समर्थन किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु-

- कार्यान्वयन के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ऐतिहासिक पहली सजा।
- रिपोर्टिंग के 15 दिनों के भीतर मामला हल किया गया और दोषी ठहराया गया - पुरानी प्रणाली के तहत विलंबित परीक्षणों से एक बड़ा प्रस्थान।
- कुशल जांच और चोरी की संपत्ति की बरामदगी नई कानूनी व्यवस्था के तहत पुलिस की परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करती है।
- 3 महीने का न्यायिक कारावास और प्रत्येक ₹ 3,000 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिनों के कारावास के अतिरिक्त निवारक के साथ , संतुलित सजा को चिह्नित करता है।
- नये कानूनी ढांचे के तहत पुलिस और न्यायपालिका के बीच समन्वय पर प्रकाश डाला।

निष्कर्षः-

यह सजा भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बदलते प्रतिमान का प्रतीक है – जो तेज, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित न्याय को बढ़ावा देती है। अनंतनाग पुलिस का मामला भारतीय न्याय संहिता को लागू करने में तत्परता को दर्शाता है और नए सुधारित कानूनों के साथ आगे बढ़ने वाले अन्य न्यायालयों के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा है।

वृत्तांत संख्या - 23 : मध्य प्रदेश

शीर्षक: *न्याय जिसने इंतजार नहीं किया: बीएनएस-2023 के तहत त्वरित दोषसिद्धि का मामला जिसमें प्रौद्योगिकी, फोरेंसिक विशेषज्ञता, और पुलिस कुशलता से सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को न्याय मिला*

21 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के रीवा में एक झरने के पास एक भयावह सामूहिक बलात्कार की घटना में, आठ आरोपियों ने एक महिला के साथ क्रूरता से मारपीट की, जबकि उसके पति को जबरन पकड़कर धमकाया गया। एक प्राथमिकी दर्ज की गई, मामले की फोरेंसिक जांच की गई - जैविक निशान, मोबाइल लोकेशन डेटा, वीडियो साक्ष्य और डीएनए नमूने एकत्र किए गए - जिससे कुछ ही दिनों में पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकी। 28 मार्च 2025 को बीएनएस, 2023 की धारा 70(1), 127(2), 115, 351(3), 296, 79, 238 और 3(5) के तहत आरोप तय किए गए। पूरी जांच सिर्फ 32 दिनों में पूरी हुई और एक हफ्ते से भी कम समय में मुकदमा खत्म हुआ, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। सभी आठों को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही प्रत्येक पर 2.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला अपनी फोरेंसिक ताकत, पीड़िता के प्रति दयालु व्यवहार और 5 महीने और 12 दिनों के भीतर न्याय के त्वरित वितरण के लिए उल्लेखनीय है, जो बीएनएस, 2023 के तहत भारत की सुधारित कानूनी प्रणाली की परिवर्तनकारी शक्ति की पुष्टि करता है।

21 अक्टूबर 2024 को, रीवा जिले के गुढ़ में भैरव बाबा मंदिर के पास एक सुरम्य झरने पर एक जोड़े के लिए शांतिपूर्ण सैर के रूप में जो शुरू हुआ, वह अकल्पनीय आतंक में समाप्त हुआ। कॉलेज का दौरा दर्शनीय स्थलों की यात्रा, प्रार्थना और शांति के लिए एक छोटी यात्रा में बदल गया था, लेकिन उस दोपहर के अंत तक, दंपति एक क्रूर और अमानवीय अपराध के शिकार हो गए - एक ऐसी घटना जिसने पूरे क्षेत्र की अंतरात्मा को हिला दिया।

हालांकि, यह सिर्फ एक जघन्य कृत्य की कहानी नहीं है। यह भी कहानी है कि जब जांच विज्ञान द्वारा समर्थित हो, ईमानदारी से संचालित हो, और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 जैसे नए कानूनी उपकरणों द्वारा संचालित हो, तो न्याय कैसे हो सकता है।

घटना: सुंदरता के पीछे हिंसा

पीड़िता के बयान के अनुसार, वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर गुढ़ कॉलेज गई थी। अपना काम पूरा करने के बाद, उन्होंने भैरव बाबा मंदिर का दौरा किया, प्रार्थना की, और फिर पास के झरने पर जाने का फैसला किया - स्थानीय लोगों के बीच जाना जाने वाला एक सुंदर, शांतिपूर्ण स्थान।

लगभग 2:00 बजे, जैसे ही वे झरने के ऊपरी हिस्से के पास एक चट्टानी क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने देखा कि 4-5 युवक कुछ दूरी पर नहा रहे हैं। यह सोचकर दंपति आगे बढ़े और बात करने के लिए एक बोल्डर पर बैठ गए। अचानक, लड़कों में से एक चट्टान के पीछे से दिखाई दिया और उनसे पूछताछ करने लगा। दंपति

के यह स्पष्ट करने के बावजूद कि वे पति-पत्नी थे और झरने पर घूमने आए थे, लड़के ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया।

इसके बाद जो हुआ वह भयावह था। चार अन्य लड़के शामिल हो गए, गालियां देना शुरू कर दिया, और पति को शारीरिक रूप से मारना शुरू कर दिया। जब पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे धमकाकर पकड़ लिया गया। पति को घसीटा गया, और क्रूरता के एक भयानक कृत्य में, पुरुषों ने पूरे अपराध को फिल्माते हुए एक के बाद एक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। भागने से पहले, उन्होंने धमकी दी कि अगर उनने किसी को बताया तो वीडियो को वायरल कर देंगे।

सदमे और गहरे आघात से पीड़ित दंपति ने अगले ही दिन, 22 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्टेशन में अपराध की रिपोर्ट करने का साहस जुटाया।

मामला दर्ज करना: त्वरित, संवेदनशील, वैज्ञानिक

गुढ़ के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सब इंस्पेक्टर शैल कुमार यादव ने तुरंत मामला दर्ज किया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 296, 127(2), 115, 351(3), 70(1), 79 और 3(5) के तहत गैंगरेप, धमकी, हिंसा, साजिश और अपराध में सहायता करने से संबंधित गंभीर आरोप शामिल थे।

शुरू से ही, एसआई यादव ने पेशेवर और करुणा दोनों के साथ मामले को लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाए। जबकि भावनात्मक समर्थन प्रदान किया गया था, जांच फोरेंसिक प्रोटोकॉल पर बहुत अधिक केंद्रित थी।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को तुरंत घटनास्थल (एसओसी) पर बुलाया गया। झरने और चट्टानों के आसपास के पूरे क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच की गई। एफएसएल विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भौतिक और जैविक साक्ष्य एकत्र किए, जिनमें शामिल हैं:

- शारीरिक तरल पदार्थों के साथ मिट्टी और वनस्पति के नमूने
- बाल, पैरों के निशान और उंगलियों के निशान
- डीएनए विश्लेषण के लिए पीड़ित के कपड़े
- क्षेत्र से स्थान लॉग और मोबाइल टॉवर डेटा
- फोन ट्रैकिंग और किसी भी लीक वीडियो फाइल से संबंधित डिजिटल फोरेंसिक

फील्ड इंटेलिजेंस के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य के संयोजन से, मामला इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया कि आधुनिक आपराधिक जांच कैसे संचालित होनी चाहिए।

अपराध को क्रैक करना: अज्ञात से पहचान की गई

शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपी अज्ञात थे, और क्षेत्र एकांत था। एसआई यादव ने एक समर्पित टीम बनाई और स्थानीय खुफिया नेटवर्क में टैप किया, जिसमें ग्राम रक्षा दल (वीडीपी), वन रक्षक और कॉलेज के युवा संपर्क शामिल थे। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप डेटा का गहन विश्लेषण किया गया।

कुछ ही दिनों में संदेह आसपास के गांवों के युवकों के एक समूह पर छा गया। कठोर पूछताछ और डिजिटल निगरानी के कारण आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सभी ने बाद में हिरासत में पूछताछ के दौरान कबूल कर लिया।

फिर भी, इसके बाद जो हुआ वह चुप्पी या देरी नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तत्काल, दृढ़ प्रतिक्रिया थी, जिसे आधुनिक फोरेंसिक और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत सुधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का समर्थन प्राप्त था. यह व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी- एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक- केवल 5 महीने और 12 दिनों में न्याय दिलाया।

घटना और अपराध स्थल

महिला, जिसकी पहचान सुरक्षित है, पर दबाव डालकर आठ आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया। उनमें से छह ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया, जबकि दो अन्य ने हमले में मदद की। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में से एक ने घटना को वीडियो पर रिकॉर्ड किया, जिसका इरादा या तो ब्लैकमेल करना था या इसे वितरित करना था - शारीरिक नुकसान से परे अपमान की आपराधिक मानसिकता को उजागर करना।

वैज्ञानिक जांच और तेजी से कार्रवाई

गुढ़ पुलिस की टीम, मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता से अवगत थी, कार्रवाई में जुट गई। अपराध के दृश्य (एसओसी) को सुरक्षित करने और सभी संभावित सामग्री और जैविक सबूत इकट्ठा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। आइटम जैसे:

- पीड़िता के कपड़े,
- आरोपी व्यक्तियों के वीर्य के नमूने,
- बाल,
- मिट्टी के नमूने,
- पैरों के निशान
- वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल डिवाइस

फोरेंसिक परिशुद्धता के साथ एकत्र किए गए थे और विश्लेषण के लिए तुरंत राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था।

सभी आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाले गए और उनकी आवाजाही के साथ मैप किए गए। घटना की समयरेखा की पुष्टि तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य द्वारा की गई थी, जो एक एयरटाइट मामला प्रदान करता था जिसने संदेह के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी।

दक्षता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, पूरी जांच एक महीने के भीतर पूरी हो गई थी, और अपराध के ठीक 32 दिन बाद 23 नवंबर 2024 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

आरोप तय किए गए और मुकदमा शुरू

आरोपियों पर बीएनएस, 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था:

- धारा 70(1): गैंगरेप
- धारा 127 (2): सदोष परिरोध
- धारा 115: चोट पहुँचाना
- धारा 296: अश्लील कृत्य
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी
- धारा 79: महिला का अपमान
- धारा 238: सबूत मिटाना
- धारा 3(5): गंभीर यौन अपराधों के लिए विशेष प्रावधान

अदालत ने 28 मार्च 2025 को जांच फाइल की गहनता, फोरेंसिक साक्ष्य और चिकित्सा अधिकारियों, चश्मदीद गवाहों और खुद पीड़िता के बयानों की समीक्षा करने के बाद आरोप तय किए। ध्यान केंद्रित करने और दैनिक सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया था।

दोषसिद्धि और सजा

2 अप्रैल 2025 को, आरोप तय करने के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराया गया था- छह सीधे सामूहिक बलात्कार करने के लिए, और दो अपराध में सहायता करने और उकसाने में उनकी भूमिका के लिए।

एक दृढ़ और ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने सजा सुनाई:-

- बीएनएस की धारा 70 (1) के तहत आठ अभियुक्तों में से प्रत्येक को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास
- प्रत्येक दोषी को ₹2.3 लाख का जुर्माना देना होगा

अदालत ने कहा कि इस तरह के "अमानवीय कृत्य न केवल पीड़ितों के जीवन को नष्ट करते हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोरते हैं। रिकॉर्ड किया गया वीडियो, आरोपी की रक्षा करने के बजाय, हानिकारक सबूत बन गया जिसने उचित संदेह से परे अपराध स्थापित किया।

पीड़ित, चिकित्सा अधिकारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की गवाही, वैज्ञानिक सबूतों के साथ, सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

यह मामला क्यों मायने रखता है

यह मामला कई कारणों से भारत के कानूनी परिदृश्य में आशा और प्रगति की किरण के रूप में खड़ा है:

1. आधुनिक फोरेंसिक का उपयोग: डीएनए विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन के सबूत, और अपराध के दृश्य के वैज्ञानिक मानचित्रण ने उद्देश्यपूर्ण, अकाट्य सबूत प्रदान किए।
2. त्वरित पुलिस कार्रवाई: 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज होने और एक महीने के भीतर जांच पूरी होने के साथ, मध्य प्रदेश पुलिस ने दुर्लभ दक्षता का प्रदर्शन किया।
3. भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रभावी कार्यान्वयन: नव अधिनियमित आपराधिक कानून विशेष रूप से यौन अपराधों, उकसाने और षड्यंत्र पर इसकी संशोधित धाराओं के साथ मज़बूत साबित हुआ। इसने अभियोजन पक्ष को विशिष्ट, लागू करने योग्य आरोप दायर करने में सक्षम बनाया।
4. फास्ट-ट्रैक जस्टिस: केवल 5 महीने और 12 दिनों में हासिल की गई सजा के साथ, पीड़िता को वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ा या लंबे समय तक चले मुकदमे में बार-बार अपने आघात को नहीं झेलना पड़ा।
5. पीड़ित-केन्द्रित दृष्टिकोण: अदालत के फैसले और पुलिस के प्रयासों ने पीड़िता की गरिमा, सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित किया।

निष्कर्ष: न्याय की कहानी, सिर्फ एक अपराध नहीं

मध्य प्रदेश का गुढ़ गैंगरेप मामला सिर्फ अपराध और सजा का मामला नहीं है, यह भारत की विकसित न्याय प्रणाली में एक मील का पत्थर है। यह साबित करता है कि दृढ़ संकल्प, डिजिटल उपकरण, कानूनी सुधार और संवेदनशीलता के साथ, यहां तक कि सबसे भयानक अपराधों का भी तात्कालिकता, सटीकता और सहानुभूति के साथ जवाब दिया जा सकता है।

इस कहानी को बताया जाना चाहिए - न केवल त्रासदी के लिए - बल्कि पीड़िता की हिम्मत, जांचकर्ताओं के साहस और कानून की शक्ति, को उजागर करने के संबंध मैं समझना चाहिए।

यह देश भर के पीड़ितों के लिए एक संदेश है: न्याय दूर नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। और आपकी बात सुनी जाएगी।

वृत्तांत संख्या-24 : मध्य प्रदेश

शीर्षक: *नए आपराधिक कानूनों के तहत भारत में पहला ट्रिपल मौत की सजा का मामला*

भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला आया: बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत पहली बार तीन लोगों को मौत की सजा दी गई। एसीपी अंकिता खातरकर की एसआईटी ने उन्नत फोरेंसिक उपकरणों और डीएनए साक्ष्यों का उपयोग करके अपराध की सावधानीपूर्वक जांच की। अदालत ने क्रूरता की निंदा की और पुलिस की त्वरित और पेशेवर कार्रवाई की सराहना की। अपराध को छिपाने में मदद करने वाले सह-आरोपी को दो साल की सजा मिली। मुकदमे के 97 दिनों के भीतर मामला समाप्त हो गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

24/09/2024 को वाजपेयी नगर में गरीब वर्ग के लिए घनी आबादी वाले मल्टी ब्लॉक सरकारी आवास परिसर ईदगाह हिल्स, भोपाल से 5 वर्षीय लड़की के लापता होने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल के थाना शाहजहानाबाद में धारा 137 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 2500 से अधिक फ्लैटों वाले परिसर में लगभग 300 पुलिसकर्मियों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और तलाशी अभियान के दौरान उचित घेराबंदी की गई, पुलिस ने बच्ची के घर के पास एक फ्लैट में पानी की टंकी में लड़की का शव पाया।

उसके लापता होने के लगभग 24 घंटे बाद। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आरोपियों के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में कानून-व्यवस्था का दृश्य उभरा। दो आरोपियों, मुख्य अपराधी की मां और बहन से पूछताछ की गई व फ्लैट में मौजूद बच्चे के शव को जब्ती की सभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया था। अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था, और आगे की जांच के लिए पुलिस गार्ड रखे गए थे। वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार के साथ एक ठोस और लंबी बातचीत की और उन्हें न्याय के बारे में आश्वस्त करने के लिए भीड़ इकट्ठा की। एम्स भोपाल में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। शव की संक्षिप्त पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह पुष्टि की गई कि लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, और धारा 103, 65 (2), 64 (27), 64 (2) (2), 64 (2) (एम), 132, 66, 211, 238 (1) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (1), 5 (एम), 5 (आर), 5 (एच), 5 (टी) 16,19, 21 को अपराध में जोड़ा गया था।

भोपाल के पुलिस आयुक्त ने एसीपी श्रीमती अंकिता खटरकर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन

किया, जिसमें मुख्य सहायक जांच अधिकारी श्रीमती योगिता जैन की सहायता से, जो डीसीपी सेंट्रल जोन, श्री रियाज जमाल, आईपीएस और एडिशनल डीसीपी श्रीमती शालिनी दीक्षित की गहन निगरानी में जो प्रारंभिक चरणों से मामले को संभाल रही थीं। कुछ ही घंटों के भीतर, मुख्य आरोपी को भोपाल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। उपरोक्त टीम ने फ्लैट के अंदर हत्या के वास्तविक स्थान की पहचान करने के लिए कई बार मौके का दौरा किया। वैज्ञानिक रूप से, इस तथ्य को स्थापित किया कि आरोपी अकेला था और बलात्कार और हत्या करने और बाथरूम के ऊपर एक रैक में शव को छिपाने में शामिल था। यह 4.5 फीट गहरा रैक था, मुख्य कारण पुलिस खोज की पहली लहर में इसका पता नहीं लगा सकी। अपराध के दृश्य को फिर से बनाया गया था, और एफएसएल टीम की मदद से भौतिक और रासायनिक विश्लेषण के अनुसार सभी तथ्यों को सत्यापित किया गया था। शव, हत्या की जगह, हथियार, शव को ठिकाने लगाने की जगह और आरोपी के शरीर से कई डीएनए नमूने एकत्र किए गए और बिना किसी संदेह के पूरे प्रकरण को स्थापित करने के लिए सकारात्मक रूप से मिलान किया गया। इसके अलावा अन्य 2 अपराधियों के खिलाफ सबूत एकत्र किए गए, उसकी मां और बहन ने मुख्य आरोपी को फरार होने में मदद की, पुलिस तलाशी के दौरान तथ्यों को छिपाया और बाद में एसओसी टीम ने फोरेंसिक, कानूनी अधिकारियों के साथ 12 विस्तृत केस डायरी चर्चा बैठकें कीं ताकि पूरी जांच और परीक्षण के दौरान कोई कमी न हो। त्वरित सुनवाई के लिए मामले को फास्ट ट्रैक चयनित संवेदनशील मामले के रूप में अधिसूचित किया गया था।

फास्ट ट्रैक मामले के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा एक विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया था। मामले की प्रकृति को देखते हुए, माननीय पॉक्सो कोर्ट ने केवल 97 दिनों में ट्रायल पूरा किया और एकत्रित साक्ष्यों और सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट, गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को दुर्लभ से दुर्लभ मानते हुए, मुख्य आरोपी को ट्रिपल फांसी की सजा और सह-आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पीड़ित को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। मुकदमे के बीच, बचाव पक्ष ने कुछ झूठे दस्तावेजों के आधार पर 'आरोपी की मानसिक बीमारी' का तर्क देने की कोशिश की, एसआईटी ने एक योग्य पूर्ण मेडिकल पैनल के सामने अपराधी को पेश करने के लिए अदालत से फिर से अनुमति ली। आरोपी को गहन परीक्षणों और निदान के बाद मनोचिकित्सकों और चिकित्सकों के एक मेडिकल पैनल द्वारा पूर्ण रूप से मानसिक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसमें बचाव पक्ष के कदम को हराया गया था

माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि यदि मृत्युदंड से बड़ी सजा होती तो पुरुष पिशाच इसका हकदार होता। अदालत ने पेशेवर जांच, सबूतों की गुणवत्ता, समय पर कार्रवाई पर विचार करने के लिए पुलिस टीम को बधाई दी।

मौके पर भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति।

नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश में यह पहला संवेदनशील और सनसनीखेज मामला था जिसमें बीएनएसएस अधिनियम के अनुसार तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के सख्त प्रावधानों का पालन किया गया था। टीम ने तेजी से सीखा और अपराधी को नए बीएनएस के तहत सख्त सजा देने के लिए बीएनएसएस का त्रुटिपूर्ण रूप से पालन किया।

अधिकारी द्वारा विशेष योगदान

अपराध की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त ने एसीपी श्रीमती अंकिता खटरकर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया

01 आरोपी को फोन लोकेशन और मानव बुद्धि के आधार पर कुछ घंटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया

2 जांच के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जिस फ्लैट से शव बरामद हुआ था, वहां लड़की के साथ रेप और हत्या की गई थी या फिर क्राइम सीन कहीं और था। एसीपी श्रीमती अंकिता खटरकर ने एसआईटी के साथ कई बार एसओसी का दौरा करके और वैज्ञानिक तरीकों से एफएसएल और डीएनए विश्लेषण करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

03 एसआईटी के प्रमुख के रूप में वीडियोग्राफी के साथ सभी खोजों और जब्ती के लिए नए बीएनएसएस का पालन करने में टीम को सीखने और मार्गदर्शन करने में एफएसएल विश्लेषण के लिए दस्तावेजों का उचित मसौदा तैयार करना और अन्य सबूतों के साथ इसकी पुष्टि करना।

04 मुकदमे के बीच, बचाव पक्ष ने कुछ झूठे दस्तावेजों के आधार पर आरोपी की मानसिक बीमारी का मामला साबित करने की कोशिश की, एसीपी श्रीमती अंकिता खटरकर और एसआईटी ने फिर से काम किया और उसे मनोचिकित्सकों और चिकित्सकों से युक्त एक मेडिकल पैनल द्वारा मानसिक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया।

05 एसआईटी के प्रमुख के रूप में उचित विचारण निगरानी और अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय।

06 डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण का उचित रूप से पालन करना कानूनी अधिकारियों के परामर्श पर बिंदुवार और वैज्ञानिक रूप से।

07 फ्लैट के अंदर हुई पूरी ब्लाइंड घटना को साबित करने के लिए अपराध के दृश्य का रूपांकन।

08 पॉक्सो मामले के लिए अन्य सभी कानूनी औपचारिकताओं को सुनिश्चित किया गया जिसमें उम्र साबित करना, पितृत्व की पहचान करना शामिल है क्योंकि शव सड़ना शुरू हो गया था।

09 एसीपी अंकिता खटरकर ने प्रोफेशनल क्षमता के साथ नए कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए महज 78 दिनों में जांच पूरी की और माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की।

एसआईटी ने उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया है और कुशल और प्रभावी जांच करके मामले को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वृत्तांत संख्या-25 : मेघालय

शीर्षक: *बीएनएस, 2023 के तहत घातक सड़क दुर्घटना दोषी: मेघालय ने वाहन हत्या मामले में त्वरित न्याय प्रदान किया*

22 जुलाई 2024 को मेघालय के साउथ गारो हिल्स में एक पैदल यात्री को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार पीटर ने टक्कर मार दी। उसी दिन बीएनएस, 2023 की धारा 281 और 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच में कानूनी जांच, यांत्रिक निरीक्षण और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल थी। 28 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी गई और मुकदमा तुरंत आगे बढ़ा। 4 फरवरी 2025 को अदालत ने पीटर को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि बीएनएस, 2023 के तहत, सड़क पर लापरवाही के मामलों को भी गंभीरता से लिया जाता है और सार्वजनिक सड़कों पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए तत्परता से मुकदमा चलाया जाता है।

परिचय:

दक्षिण गारो हिल्स के पहाड़ी इलाकों में, एक शांत सड़क पर एक दुखद दुर्घटना एक निर्दोष नागरिक की असामयिक मृत्यु का कारण बनी। लेकिन जो एक लंबी जांच हो सकती थी, उसे बीएनएस, 2023 के तहत सटीक, व्यावसायिकता और समय पर दृढ़ विश्वास के साथ संभाला गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यातायात से संबंधित मौतों को भी वह गंभीरता प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं।

घटना:

22 जुलाई 2024 को करीब 7:30 सुबह सिमकलांग्रे, चोकपॉट-12वीं माइल पीडब्ल्यूडी रोड पर एक दुर्घटना घटी। आरोपी *पीटर* (29 वर्ष) अपनी बजाज प्लेटिना 110 सीसी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था। तुरा से चोकपॉट की ओर यात्रा करते हुए, जब वह एक पैदल यात्री, *54 वर्षीय एंड्रयू* से टकरा गया, जो सड़क के किनारे था। दोनों को तुरंत तुरा सिविल अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से, *एंड्रयू* को उपस्थित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया था।

जांच प्रक्रिया:

सूचना मिलने पर, एसआई *केविन* और उनके कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर जांच शुरू की। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में तुरा सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में कानूनी जांच की गई। पोस्टमार्टम पूरा हो गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया।

प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद, उसी दिन संगनीग्रे पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 281 और 106 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में

दुर्घटनास्थल, मोटरसाइकिल की यांत्रिक स्थिति, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मृतक और आरोपी दोनों की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की गई। बाहरी आपराधिक इरादे का कोई सबूत नहीं था, लेकिन जांच में स्पष्ट लापरवाही और तेज ड्राइविंग की पुष्टि हुई, लापरवाही से हत्या से निपटने वाले बीएनएस -2023 के प्रावधानों के तहत दोष स्थापित किया गया।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

चार्जशीट 28 सितंबर 2024 को दायर की गई थी। अदालत ने संज्ञान लिया और तुरंत सुनवाई शुरू की। सभी गवाहों की गवाही, पुलिस जब्ती रिकॉर्ड, पूछताछ के निष्कर्ष और पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत अभियोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ।

दोषसिद्धि और सजा:

4 फरवरी 2025 को, माननीय न्यायालय ने *पीटर को* धारा 281 और 106 (1) बीएनएस के तहत लापरवाही से ड्राइविंग के लिए दोषी पाया, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। उन्हें दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष:

यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बीएनएस, 2023 के तहत, घातक सड़क दुर्घटनाओं को भी अब हल्के में नहीं लिया जाता है। त्वरित एफआईआर, वैज्ञानिक जांच और समय पर सुनवाई ने सुनिश्चित किया कि जिम्मेदारी तय की गई और घटना के 7 महीने के भीतर न्याय दिया गया। इस मामले से पता चलता है कि सार्वजनिक सड़कों पर लापरवाही नई कानूनी प्रणाली के तहत तेजी से कानूनी परिणामों को आकर्षित करेगी।

वृत्तांत संख्या-26 : मिजोरम

शीर्षक: *छोटी चोरी, त्वरित न्याय: सीसीटीवी साक्ष्य बीएनएस, 2023 के तहत मिजोरम में तेजी से सजा*

मिजोरम के आइजोल में 26 अगस्त 2024 को टी-शर्ट और शर्ट से जुड़ी एक छोटी सी दुकान में चोरी की घटना हुई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी गिंगोथांग की पहचान की गई और उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। वैज्ञानिक दस्तावेज और चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी ने एक ठोस मामला बनाने में मदद की। 9 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई और अदालत ने 13 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया - एफआईआर के सिर्फ 109 दिन बाद। आरोपी को 3 महीने की साधारण कैद और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया। यह मामला दिखाता है कि कैसे बीएनएसएस, 2023 के फास्ट-ट्रैक प्रोटोकॉल की बदौलत अब छोटी-छोटी चोरियों को भी अनदेखा नहीं किया जाता है।

परिचय:

मिजोरम के आइजोल की शांतिपूर्ण पहाड़ियों में, यहां तक कि एक छोटी सी दुकान की चोरी को भी पूरी गंभीरता और प्रक्रियात्मक कठोरता के साथ संभाला गया था, जिससे साबित होता है कि भारत के सुधारित आपराधिक ढांचे के तहत न्याय के लिए कोई भी अपराध बहुत मामूली नहीं है। यह मामला इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गया कि कैसे डिजिटल साक्ष्य और त्वरित न्यायिक प्रतिक्रिया बीएनएस, 2023 के लिए मामूली चोरी को भी सफलता की कहानी में बदल सकती है।

घटना:

26 अगस्त 2024 को, आइजोल में एक दुकानदार ने मामूली मौद्रिक मूल्य लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्तिगत नुकसान के लिए छह टी-शर्ट और दो शर्ट की चोरी की सूचना दी। बीएनएस, 2023 की धारा 305 (ए), 331 (3), और 331 (4) के तहत तुरंत एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें नई कानूनी व्यवस्था के तहत कम मूल्य वाले अपराधों के लिए भी शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया।

जांच प्रक्रिया:

जांच उसी दिन तीव्र गति के साथ शुरू की गई थी। आसपास की दुकानों से सीसीटीवी फुटेज को पुनः प्राप्त किया गया और सावधानीपूर्वक जांच की गई। घंटों के भीतर, गिंगोथांग के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को फुटेज पर देखा गया और पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से चोरी के कपड़े पूरी तरह से बरामद किए गए थे। जांच अधिकारियों ने

सावधानीपूर्वक फोरेंसिक तस्वीरों के माध्यम से जब्ती का दस्तावेजीकरण किया, जब्ती ज्ञापन तैयार किए, और दुकान के कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शी सभी गवाहों के बयान दर्ज किए। चार्जशीट को तैयार किया गया था और 9 अक्टूबर 2024 को केवल 40 दिनों के भीतर कुशलतापूर्वक से दायर किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

चार्जशीट दाखिल करने के तुरंत बाद, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय किए और प्रक्रियात्मक देरी के बिना मुकदमा शुरू किया। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज, जब्ती दस्तावेज और गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिसने सामूहिक रूप से संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मामला निर्बाध रूप से आगे बढ़ा, दैनिक सुनवाई निरंतर प्रगति सुनिश्चित करती है।

दोषसिद्धि और सजा:

अदालत ने एफआईआर दर्ज होने के 109 दिन बाद 13 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी ठहराया गया और तीन महीने के साधारण कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना और डिफ़ॉल्ट के मामले में अतिरिक्त एक महीने की सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष:

हालांकि मौद्रिक मूल्य में मामूली, यह मामला शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित करता है कि कैसे बीएनएसएस, 2023 यह सुनिश्चित करता है कि छोटे अपराधों पर भी तुरंत ध्यान दिया जाए और तेजी से कानूनी कार्यवाही की जाए। वास्तविक समय की निगरानी, वैज्ञानिक दस्तावेज़ीकरण और फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रसंस्करण के संयोजन ने केवल साढ़े 3 महीनों में पूर्ण संकल्प लाया, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ कि हर पीड़ित, मामले के आकार की परवाह किए बिना, न्याय प्रदान करेगा।

वृत्तांत संख्या-27 : मिजोरम

शीर्षक: *ई-साक्ष्य संचालित न्याय: आइजोल में चोरी के लिए त्वरित ट्रायल*

16 सितंबर 2024 को, मिजोरम के आइजोल में ऑनलाइन स्टोर में चोरी की सूचना मिली। जांच दल ने वीडियो फुटेज सहित साक्ष्य रिकॉर्ड करने और प्रबंधित करने के लिए ई-साक्ष्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया। कुछ ही दिनों में, आरोपी सैमुअल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोप पत्र तुरंत दायर किया गया और 30 सितंबर 2024 को आरोप तय किए गए-सिर्फ़ 14 दिन बाद। मुकदमा जल्दी खत्म हो गया और 8 नवंबर को अदालत ने सैमुअल को 3 महीने की कैद और ₹1,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई। 53 दिनों तक चला यह मामला बीएनएसएस के तहत डिजिटल पुलिसिंग और कुशल ट्रायल डिलीवरी में एक बेंचमार्क है।

परिचय:

मिजोरम के शांतिपूर्ण शहर आइजोल में, चोरी का एक मामूली सा मामला जल्दी ही इस बात के प्रदर्शन में बदल गया कि कैसे आधुनिक तकनीक और बीएनएस, 2023 मिलकर त्वरित न्याय दे सकते हैं। जो एक अनसुलझा मामला रह सकता था, उसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके कुशलता से क्रैक किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीड़ित अनसुना न रहे।

घटना:

16 सितंबर 2024 को, आर्म्ड वेंग के *ज़ोरेमसांगा* ने आइजोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके ऑनलाइन स्टोर से कपड़े चोरी हो गए थे। चोरी संपत्ति को किसी भी शारीरिक क्षति के बिना हुई। बीएनएस की धारा 331 (3), 331 (4) और 305 (ए) के तहत एफआईआर तुरंत दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

जांच अधिकारी ने व्यवस्थित रूप से साक्ष्य रिकॉर्ड करने और प्रबंधित करने के लिए ई-साक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। व्यापक अपराध दृश्य वीडियोग्राफी आयोजित की गई थी, और क्षेत्र निगरानी का गहन विश्लेषण किया गया था। आखिरकार, संदिग्ध, *सैमुअल को* पकड़ लिया गया और चोरी करने की बात कबूल कर ली गई। पूरी साक्ष्य श्रृंखला को सुरक्षित रूप से प्रलेखित किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामला मजबूत था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

आरोप पत्र दाखिल करने के केवल 14 दिन बाद 30

सितंबर 2024 को आरोप तय किए गए थे। मुकदमे का तेजी से विचारण किया गया, जिससे तेज और निर्णायक कार्यवाही सुनिश्चित हुई।

दोषसिद्धि और सजा:

8 नवंबर 2024 को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 महीने के साधारण कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। डिफ़ॉल्ट रूप से, अतिरिक्त एक महीने का कारावास लगाया गया था।

निष्कर्ष:

एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक 53 दिनों के भीतर मामला पूरा हो गया था। ई-साक्षी प्रणाली का उपयोग बीएनएसएस के तहत डिजिटल पुलिसिंग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, जो त्वरित, पारदर्शी और कुशल न्याय वितरण को सक्षम बनाता है।

वृत्तांत संख्या-28 : ओडिशा

शीर्षक: *नशे में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना: बीएनएस और एमवी अधिनियम के तहत नशे में ड्राइविंग के लिए रिकॉर्ड समय में 6 दिन की जेल की सजा सुनाई गई*

21 जनवरी 2025 को, ओडिशा के कटक में, एक मोटरसाइकिल चालक नशे में गाड़ी चलाते हुए और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालते हुए पकड़ा गया। ब्रीथएनालाइज़र से नशे की पुष्टि हुई और बीएनएस, 2023 की धारा 281 और MV अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच साफ और तथ्यात्मक थी। आरोप तय किए गए और मुकदमा तेजी से चलाया गया। 24 फरवरी 2025 को - सिर्फ़ 34 दिन बाद - आरोपी को 6 दिन की साधारण कैद और ₹10,500 का जुर्माना लगाया गया। यह मामला दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक सुरक्षा उल्लंघनों को अब तुरंत सज़ा मिलती है, जिससे सुधारित कानूनी व्यवस्था के तहत सड़कों पर अनुशासन मजबूत होता है।

परिचय:

कटक के अपनिया चौक के व्यस्त चौराहे पर, एक नियमित वाहन जांच इस बात का एक त्वरित उदाहरण बन गई कि कैसे बीएनएसएस-2023 पुलिस और अदालतों को सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों के लिए तत्काल परिणाम देने का अधिकार देता है। यह मामला, हालांकि संरचना में सरल है, अपने संदेश में लंबा खड़ा है: सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक व्यवहार अब अप्रकाशित नहीं होगा।

घटना:

21 जनवरी 2025 को, नियमित सड़क जाँच कार्यों के दौरान, ओडिशा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को रोका जो स्पष्ट रूप से लापरवाह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। संदिग्ध *देबोजीत* को रोका गया और ब्रीथएनालाइज़र टेस्ट किया गया, जिसमें उसके सिस्टम में अल्कोहल के उच्च स्तर की पुष्टि हुई। उनकी अनियमित सवारी ने कई पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को जोखिम में डाल दिया था। उसी दिन बीएनएस, 2023 की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

जांच सीधी लेकिन पूरी तरह से थी। ब्रेथएनालाइजर रिपोर्ट, हस्ताक्षरित गवाहों के बयान, पुलिस जब्ती रिकॉर्ड, और वाहन और घटना स्थल की तस्वीरें तेजी से संकलित की गईं। मामले की सरलता और आरोपी के स्पष्ट कबूलनामे को देखते हुए, कुछ दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की गई थी, अभियोजन पक्ष ने तथ्यों की एक साफ प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी स्तर पर कोई देरी न हो।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

रिकॉर्ड समय में आरोप तय किए गए और मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ा। अदालत ने अभियोजन पक्ष की तत्परता की सराहना की, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक, वैज्ञानिक और निर्विरोध सबूतों पर निर्भर थी। सुनवाई अनावश्यक स्थगन के बिना जल्दी से समाप्त हो गई।

दोषसिद्धि और सजा:

24 फरवरी 2025 को, एफआईआर के ठीक 34 दिन बाद, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। *देबोजीत* को 6 दिन के साधारण कारावास और 10,500 रुपये के मौद्रिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह वाक्य जानबूझकर तेज और तीखा था, जिसे भारतीय सड़कों पर जवाबदेही के बारे में एक सार्वजनिक संदेश भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

निष्कर्ष:

मामले की जांच की गई, मुकदमा चलाया गया, कोशिश की गई और पांच सप्ताह से भी कम समय में समाप्त हो गया। यह मामला साबित करता है कि बीएनएस, 2023 के तहत, यहां तक कि एक भी ब्रेथएनालाइजर परीक्षण, मेहनती दस्तावेजों द्वारा समर्थित, एक त्वरित कानूनी प्रतिक्रिया दे सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा अपराध, जिन्हें अक्सर अतीत में अनदेखा या कम करके आंका जाता था, अब गंभीरता से लिया जा रहा है, उत्तरदायी पुलिसिंग और न्यायिक कार्रवाई के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है।

वृत्तांत संख्या-29 : ओडिशा

शीर्षक : *यौन उत्पीड़न के आरोप में पिता को दोषी ठहराया गया: बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 साल की सजा सुनाई गई*

ओडिशा के बालासोर में 6 अगस्त 2024 को एक परेशान करने वाला यौन शोषण का मामला सामने आया, जब एक माँ ने अपने पति पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न व मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोपी को लगातार दो दिनों तक इस कृत्य में पकड़ा गया और सिंगला पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एसआई बलदेव के नेतृत्व में जांच तेज और संवेदनशील थी, जिसमें मेडिकल, फोरेंसिक और साक्ष्य तुरंत एकत्र किए गए। आरोप पत्र 56 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया था, और 8 अक्टूबर 2024 को आरोप तय किए गए थे। मुकदमा बिना किसी देरी के आगे बढ़ा और 18 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय ने पिता को दोषी ठहराया, उसे 25 साल के कठोर कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही दो अतिरिक्त साल की सजा भी सुनाई। यह मामला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए त्वरित, बिना किसी समझौते के न्याय प्रदान करने में बीएनएस, 2023 के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण का उदाहरण है।

परिचय:

ओडिशा के बालासोर में, बंद दरवाजों के पीछे एक जघन्य अपराध सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया। इस बेहद परेशान करने वाले अपराध के प्रति सिस्टम की प्रतिक्रिया बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर और समय पर सजा देने में पॉक्सो अधिनियम के साथ बीएनएस, 2023 के तालमेल का स्पष्ट प्रदर्शन बन गई।

घटना:

4 अगस्त 2024 को शाम करीब 4 बजे पीड़िता की मां ने अपने पति *नागेश्वर* को जमसुली गांव में अपने निवास पर अपनी 13 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करते देखा। जब उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उसे चुप रहने की धमकी दी गई। अगले दिन, उसने फिर से उसे वही अपराध करते हुए पकड़ लिया। साहस जुटाते हुए, उसने 6 अगस्त 2024 को सिंगला पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना दी, जिसके कारण बीएनएस की धारा 65 (1) और

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

एसआई *बलदेव* ने तत्परता और सावधानी के साथ जांच को संभाला। विस्तृत पीड़िता का बयान, चिकित्सा परीक्षा, फोरेंसिक साक्ष्य और गवाह की गवाही तेजी से एकत्र की गई। आरोप पत्र 56 दिनों के भीतर 1 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

8 अक्टूबर 2024 को विशेष पॉक्सो कोर्ट के समक्ष औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। परीक्षण एक फास्ट-ट्रैक आधार पर आगे बढ़ा, जिसमें स्पष्ट चिकित्सा और फोरेंसिक पुष्टि किसी भी संदेह को समाप्त कर देती है। अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) के तहत पीड़ित के पिता द्वारा किए गए गंभीर प्रवेशन यौन हमले को स्थापित किया।

दोषसिद्धि और सजा:

18 नवंबर 2024 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। *नागेश्वर* को बीएनएस की धारा 65 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 25 साल के कठोर कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। भुगतान में चूक करने पर, वह अतिरिक्त 2 साल कैद में रहेगा।

निष्कर्ष:

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीएनएस, 2023 और पॉक्सो अधिनियम नाबालिगों के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में पर्याप्त पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रदान करते हैं। एफआईआर से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया केवल 3 महीने में पूरी होने के साथ, यह सफलता की कहानी अपने सुधारित आपराधिक कानूनों के तहत बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के प्रति भारत के शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण की पुष्टि करती है।

वृत्तांत संख्या-30 : ओडिशा

शीर्षक: *गोल्ड चेन स्नैचिंग मामले में त्वरित न्याय: ओडिशा पुलिस ने बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा हासिल की*

ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 जुलाई 2024 को सुबह की सैर के दौरान सोने की चेन छीनने की घटना ने कानून प्रवर्तन को एक कुशल प्रतिक्रिया दी। बीएनएस, 2023 की धारा 309(4) और 309(3)(5) के तहत एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 189/2024 दर्ज की गई। सीसीटीवी की त्वरित समीक्षा और फील्ड इंटेलिजेंस के कारण 22 जुलाई 2024 को अमिताव, मधुसूदन और जयंत की गिरफ्तारी हुई। 12 अगस्त 2024 तक चार्जशीट दाखिल की गई और 30 अगस्त को आरोप तय किए गए। मुकदमा बिना किसी देरी के आगे बढ़ा और 13 दिसंबर 2024 तक माननीय न्यायालय ने तीनों को दोषी करार देते हुए 18 महीने के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 81,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चार महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया। यह मामला दर्शाता है कि किस प्रकार बीएनएस, 2023 के अंतर्गत सुधारित कानूनी प्रणाली शहरी अपराध मामलों में समय पर न्याय और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है।

परिचय:

ओडिशा का यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत सड़क अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका की प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालता है। सोने की चेन छीनने की घटना की एक त्वरित रिपोर्ट ने अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी और एक त्वरित सजा का नेतृत्व किया, जो पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

घटना:

8 जुलाई, 2024 को शाम लगभग 6:50 बजे, एक मुखबिर ने ओडिशा के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने सुबह की सैर के दौरान उसकी सोने की चेन छीन ली है, जिसका वजन लगभग 6-7 ग्राम है। मदद के लिए शिकायतकर्ता की पुकार का जवाब एक चौकीदार ने दिया, इसी दौरान अपराधी फरार हो गए। नतीजतन, 8 जुलाई, 2024 को बीएनएस, 2023 की धारा 309(4) और 309(3)(5) के तहत केस पंजीकृत किया गया था।

जांच प्रगति:

जांच अधिकारी (आईओ) ने तुरंत धारा 180 बीएनएस के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया, घटनास्थल का दौरा किया, स्पॉट मैप तैयार किया और

सावधानीपूर्वक सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए। सूत्रों के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, आईओ ने एक अपराधी अमिताव के रूप में पहचाना। 22 जुलाई, 2024 को तीनों आरोपियों अमिताव, मधुसूदन, जयंत और अन्य को कारगिल बस्ती में गिरफ्तार किया गया। सभी आवश्यक जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, 12 अगस्त, 2024 को एक व्यापक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें लूट में प्रतिवादियों की भागीदारी का विवरण दिया गया था।

परीक्षण और दोषसिद्धि:

भुवनेश्वर में जेएमएफसी-वी कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, और 30 अगस्त, 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। 13 दिसंबर, 2024 को अदालत ने आरोपी को बीएनएस की धारा 309(4) और 309(3)(5) के तहत दोषी पाया। आरोपियों को धारा 468 बीएनएस के तहत दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कठोर कारावास और 81,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, धारा 395 बीएनएस के तहत, अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए या ऐसा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त 4 महीने की कैद की सजा सुनाई जाए।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत संचालित भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का एक प्रमुख उदाहरण है। तेजी से जांच, दोषियों की समय पर गिरफ्तारी, और पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक महत्वपूर्ण जुर्माना सहित अदालत का निर्णायक फैसला, अपराध को रोकने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। पूरी प्रक्रिया घटना से लेकर सजा तक पांच महीने के भीतर समाप्त हो गई थी।

वृत्तांत संख्या-31 : ओडिशा

शीर्षक: *नए आपराधिक कानून, 2023 के तहत शीघ्र न्याय*

ओडिशा के गंजम जिले में 9 जनवरी 2025 की शाम को एक नियमित यातायात जांच के दौरान संजय प्रधान को बीएनएस, 2023 के तहत लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें बिना हेलमेट के तेज़ गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए और दो पीछे बैठे लोगों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हुए रोका गया। बीएनएस की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) और 194(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच में CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और आधिकारिक सत्यापन का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण सिर्फ़ 3 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने उन्हें दोषी पाया और ₹2,200 का जुर्माना लगाया, साथ ही चार्जशीट जमा होने के 6 दिनों के भीतर पूरी सुनवाई पूरी कर ली गई। यह मामला भारत के नए कानूनी ढांचे के तहत समयबद्ध न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा, प्रक्रियात्मक दक्षता और डिजिटल साक्ष्य पर जोर दिया गया है।

ओडिशा के गंजम जिले का एक मामला

भारतीय न्याय संहिता, 2023 *का अधिनियमन और कार्यान्वयन* भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य शीघ्र जांच, निष्पक्ष परीक्षण, पीड़ित-केंद्रित न्याय और प्रौद्योगिकी का एकीकरण सुनिश्चित करना है। इस सुधार के प्रभाव को शुरू करने वाले शुरुआती सफलता की कहानियों में से एक ओडिशा के गंजम जिले के चामखंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज सड़क सुरक्षा उल्लंघन के मामले की त्वरित जांच और परीक्षण है।

मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रावधानः

9 जनवरी 2025 की शाम को चामखंडी पुलिस स्टेशन के एएसआई सुधीर कुमार दुपड़ा की देखरेख में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमित प्रवर्तन के तहत कालिया चौक पर वाहन चेकिंग ड्यूटी में लगी हुई थी। लगभग 8:50 बजे, टीम ने देखा कि 3 व्यक्ति होंडा मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। न केवल वे जल्दबाजी और लापरवाही से बहुत तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहे थे, बल्कि वे सार्वजनिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे थे।

पुलिस द्वारा रोके जाने पर, सवार की पहचान संजय प्रधान के रूप में हुई। उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कानूनी प्रावधान लगाए गए थे:

1. धारा 281, *भारतीय न्याय संहिता, 2023* – मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला उतावला या लापरवाही भरा कार्य।
2. धारा 194 (1) और 194 (2), *मोटर वाहन अधिनियम* – बिना हेलमेट के वाहन चलाना और एक से अधिक पीछे बैठे हुए बाइक चलाना।

उपरोक्त धाराओं के तहत एफआईआर के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया और जांच बिना देरी के आगे बढ़ी।

स्विफ्ट और प्रौद्योगिकी संचालित जांच

जांच अधिकारी (आईओ) की देखरेख में पुलिस टीम ने तुरंत:

1. वाहन की आवाजाही और ड्राइविंग पैटर्न को ट्रैक करने के लिए आसपास से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए।
2. उन चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए जो स्थान पर मौजूद थे और जिन्होंने उल्लंघन देखा था।
3. आधिकारिक चैनलों के माध्यम से वाहन के विवरण को सत्यापित किया व संजय की पहचान की गई।

चार्जशीट तैयार की गई थी और एफआईआर के 3 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय अदालत में प्रस्तुत की गई थी, इस जांच की दक्षता नए आपराधिक कानून के ढांचे के तहत शुरू की गई बढ़ी हुई प्रक्रियात्मक तंत्र पर प्रकाश डालती है, जो कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं में सख्त समयसीमा और जवाबदेही पर जोर देती है।

न्यायिक कार्यवाही और दोषसिद्धि

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बिना किसी अनावश्यक स्थगन के न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई। अदालत ने आरोप तय किए और तेजी से मुकदमे की कार्यवाही शुरू की। आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, और अभियोजन पक्ष ने सबूत प्रस्तुत किए जो जांच के दौरान एकत्र किए गए थे।

मुकदमे की कार्यवाही के बाद अदालत ने संजय प्रधान को दोषी पाया:

1. धारा 281, *भारतीय न्याय संहिता, 2023*
2. मोटर वाहन अधिनियम *की धारा 194 (1) और 194 (2)*

अदालत ने दंड प्रावधानों के अनुसार ₹2,200/- का जुर्माना लगाया। विशेष रूप से, पूरे मुकदमे को आरोप पत्र दाखिल करने के 6 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया था, जो नए कानून के तहत फास्ट-ट्रैक न्याय की भावना को बनाए रखने में न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

प्रभाव और महत्व

यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात कानून प्रवर्तन से जुड़े मामलों में समय पर न्याय के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह नए आपराधिक कानून के तहत कई महत्वपूर्ण सुधारों को प्रदर्शित करता है:

1. समयबद्ध जाँच और अभियोजन: यह मामला

भारतीय न्याय संहिता, 2023 *के तहत जाँच करने, चार्जशीट दाखिल करने और मुक़दमे के लिये परिकल्पित समय-सीमा के अनुपालन को प्रदर्शित करता* है।

2. पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का एकीकरण: स्वीकार्य और पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में CCTV फुटेज के उपयोग ने जाँच की गुणवत्ता को मज़बूत किया है और परिस्थितिजन्य गवाहियों पर निर्भरता को कम किया है।

3. कुशल गवाह और साक्ष्य प्रबंधन: बयान बिना देरी के दर्ज किए गए, जिससे स्मृति की ताजगी और गवाही में सटीकता सुनिश्चित हुई।

4. बेहतर न्यायिक समन्वय: फ़ास्ट-ट्रैक सुनवाई और समन्वित अभियोजन ने तेज़ी से निपटान को सक्षम बनाया, लंबे समय से लंबित मामलों से बचा गया जो पारंपरिक रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालते हैं।

5. निवारक प्रभाव: यह मामला नए आपराधिक कानून के अनुसार यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के संभावित उल्लंघनकर्ताओं को प्रतिरोध का एक मज़बूत संदेश भेजता है। लापरवाह ड्राइविंग न केवल जीवन को खतरे में डालती है, बल्कि अब तेजी से कानूनी परिणामों को भी आमंत्रित करती है।

6. कानूनी संस्थानों में जनता का विश्वास: समय पर न्याय पुलिस और न्यायिक प्रणालियों की दक्षता और जवाबदेही में जनता के अधिक विश्वास को बढ़ावा देता है।

निष्कर्षः-

चामखंडी मोटरसाइकिल उल्लंघन मामला नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और दक्षता का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। जांच प्रक्रिया के दौरान हासिल की गई दक्षता, न्यायिक जवाबदेही और प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग के साथ मिलकर, कानून प्रवर्तन और न्याय वितरण के लिए एक सक्रिय और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

इस तरह के परिणाम भारत में आपराधिक न्याय सुधारों की व्यापक दृष्टि में सीधे योगदान करते हैं - न्याय वितरण की एक अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। यह आवश्यक है कि इसी तरह की सर्वोत्तम प्रथाओं को राज्यों में दोहराया जाए, और कानून प्रवर्तन कर्मियों को नए कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह मामला पुष्टि करता है कि सही उपकरण और कानूनी ढांचे के साथ, न्याय वास्तव में तेजी से और प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है।

वृत्तांत संख्या-32 :ओडिशा

शीर्षक: *नए कानूनों के तहत अधिकार, साक्ष्य और दोषसिद्धि का संतुलन*

डिजिटल फोरेंसिक और प्रक्रियात्मक कठोरता के बल पर, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर ने तीन व्यक्तियों द्वारा सोने की चेन छीनने से जुड़े डकैती के मामले को सुलझाया। एफआईआर में बीएनएस की धारा 309 (4) और 3 (5) लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन द्वारा समर्थित त्वरित जांच से चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी हुई। आरोप पत्र 34 दिनों के भीतर दायर किया गया था, और मुकदमा 138 दिनों के भीतर समाप्त हो गया। तीनों आरोपियों को 18 महीने के कठोर कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में धारा 468 बीएनएसएस भी लगाई गई ताकि कुल सजा से पूर्व-परीक्षण हिरासत को घटाया जा सके, जिससे भारत की आधुनिक कानूनी व्यवस्था के तहत निष्पक्ष और दृढ़ न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्रक्रियात्मक अनुशासन, वैज्ञानिक जांच और कानूनी दक्षता के बल पर, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, यूपीडी भुवनेश्वर, ओडिशा से एफआईआर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत नए आपराधिक न्याय ढांचे द्वारा तेज गति और पारदर्शिता के लिए एक वसीयतनामा है। मामला एक झपटमारी की घटना से संबंधित था, जहां तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पीड़ित से जबरन सोने की चेन छीन ली थी। एफआईआर बीएनएस की धारा 309 (4) और 3 (5) के तहत दर्ज की गई थी, जो लूट से संबंधित चोट और हिंसक चोरी से संबंधित कारकों से निपटती है।

जांच अधिकारी ने घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने और अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी निगरानी पर भरोसा करते हुए तकनीकी संसाधनों को तेजी से जुटाया। डिजिटल विश्लेषण और घटना-स्थल पुनर्निर्माण सहित फोरेंसिक उपकरणों ने साक्ष्य के चैन को और मजबूत किया। सोने की चेन की बरामदगी-जो बड़ी सफलता है और पीड़ित को राहत देता है।

पुलिस ने एफआईआर के 3 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करके एक सराहनीय उपलब्धि हासिल की। इस तरह की तत्परता संस्थागत क्षमता निर्माण, एकीकृत प्रौद्योगिकी उपयोग और कानूनी जागरूकता द्वारा सक्षम प्रक्रियात्मक बदलाव को दर्शाती है। न्यायिक जवाबदेही का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत करने के 104 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त हो गया। तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस मामले की एक उल्लेखनीय विशेषता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 468 का अदालत का आवेदन था, जो यह प्रावधान करता है कि विचारपूर्ण हिरासत में अभियुक्त द्वारा बिताई गई किसी भी अवधि को दी गई कुल सजा में से घटा दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि न्याय तेजी से दिया गया था, अभियुक्तों के प्रति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को बरकरार रखा गया था, जिससे पीड़ितों के अधिकारों और हिरासत में सुरक्षा उपायों के बीच एक समान संतुलन का प्रदर्शन किया गया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु-

समय-सीमा दक्षता: एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक, मामला केवल 138 दिनों में समाप्त हो गया, जिससे यह बीएनएस-बीएनएसएस शासन के तहत केस जीवनचक्र में कमी के लिये एक मॉडल बन गया।

मज़बूत साक्ष्य शृंखला: सीसीटीवी, वसूली, फोरेंसिक पुष्टि और विश्वसनीय गवाहों के बयानों के उपयोग ने एक पुख्ता मामला सुनिश्चित किया।

संस्थागत समन्वय: कानून प्रवर्तन, फोरेंसिक विशेषज्ञों और न्यायपालिका के बीच समन्वय इस परिणाम के लिये महत्वपूर्ण था।

यह मामला भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में नए प्रतिमान का प्रतीक है, जहां तकनीकी अभिसरण, सक्रिय पुलिसिंग और सुव्यवस्थित परीक्षण प्रक्रियाएं न्याय वितरण और संवैधानिक सुरक्षा दोनों को बनाए रखती हैं। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल, जन जागरूकता अभियानों और संस्थागत बेंचमार्किंग में प्रतिकृति के लिए एक उत्कृष्ट संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

वृत्तांत संख्या-33 : पंजाब

शीर्षक: *स्वीकारोक्ति और परीक्षण पहचान के माध्यम से सुलझाया गया स्नैचिंग केस: बीएनएस2023 के तहत त्वरित दोषसिद्धि*

पंजाब के माहिलपुर में 22 सितंबर 2024 को दर्ज एक स्नैचिंग केस में बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से निपटारा हुआ। 30 जुलाई 2024 को नवनीत कौर की सोने की बालियाँ जबरन छीनने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हरेंद्र उर्फ हीरा की पहचान एक अन्य अपराध के लिए हिरासत में रहने के दौरान मुख्य संदिग्ध के रूप में की गई थी। उसकी स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति और उसके ससुराल वालों के घर से चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी, साथ ही एक सफल पहचान परेड ने अभियोजन का आधार बनाया। 4 जनवरी 2025 को चार्जशीट पेश की गई और 1 फरवरी को आरोप तय किए गए। 13 मार्च 2025 को माननीय न्यायालय ने उसे बीएनएस की धारा 304 और 317(2) के तहत दोषी ठहराया और उसे चार महीने की कैद और ₹500 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला दर्शाता है कि किस प्रकार वैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति और स्वीकारोक्ति-आधारित साक्ष्य द्वारा समर्थित बीएनएस, 2023, सड़क अपराधों के लिए त्वरित न्याय प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

परिचय:

पंजाब के माहिलपुर में, सोने की चेन छीनने की घटना शुरू में एक नियमित सड़क अपराध के रूप में दिखाई दी। हालांकि, व्यवस्थित जांच, चोरी की संपत्ति की त्वरित बरामदगी और प्रभावी अदालती कार्यवाही के कारण बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा हुई, जिससे पीड़ित को समय पर न्याय मिला।

घटना:

30 जुलाई 2024 को उनके आवास पर *नवनीत कौर* पर एक युवक ने हमला किया और जबरन उनकी सोने की बालियां छीन लीं। पहले तो पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। आखिरकार, उसके पति, *बलविंदर सिंह* ने 22 सितंबर 2024 को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धारा 304 बीएनएस, 2023 के तहत माहिलपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 176/2024 दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

जांच में मुख्य संदिग्ध के रूप में फिल्लौर, जालंधर के मुथाड़ा कलां के *हरेंद्र उर्फ हीरा* की पहचान की गई। चूंकि वह पहले से ही एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में था, इसलिए पूछताछ के लिए

उसकी हिरासत सुनिश्चित करने के लिए एक पेशी वारंट प्राप्त किया गया था।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपनी भागीदारी कबूल की और उस स्थान का खुलासा किया जहां चोरी की बालियां और अपराध के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल छिपाई गई थी। चोरी का सामान उसके ससुराल से बरामद किया गया था। एक औपचारिक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) आयोजित की गई, जिसके दौरान पीड़िता, *नवनीत कौर ने* आत्मविश्वास से आरोपी की पहचान की, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूती मिली।

बरामद मोटरसाइकिल के स्वामित्व सत्यापन ने भी आरोपी और अपराध के बीच एक सीधा संबंध स्थापित किया। गवाह के बयान, फोरेंसिक जब्ती मेमो, स्वीकारोक्ति दस्तावेज और वसूली रिकॉर्ड ने सामूहिक रूप से एक एयरटाइट मामला बनाया। बीएनएस, 2023 के तहत निर्धारित समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 4 जनवरी 2025 को चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

1 फरवरी 2025 को आरोप तय किए गए थे। परीक्षण न्यूनतम स्थगन के साथ कुशलतापूर्वक आयोजित किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट और सुसंगत सबूतों ने अदालत कक्ष में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी। बरामद संपत्ति, स्वैच्छिक प्रकटीकरण, पीड़ित की पहचान और पुष्टिकारक गवाह के बयानों के संयोजन ने मुकदमे को सुचारू रूप से समाप्त करने की अनुमति दी।

दोषसिद्धि और सजा:

13 मार्च 2025 को, एफआईआर दर्ज होने के छह महीने से भी कम समय बाद, माननीय न्यायालय ने हरेंद्र को बीएनएस, 2023 की धारा 304 और 317(2) के तहत दोषी ठहराया। न्यायिक हिरासत में पहले से ही गुजारी अवधि को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उसे चार महीने के कारावास की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

निष्कर्ष:

यह मामला दर्शाता है कि स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति, परीक्षण पहचान परेड और समय पर जब्ती सहित वैज्ञानिक जांच तकनीकें बीएनएस, 2023 के तहत उचित संदेह से परे अपराध को तेजी से स्थापित कर सकती हैं। सितंबर में एफआईआर दर्ज होने और मार्च तक सजा सुनाए जाने के साथ, यह सफलता की कहानी पंजाब पुलिस की दक्षता और न्याय प्रणाली की क्षमता को रेखांकित करती है कि वे भारत के सुधारित कानूनी ढांचे के तहत गंभीरता से मामलों को संभाल सकते हैं।

वृत्तांत संख्या-34 : पंजाब

शीर्षक: *मोटरसाइकिल चोरी में त्वरित न्याय: दोष स्वीकारोक्ति बीएनएस, 2023 के तहत तेजी से सजा की ओर ले जाती है*

पंजाब के संगरूर में 5 जुलाई 2024 को हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट उसके मालिक ने दर्ज कराई थी। फग्गूवाला पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 303(2) और 317(2) के तहत एफआईआर नंबर 144/2024 दर्ज की गई थी। आरोपी सुखविंदर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मजबूत सबूतों और स्पष्ट स्वामित्व संबंधों के साथ, 9 सितंबर 2024 को चार्जशीट पेश की गई। 18 जनवरी 2025 को आरोप तय किए गए और ट्रायल के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 1 फरवरी 2025 को अदालत ने उसे दोषी ठहराया और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला दर्शाता है कि कैसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी और बीएनएस, 2023 के तहत प्रक्रियात्मक दक्षता संपत्ति अपराधों के लिए त्वरित न्याय की ओर ले जा सकती है - घटना से लेकर सजा तक सात महीने के भीतर पूरा किया गया।

परिचय:

पंजाब का यह मामला मोटरसाइकिल चोरी के लिए तेजी से सजा हासिल करने में नए बीएनएस, 2023 के तहत भारतीय न्याय प्रणाली की दक्षता को प्रदर्शित करता है। आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और दोषी ठहराए जाने की याचिका के कारण कुछ ही महीनों में मामले का समाधान हो गया।

घटना:

5 जुलाई, 2024 को *सतेंद्र* ने अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल की चोरी की सूचना दी। उन्होंने आरोपी की पहचान *सुखविंदर* पुत्र *योगराज* निवासी फग्गुवाला, संगरूर के रूप में की है। बीएनएस, 2023 की धारा 303(2) और 317(2) के तहत 7 जुलाई, 2024 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच प्रगति:

सतेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। साक्ष्य एकत्र करने और सभी जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, 9 सितंबर, 2024 को चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें चोरी की संपत्ति की चोरी और कब्जे में सुखविंदर की भागीदारी स्पष्ट रूप से स्थापित की गई।

परीक्षण और दोषसिद्धि:

औपचारिक रूप से 18 जनवरी, 2025 को आरोप तय किए गए थे। अदालती कार्यवाही के दौरान *सुखविंदर* ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नतीजतन, 1 फरवरी 2025 को, अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया र उन्हें छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 द्वारा सुगम सुव्यवस्थित प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है, जहां एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति और कुशल पुलिस कार्य के कारण तेजी से दोषसिद्धि हुई। सात महीने से भी कम समय में एफआईआर से सजा में तेजी से बदलाव न्याय देने में कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

वृत्तांत संख्या-35 : पुडुचेरी

शीर्षक: *धोखाधड़ी बेनकाब: पुडुचेरी बैंक धोखाधड़ी मामले में तीव्र न्याय*

पुडुचेरी में, वरिष्ठ बैंक प्रबंधक, मंजीत द्वारा ग्राहकों की जमा राशि के गबन से जुड़ी एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी 17 नवंबर 2024 को सामने आई। पुडुचेरी नेशनल बैंक द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई थी कि मंजीत ने जाली दस्तावेज़ बनाए, फर्जी खाते बनाए और कई महीनों तक धन की हेराफेरी की। फोरेंसिक ऑडिट, सर्वर लॉग और सीसीटीवी सहित डिजिटल साक्ष्य और मंजीत के कबूलनामे से यह एक पुख्ता मामला बन गया। 22 जनवरी 2025 को आईटी एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ बीएनएस, 2023 की धारा के तहत आरोप तय किए गए। 50 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मुकदमे की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई गई। 10 अप्रैल 2025 को, माननीय न्यायालय ने मंजीत को दोषी ठहराया और उसे 50 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही गबन किए गए धन की पूरी वसूली का आदेश दिया। मात्र 145 दिनों में सुलझाया गया यह मामला इस बात का सशक्त उदाहरण है कि भारत के नए कानूनी ढांचे के तहत बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय धोखाधड़ी पर किस तरह तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है।

परिचय:

पुडुचेरी के शांत तटीय क्षेत्र में, एक परिष्कृत वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में जो शुरू हुआ था, उसे बीएनएस, 2023 के तहत फोरेंसिक अकाउंटिंग, डिजिटल साक्ष्य और त्वरित न्याय के एक ऐतिहासिक उदाहरण में तेजी से उजागर किया गया।

घटना:

17 नवंबर 2024 को, पुडुचेरी नेशनल बैंक के शाखा अधिकारियों द्वारा उनके एक वरिष्ठ कर्मचारी, बैंक मैनेजर मंजीत द्वारा धन के बड़े पैमाने पर गबन की सूचना देते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। यह पता चला कि कई महीनों में, *मंजीत* ने दस्तावेजों को बनाने, नकली लाभार्थी खाते बनाने और इन फर्जी खातों में ग्राहक जमा राशि को बंद करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।

जांच प्रक्रिया:

एक विशेष वित्तीय अपराध जांच इकाई का गठन किया गया था। फॉरेंसिक ऑडिट तुरंत शुरू किया

गया। डिजिटल ट्रेल्स, सर्वर लॉग, बैंक परिसर से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और ईमेल रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई। *मंजीत के* कबूलनामे और अकाट्य डिजिटल सबूतों ने मामले को निर्विवाद बना दिया। चार्जशीट 50 दिनों के भीतर दायर की गई थी।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के साथ बीएनएस के तहत आरोप 22 जनवरी 2025 को तय किए गए थे। निर्बाध सुनवाई सुनिश्चित करते हुए फास्ट-ट्रैक आधार पर परीक्षण आयोजित किया गया था।

दोषसिद्धि और सजा:

10 अप्रैल 2025 को, माननीय न्यायालय ने *मंजीत* को दोषी ठहराया, उसे ₹50 लाख के जुर्माने के साथ 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, सभी गबन किए गए धन को बरामद करने और पीड़ितों में बहाल करने का आदेश दिया गया था।

निष्कर्ष:

एफआईआर दर्ज होने से लेकर अंतिम सजा तक 145 दिनों के भीतर मामला खत्म हो गया। यह एक मॉडल है कि वैज्ञानिक साक्ष्य और डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग करके भारत के नए आपराधिक न्याय ढांचे के तहत बैंकिंग क्षेत्र के दुरुपयोग से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी को कैसे कुशलता से सुलझाया जा सकता है।

वृत्तांत संख्या-36 : पुडुचेरी

शीर्षक: *एक पवित्र सामान चोरी के मामले में त्वरित न्याय - पुडुचेरी उसी दिन चार्जशीट और सजा देता है*

पुडुचेरी के सेरुमाविलंगई गांव में, 2024 की रात को मलाईवानी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उनके घर से एक पवित्र चांदी का कामची दीपक और एक लोहे की कुल्हाड़ी चोरी हो गई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 की धारा 331(3) और 305 के तहत थिरुनल्लर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली गई। उसी दिन चार्जशीट दाखिल की गई और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायालय, कराईकल को सौंप दी गई। मुकदमे के दौरान, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 55 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह मामला बीएनएस, 2023 के तहत घर में चोरी की घटनाओं को तेजी से प्रक्रियात्मक अनुपालन और समय पर न्याय के साथ कुशलतापूर्वक संभालने को दर्शाता है।

परिचय:

पुडुचेरी के सेरुमाविलंगी के शांत गांव में, एक शांत परिवार एक पवित्र चांदी के कामाची दीपक और एक लोहे की कुल्हाड़ी की चोरी से हिल गया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 के तहत दक्षता का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जहां पुलिस और अदालतों ने त्वरित न्याय और सामुदायिक विश्वास की बहाली सुनिश्चित करने के लिए साथ-मिलकर काम किया।

घटना:

थिरुनल्लार के अल्लंगराई स्ट्रीट निवासी 45 वर्षीय मलाइवानी से उनके घर में सेंधमारी की शिकायत मिलने पर, पुडुचेरी पुलिस ने बीएनएस, 2023 की धारा 331 (3) और 305 के तहत मामला दर्ज किया। लगभग 10,000 रुपये की चोरी की गई वस्तुओं का न केवल मौद्रिक मूल्य था, बल्कि परिवार के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व था।

जांच प्रक्रिया :

तेजी से कार्रवाई करते हुए, स्थानीय पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया और उन्हें पकड़ लिया। चोरी किए गए चांदी के दीपक और लोहे की कुल्हाड़ी सफलतापूर्वक बरामद की गई। गवाहों की तुरंत जांच की गई, और बयान दर्ज किए गए। बीएनएसएस के तहत सभी मानक प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल का अनुशासन और तात्कालिकता के साथ पालन किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

एक उल्लेखनीय कदम में, आरोप पत्र उसी दिन दायर किया गया था और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायालय, कराईकल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने आरोप तय होने पर अपना दोष स्वीकार कर लिया और सजा में देरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।

सजा : अदालत ने अपराधी को 55 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई, यह मजबूत करते हुए कि कम मूल्य वाले संपत्ति अपराधों को भी सुधारित कानूनी प्रणाली के तहत हल्के में नहीं लिया जाएगा।

निष्कर्ष:

पुडुचेरी का यह मामला बीएनएसएस-2023 के तहत त्वरित अभियोजन और कुशल पुलिसिंग की प्रभावशीलता का उदाहरण है। पूरी कानूनी प्रक्रिया – एफआईआर से लेकर सजा तक – तेजी से लपेटे जाने के साथ, यह नई आपराधिक न्याय प्रणाली के गंभीर इरादे को भी उजागर करता है ताकि मामूली चोरी को भी रोका जा सके।

वृत्तांत संख्या-37 : पुडुचेरी

शीर्षक: *टू-स्टेट मोटरबाइक चोरी का खुलासा: बीएनएसएस-2023 के तहत फास्ट-ट्रैक सजा*

पुडुचेरी के यानम में 24-26 नवंबर 2024 के बीच एक सुजुकी एक्सेस स्कूटर चोरी हो गया और उसका पता आंध्र प्रदेश में चला। एफआईआर के आधार पर मोबाइल ट्रैकिंग और मुखबिरों का उपयोग करके क्रॉस-स्टेट जांच की गई। एक आरोपी सत्यम को न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 5 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई और 3 मार्च 2025 को आरोप तय किए गए। 4 मार्च को सत्यम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे 3 महीने की साधारण कैद और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला दर्शाता है कि कैसे अंतरराज्यीय समन्वय और अपराध स्वीकारोक्ति से तीन महीने के भीतर बीएनएस, 2023 के तहत समाधान को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

परिचय:

एक चोरी किए गए दोपहिया वाहन के केस में यानम से आंध्र प्रदेश तक राज्य की सीमाओं को पार करते हुए एक बहु-न्यायिक जांच शुरू हुई जो बीएनएसएस-2023 के तहत तेजी से सजा के साथ समाप्त हुई। यह मामला अंतरराज्यीय संपत्ति अपराधों को ट्रैक करने और फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराधियों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

घटना:

24 से 26 नवंबर, 2024 के बीच, बोट स्ट्रीट, यानम से गहरे नीले रंग का सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर चोरी हो गया, जिसकी कीमत ₹50,000 थी; बेतालम कुमार ने बाद में यानम पुलिस स्टेशन को चोरी की सूचना दी, जिससे धारा 303 (2) बीएनएस -2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जांच में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के अश्विन और विजयवाड़ा जिला, आंध्र प्रदेश के सत्यम उर्फ सोनू की पहचान उन दो आरोपियों के रूप में की गई, जिन्होंने वाहन चोरी करने और निपटाने के सामान्य इरादे से काम किया था।

जांच प्रक्रिया:

पुलिस ने आंध्र प्रदेश में चोरी किए गए स्कूटर की आवाजाही का पता लगाने के लिए वाहन निगरानी नेटवर्क, मोबाइल ट्रैकिंग और मुखबिर नेटवर्क का इस्तेमाल किया। *सत्यम* को न्यायिक हिरासत से पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उनकी स्वीकारोक्ति औपचारिक रूप से दर्ज की गई थी।

चार्जशीट 5 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्कूटर की फोरेंसिक बरामदगी और आरोपी के कबूलनामे का विवरण दिया गया था। *सत्यम* के खिलाफ सुनवाई पहले आगे बढ़ी, जबकि *अश्विन* को बाद में पेशी के लिए अलग से बुलाया गया।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

सत्यम *के खिलाफ औपचारिक रूप से* 3 मार्च 2025 को बीएनएस की धारा 35 के साथ पठित धारा 303 (2) के तहत आरोप तय किए गए थे। 4 मार्च 2025 को, *सत्यम* को न्यायिक हिरासत से अदालत के सामने पेश किया गया और उसे स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति की। इस स्वीकारोक्ति के आधार पर, अदालत सीधे सजा के लिए आगे बढ़ी।

दोषसिद्धि और सजा:

सत्यम को धारा 303 (2) बीएनएस के तहत 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न होने पर एक महीने के साधारण कारावास का अतिरिक्त आदेश दिया गया था। धारा 468 बीएनएसएस के तहत उनकी सजा के हिस्से के रूप में उनकी पूर्व दो महीने की न्यायिक हिरासत को स्वीकार किया।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएसएस-2023 के तहत अंतरराज्यीय समन्वय और त्वरित न्यायिक प्रसंस्करण का एक सफल उदाहरण है। एफआईआर से लेकर एक आरोपी की अंतिम सजा तक, यह मामला केवल तीन महीने के भीतर समाप्त हो गया, जिससे कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका की अंतरराज्यीय चोरी को भी तेजी से और कुशलता से हल करने की क्षमता में जनता का विश्वास मजबूत हुआ।

वृत्तांत संख्या-38 : राजस्थान

शीर्षक : *गर्भवती महिला की हत्या का प्रयास: बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित न्याय*

राजस्थान के बारां जिले में 8 अगस्त 2024 को एक गर्भवती महिला और उसके पति की हत्या का हिंसक प्रयास सामने आया, जब पड़ोसियों ने गैस सिलेंडर के पास उनके गेट को जलाने का प्रयास किया और बाद में उन पर चाकू से हमला कर दिया। छबड़ा पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) और 118(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मेडिकल साक्ष्य ने गर्भवती पीड़िता को चाकू के घाव और आघात की पुष्टि की। 10 सितंबर को गिरफ्तार किए गए आरोपी ने मुकदमे के दौरान कबूल किया और 23 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की गई। 18 जनवरी 2025 को, माननीय न्यायालय ने अपराधियों को दोषी ठहराया और पहली बार के अपराध और कबूलनामे को ध्यान में रखते हुए ₹2,200 के जुर्माने और एक साल के अच्छे आचरण के बॉन्ड के साथ परिवीक्षा दी। यह मामला सुधार के साथ जवाबदेही को संतुलित करने में बीएनएस, 2023 के लचीलेपन को दर्शाता है, तथा यह भी दर्शाता है कि कैसे वैज्ञानिक जांच और त्वरित अभियोजन ने अपराध के कुछ महीनों के भीतर न्याय सुनिश्चित किया।

परिचय:

राजस्थान के बारां जिले के छाबड़ा में एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई जिसने न केवल एक गर्भवती महिला और उसके पति को खतरे में डाल दिया, बल्कि दिनदहाड़े गंभीर नुकसान पहुंचाने के एक चौंकाने वाले इरादे को भी उजागर कर दिया। बीएनएस, 2023 के तहत मजबूत सामुदायिक रिपोर्टिंग, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक अभियोजन के लिए धन्यवाद, इस हिंसक हमले को कानूनी प्रणाली के माध्यम से तेजी से संबोधित किया गया।

घटना:

8 अगस्त 2024 को दोपहर लगभग 2 बजे, एक गर्भवती महिला, अपने पति, संजीत के साथ घर पर थी, जब उनके पड़ोसियों, *मनीष* और *निशांत* ने उनके घर पर हमला किया। हिंसा की एक पूर्व नियोजित कार्रवाई के तहत हमलावरों ने पहले उस मकान के मुख्य द्वार में आग लगाने का प्रयास किया जहां गैस सिलेंडर रखा हुआ था जिससे संभावित विस्फोट का खतरा पैदा हो गया। दंपति तुरंत प्रारंभिक शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे।

हालांकि, जब वे अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद

पुलिस स्टेशन से लौटे, *तो मनीष* और *कमलेश से* फिर उनका सामना हुआ। *मनीष* ने बटन चाकू से लैस *होकर संजीत* के पेट में वार करने का प्रयास किया । हाथापाई में, *संजीत* ब्लेड पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे उसका हाथ घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसके पेट में चाकू का घाव हो गया। विवाद के दौरान, *कमलेश ने* महिला के पेट में *हिंसक लात मारी*, जिससे वह अपनी गर्भावस्था के कारण गिर गई। उसे तुरंत छाबड़ा अस्पताल ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए बारां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 11 अगस्त 2024 को छबड़ा पुलिस स्टेशन में केस के तहत बीएनएस, 2023 की धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5), और 118(1) के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए एक दूसरी, अधिक गंभीर एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

जांच टीम ने 10 सितंबर 2024 को आरोपी को तेजी से गिरफ्तार कर लिया। गर्भवती पीड़िता और उसके पति दोनों की चोटों का दस्तावेजीकरण करने वाले चिकित्सा साक्ष्य ने केंद्रीय भूमिका निभाई। फोरेंसिक रिपोर्ट, चिकित्सा बयान, गवाह की गवाही, और चाकू की बरामदगी सभी ने सबूतों की एक ठोस श्रृंखला बनाई। 23 अक्टूबर 2024 को तुरंत चार्जशीट दायर की गई।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

बीएनएस के कई प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए थे। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इस तथ्य की सहायता से मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी कि मुख्य आरोपी *मनीष* ने स्वेच्छा से अदालत में अपराध में अपनी भूमिका कबूल कर ली। स्वीकारोक्ति और परिस्थितियों के आधार पर, अदालत ने कुछ हद तक नरमी बरतने का फैसला किया क्योंकि यह आरोपी का पहला अपराध था।

दोषसिद्धि और सजा:

18 जनवरी 2025 को अदालत ने आरोपियों को बीएनएस, 2023 की धारा 3(5), 115(2), 118(1), 126(2) और 352 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने तत्काल कारावास देने के बजाय, ₹2200 का जुर्माना लगाया। इसने सख्त शर्तों के साथ परिवीक्षा प्रदान की, जिसमें 10,000 रुपये का एक साल का अच्छा आचरण बांड शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी उल्लंघन से तत्काल हिरासत में लिया जाएगा।

निष्कर्ष:

यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे बीएनएस, 2023, गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की और जहां उपयुक्त हो, लचीली सजा की अनुमति देता है। वैज्ञानिक जांच, वीडियो-प्रलेखित साक्ष्य, तेजी से सुनवाई, और त्वरित मामले के दस्तावेज़ीकरण के लिए धारा 230 बीएनएसएस के उपयोग ने यह सुनिश्चित किया कि कुछ महीनों के भीतर न्याय किया गया, जिससे पीड़ित के लिए लंबे समय तक आघात को रोका जा सके, और आरोपी को जवाबदेह ठहराया जा सके।

वृत्तांत संख्या-39 : तमिलनाडु

शीर्षक: *सीसीटीवी और स्वीकारोक्ति के माध्यम से चोरी का समाधान: तमिलनाडु ने बीएनएसएस, 2023 के तहत तेजी से सजा हासिल की*

30 मार्च 2025 को सिरकाज़ी कस्बे में लैपटॉप और आईपैड से भरा एक ट्रैवल बैग चोरी हो गया। 1 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। जांचकर्ताओं ने तेजी से काम किया, सीसीटीवी फुटेज खंगालकर श्रीनिवास की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। चोरी की गई चीजें बरामद कर ली गईं और चार दिन बाद 5 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई। 19 मई 2025 को आरोप तय किए गए और उसी दिन उसे दो महीने की साधारण कैद और ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला दिखाता है कि कैसे डिजिटल निगरानी और बीएनएस, 2023 के तहत त्वरित सुनवाई प्रक्रिया केवल 49 दिनों में संपत्ति अपराधों को हल कर सकती है।

परिचय:

सिरकाज़ी शहर में एक शांत दोपहर एक तकनीकी चोरी के बाद एक आपराधिक जांच बन गई, जिसने एक अनजान पीड़ित के जीवन को बाधित कर दिया। तेजी से पुलिस कार्रवाई, विस्तृत सीसीटीवी विश्लेषण और एक स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के कारण, बीएनएसएस, 2023 के तहत तेजी से न्याय दिया गया।

घटना:

30 मार्च 2025 को दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच, एक अज्ञात व्यक्ति ने रामकृष्णन का दो लैपटॉप (एचपी प्रो बुक 4408 नोटबुक और डेल लैपटॉप) और एक आईपैड वाला एक ट्रैवल बैग चुरा लिया। चोरी की संपत्ति का मूल्य ₹40,000 आंका गया था। पीड़ित ने 1 अप्रैल 2025 को सिरकाज़ी पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना दी, और धारा 305 (ए) बीएनएस, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

जांच में तेजी आई। अपराध स्थल का तुरंत दौरा किया गया, और फोरेंसिक दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें अपराध विवरण प्रपत्र और कच्चा रेखाचित्र शामिल था। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज में लगभग 35 साल के एक संदिग्ध व्यक्ति को शिकायतकर्ता का बैग चुराते हुए कैद किया गया है।

इन सुरागों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने *श्रीनिवास* (35) को 2 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी के पांडी मरीना रोड पर उसकी ग्रे सुजुकी मोटरसाइकिल और एक क्षतिग्रस्त वीवो वाई 30 मोबाइल फोन के साथ

गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान *श्रीनिवास* ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके पास से चोरी का सामान, लैपटॉप और आईपैड बरामद कर लिया गया। स्वीकारोक्ति दर्ज की गई थी, और सभी बरामद संपत्तियों को विधिवत अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

जांच तेजी से पूरी हुई, और एफआईआर दर्ज होने के चार दिन बाद ही 5 अप्रैल 2025 को चार्जशीट जमा कर दी गई।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

औपचारिक रूप से 19 मई 2025 को आरोप तय किए गए थे। वीडियो निगरानी, स्वीकारोक्ति और पूर्ण वसूली सहित भारी सबूतों को देखते हुए, मुकदमा जल्दी से आगे बढ़ा। श्रीनिवास के अपराध को जल्दी स्वीकार करने से अदालत ने एक उदार लेकिन निर्णायक दृष्टिकोण अपनाया।

दोषसिद्धि और सजा:

19 मई 2025 को, जिस दिन आरोप तय किए गए थे, उसी दिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया। श्रीनिवास को बीएनएस, 2023 की धारा 305 (ए) के तहत दोषी ठहराया गया और दो महीने के साधारण कारावास और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। भुगतान न करने की स्थिति में दो सप्ताह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया था। धारा 468 बीएनएसएस के अनुसार, 3 अप्रैल से 21 मई 2025 तक की हिरासत अवधि उनकी सजा के खिलाफ निर्धारित की गई थी।

निष्कर्ष:

यह मामला दर्शाता है कि बीएनएस, 2023 के तहत पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल साक्ष्य और प्रक्रियात्मक दक्षता कैसे रिकॉर्ड समय में शहरी संपत्ति चोरी के मामलों को भी हल कर सकती है। एफआईआर से लेकर दोषसिद्धि तक, इस मामले को 49 दिनों के भीतर बंद कर दिया गया, जो तेज, साक्ष्य-आधारित न्याय देने की भारत की विकसित क्षमता को प्रदर्शित करता है।

वृत्तांत संख्या-40 : तेलंगाना

शीर्षक: *मोटरसाइकिल चोरी में तेजी से दोषसिद्धि: आदतन अपराधी को बीएनएस, 2023 के तहत पकड़ा और सजा सुनाई गई*

9 सितंबर 2024 को तेलंगाना के कोडाद टाउन में धरशन की पल्सर बाइक चोरी हो गई। 12 सितंबर को बीएनएस, 2023 की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आदतन अपराधी चंद्रन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और चोरी की गई बाइक बरामद कर ली। उसी दिन चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और 4 अक्टूबर 2024 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया - चंद्रन को 9 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे बीएनएस, 2023 एफआईआर के सिर्फ़ तीन हफ़्तों के भीतर बार-बार अपराध करने वालों को न्याय प्रदान करता है।

परिचय:

तेलंगाना का यह मामला मोटरसाइकिल चोरी को जल्दी से हल करने में बीएनएस, 2023 के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता को प्रदर्शित करता है। त्वरित जांच, एक आदतन अपराधी की गिरफ्तारी, और तेजी से अदालती कार्यवाही के कारण एक महीने से भी कम समय में दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई।

घटना:

9 सितंबर, 2024 को 23:30 बजे तेलंगाना के कोडाड टाउन के भवानीनगर में मोटरसाइकिल चोरी हुई। घटना की सूचना 12 सितंबर, 2024 को शिकायतकर्ता दर्शन, गोल थांडा, अनंतगिरी मंडल के निवासी द्वारा दी गई थी। उनकी पल्सर बाइक, जो उनके किराये के घर के सामने खड़ी थी, गायब पायी गयी। इसके बाद, बीएनएस, 2023 की धारा 303 (2) के तहत कोडाड टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रगति:

जांच के दौरान, पुलिस ने जल्दी से नेलाकोंडापल्ली गांव के एक आदतन अपराधी चंद्रन की पहचान की और पूछताछ की। उसके पास चोरी की मोटरसाइकिल पाई गई, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच तेजी से समाप्त हुई, और आरोप पत्र 12 सितंबर, 2024 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परीक्षण और दोषसिद्धि:

अदालती कार्यवाही तुरंत शुरू की गई। सूर्यापेट जिले के कोडड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने चंद्रन को अपराध का दोषी पाया। तदनुसार, 4 अक्टूबर, 2024 को, आरोपी को बीएनएस, 2023 की धारा 303(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए बीएनएसएस-2023 की धारा 251(1) के तहत दोषी ठहराया गया और 9 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

निष्कर्ष:

यह मामला बीएनएस, 2023 द्वारा सक्षम त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का एक सशक्त उदाहरण है। अपराधी की त्वरित पहचान, चोरी की संपत्ति की बरामदगी, और तेजी से सुनवाई के परिणामस्वरूप एफआईआर के लगभग तीन सप्ताह के भीतर दोषसिद्धि और सजा आपराधिक कृत्यों के खिलाफ त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, विशेष रूप से दोहराने वाले अपराधियों द्वारा किए गए।

वृत्तांत संख्या-41 : तेलंगाना

शीर्षक: *मोटरसाइकिल चोरी रिकॉर्ड समय में हल हुई - तेलंगाना में बीएनएस, 2023 के तहत 1 साल की सजा*

तेलंगाना के पश्चिमी गोदावरी जिले में 5 अक्टूबर 2024 को ग्लैमर मोटरसाइकिल और चांदी की पायल चोरी का मामला दर्ज किया गया। उसी दिन भीमावरम II टाउन पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 की धारा 305 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी जोंथा यादगिरी को तुरंत पकड़ लिया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। दो दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई और 7 अक्टूबर 2024 को आरोप तय किए गए। ठीक तीन दिन बाद, 10 अक्टूबर 2024 को, अदालत ने आरोपी को बीएनएस, 2023 की धारा 305 के तहत दोषी ठहराया और उसे एक साल के कठोर कारावास और ₹100 के जुर्माने की सज़ा सुनाई, साथ ही चूक की स्थिति में 15 अतिरिक्त दिन की सज़ा भी दी। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीएनएस ढांचे के तहत त्वरित पुलिस कार्रवाई और कुशल ट्रायल कार्यवाही पाँच दिनों के भीतर न्याय सुनिश्चित कर सकती है।

परिचय:

तेलंगाना के पश्चिम गोदावरी जिले में एक साहसी चोरी, सिर्फ एक और भूली हुई शिकायत बन सकती थी – लेकिन बीएनएस, 2023 के प्रावधानों के तहत, यह समय पर जांच और त्वरित न्याय के एक शक्तिशाली उदाहरण में बदल गई।

घटना:

5 अक्टूबर 2024 को भीमावरम II टाउन पुलिस स्टेशन में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और चांदी की पायल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हैदराबाद के चेरलापल्ली निवासी जोंथा यादगिरी चोरी की संपत्ति के साथ गायब हो गया था। बीएनएस, 2023 की धारा 305 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की गई।

तेलंगाना

पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यादगिरी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया और पुलिस सबूतों के माध्यम से उसकी भागीदारी की पुष्टि करने में सक्षम थी। एफआईआर के दो दिनों के भीतर 7 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दायर की गई थी।

आरोप तय किए गए और परीक्षण प्रक्रिया: आरोप पत्र प्रस्तुत करने के दिन ही, अदालत ने धारा 306 बीएनएस के तहत आरोप तय किए। आरोपी के

कबूलनामे की मदद से मुकदमा बिना देरी के आगे बढ़ा। बीएनएसएस के तहत सभी प्रक्रियात्मक शासनादेशों का सख्ती से पालन किया गया।

दोषसिद्धि और सजा:

10 अक्टूबर 2024 को, अपराध की तारीख से सिर्फ 5 दिन बाद, अदालत ने जोंथा यादगिरी को बीएनएस, 2023 की धारा 305 के तहत दोषी ठहराया, उसे ₹100 के जुर्माने के साथ 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। चूक के मामले में अतिरिक्त 15 दिन की कैद लगाई गई थी।

निष्कर्ष:

यह मामला फास्ट-ट्रैक न्याय देने में बीएनएस, 2023 की निर्णायक भूमिका को प्रदर्शित करता है। एफआईआर से लेकर केवल पांच दिनों में सजा सुनाए जाने तक, तेलंगाना की पुलिस और न्यायपालिका ने दिखाया कि कैसे आधुनिक कानूनी प्रावधान त्वरित न्याय को सुनिश्चित करते हैं।

वृत्तांत संख्या-42 : तेलंगाना

शीर्षक : *नाबालिग लड़की अपहरण की गुत्थी वैज्ञानिक तरीके से सुलझी - तेलंगाना ने 6 महीने की सजा सुनाई*

तेलंगाना के मरिकल में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला वैज्ञानिक सहायता और तकनीक-सक्षम जांच से सुलझाया गया। धारा 137(2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ई-साक्ष्य और फोरेंसिक विशेषज्ञ की सहायता से, आरोपी की पहचान की गई और उसे बीएनएसएस की धारा 271(2) के तहत दोषी ठहराया गया। उसे 6 महीने की कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना मिला। यह मामला दर्शाता है कि कैसे बीएनएस/बीएनएसएस और डिजिटल उपकरण बाल संरक्षण और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।

परिचय:

तेलंगाना में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के एक दुखद मामले को फोरेंसिक सहायता और डिजिटल साक्ष्य कैप्चर के संयोजन के साथ तेजी से हल किया गया, जो बीएनएसएस और बीएनएस प्रावधानों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन करता है।

घटना : पुलिस स्टेशन मरीकल में धारा 137 (2) बीएनएस के तहत एक नाबालिग लड़की के अपहरण के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच प्रक्रिया:

ई-साक्ष्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कब्जे में लिया गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक संग्रह और सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया।

आरोप तय किए गए और परीक्षण प्रक्रिया: आरोप तय किए गए और बीएनएस और बीएनएसएस ढांचे के तहत मामला आगे बढ़ा। कार्यवाही की गति और स्पष्टता सराहनीय थी।

दोषसिद्धि और सजा:

आरोपी को दोषी पाया गया और बीएनएसएस की धारा 271 (2) के तहत दोषी ठहराया गया। सजा में 6 महीने का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना शामिल है।

निष्कर्ष:

यह मामला साक्ष्य-संचालित जांच के माध्यम से नाबालिगों की सुरक्षा के लिए तेलंगाना पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फोरेंसिक कठोरता और बीएनएसएस गति के मिश्रण ने इसे त्वरित न्याय का एक पाठ्यपुस्तक मामला बना दिया।

वृत्तांत संख्या-43 : उत्तर प्रदेश

शीर्षक: *स्पीडी ट्रायल और सुधार : भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मॉडल केस*

उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक 16 वर्षीय किशोर को बैंक के बाहर से ₹50,000 की चोरी करने का दोषी पाया गया। बीएनएस और बीएनएसएस के तहत एफआईआर, जांच और मुकदमा सभी तेजी से चलाए गए। दो महीने से भी कम समय में, किशोर ने अपराध स्वीकार कर लिया और उसे जुर्माना और सजा सुनाई गई। बोर्ड ने सजा से ज्यादा सुधार पर जोर दिया, जो भारत के नए आपराधिक न्याय ढांचे के पुनर्वास के इरादे को दर्शाता है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत त्वरित न्याय वितरण के एक प्रगतिशील उदाहरण में, पुलिस स्टेशन बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में एफआईआर के रूप में दर्ज एक मामला इसकी त्वरित जांच और निपटान के लिए खड़ा है। 15 जुलाई, 2024 को बड़ौत निवासी जमाल अहमद ने पीएस बड़ौत से संपर्क किया और एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि सुबह लगभग 11:30 बजे, जब उन्होंने बैंक, नगर पालिका के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका बैग चुरा लिया जिसमें 50,000 रुपये नकद, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड थे।

शिकायत मिलने पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) और धारा 317(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करके और आसपास के ज्ञात आदतन अपराधियों से पूछताछ करके जांच शुरू की। 24 घंटे के भीतर, पुलिस ने संदिग्ध के रूप में सारण पुत्र लक्ष्मण सिसोदिया नामक एक 16 वर्षीय किशोर की पहचान की और उसे पकड़ लिया।

हिरासत में पूछताछ के दौरान, किशोर ने चोरी करने की बात स्वीकार की और खुलासा किया कि उसने वास्तव में शिकायतकर्ता का बैग लिया था। उसके कबूलनामे और सीसीटीवी सबूतों के आधार पर किशोर को किशोर न्याय बोर्ड, बागपत के समक्ष पेश किया गया और उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया गया।

जांच और कानूनी कार्यवाही:

मानक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, जांच अधिकारी द्वारा 09.08.2024 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। किशोर बोर्ड द्वारा 11.09.2024 को मामले की सुनवाई की गई और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किशोर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए।

उसी दिन, किशोर अपराधी ने बोर्ड को उदारता और न्यूनतम सजा के अनुरोध के साथ दोषी की लिखित

याचिका प्रस्तुत की। बोर्ड ने मामले की परिस्थितियों, अपराधी की उम्र, उसकी स्वीकारोक्ति और उसके अनुरोध पर विचार करते हुए, याचिका की अनुमति दी और उसी दिन निर्णय सुनाया।

निर्णय और सजा:

किशोर न्याय बोर्ड, बागपत ने आरोपी किशोर को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया -

- धारा 303 (2), भारतीय न्याय संहिता: चोरी – ₹1,000 के जुर्माने और न्यायिक हिरासत में पहले से गुजारी अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय।
- धारा 317 (2), भारतीय न्याय संहिता: संपत्ति का बेईमानी से गबन – 1,000 रुपये का जुर्माना और कारावास जैसा कि पहले ही काट लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 468 के तहत लाभ दिया, जो पीड़ितों और किशोर अपराधियों दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे निष्पक्ष और सुधारात्मक परिणाम सक्षम होते हैं।

केस विश्लेषण और महत्व:

यह मामला विशेष रूप से किशोर मामलों में समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है। नए कानूनी ढांचे की ताकत को उजागर करने वाली मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- कुशल पुलिस जांच: निगरानी तकनीक का उपयोग और अभियुक्तों की तेजी से पहचान।
- त्वरित न्यायिक कार्यवाही: दो महीने से भी कम समय में एफआईआर से दोषसिद्धि तक।
- किशोर न्याय सुधार: बाल संरक्षण कानूनों के अनुरूप, प्रतिशोध पर सुधार को प्राथमिकता देना।
- पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: त्वरित समाधान यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को समय पर निवारण प्राप्त हो।
- कानूनी सुरक्षा उपाय: धारा 468 बीएनएसएस जैसे प्रावधान नई प्रणाली में अंतर्निहित मानवाधिकार दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

निष्कर्ष

बड़ौत मामला भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की परिचालन सफलता में एक मील का पत्थर दर्शाता है। त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया, किशोर अधिकारों पर ध्यान, और तेज अदालती प्रक्रियाएं न्याय के लिए मॉडल बनाती हैं जो नागरिकों की जरूरतों पर केंद्रित होती हैं, जो नए भारत के न्याय सुधारों के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं

वृत्तांत संख्या 44 : उत्तर प्रदेश

शीर्षक: *अमेठी में फोरेंसिक जांच की मदद से 97 दिनों में न्याय*

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 10 सितंबर 2024 को 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन पॉक्सो और बीएनएस धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। फोरेंसिक जांच में मेडिकल रिपोर्ट, CDR विश्लेषण, पीड़िता की गवाही और नमूनों के वैज्ञानिक मिलान के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। 3 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई और 97 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त हो गया। 16 दिसंबर 2024 को आरोपी जयेश उर्फ चुन्नू को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास और बीएनएस प्रावधानों के तहत कई अवधियों की सजा सुनाई गई। यह मामला भारत के नए कानूनों के तहत बाल-केंद्रित, वैज्ञानिक रूप से आधारित न्याय के लिए एक मानक स्थापित करता है।

10 सितंबर, 2024 की रात उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक जघन्य अपराध ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक 30 वर्षीय स्थानीय निवासी ने एक 4 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। जयस पुलिस की त्वरित और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से, यह मामला फोरेंसिक के प्रयोग वाले न्याय का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया, जिसकी परिणति 97 दिनों के भीतर नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ढांचे के तहत समय पर न्याय के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में हुई।

तत्काल कार्रवाई और एफआईआर

एफआईआर तुरंत 11 सितंबर, 2024 को जयस पुलिस स्टेशन, अमेठी में दर्ज की गई थी। बीएनएस, 2023: धारा 118(1), 65(2), 332(a), और 137(2), और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(m) और 6 के तहत कई आरोप दर्ज किए गए थे। पुलिस ने उसी रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वैज्ञानिक रूप से समन्वित जांच शुरू की।

फोरेंसिक और तकनीकी जांच: न्याय की रीढ़

पुलिस ने सुदृढ़ केस बनाने के लिए फोरेंसिक सबूतों को प्राथमिकता दी। प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

चिकित्सा जांच: तुरंत आयोजित किया गया था, जिसमें शारीरिक हमले की पुष्टि हुई और बलात्कार के प्रयास के आरोप की पुष्टि हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कार्य किया।

क्राइम सीन प्रोसेसिंग: एक जिला फोरेंसिक टीम ने स्थान का दौरा किया, उन्होंने जैविक नमूने, मिट्टी के

नमूने और उंगलियों के निशान एकत्र किए, बाद में आरोपी से मिलान किया गया।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण: आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड और टॉवर के स्थानों में उसे एसओएल में अपराध स्थल के पास पाया।

गवाहों की गवाह : स्थानीय लोगों ने आरोपी पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की। उनके बयान धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे और फोरेंसिक निष्कर्षों के अनुरूप थे।

पीड़िता का बयान : अत्यंत संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक समर्थन के साथ, बच्चे ने धारा 164 के तहत गवाही दी। उसके द्वारा आरोपी की स्पष्ट व बहादुर पहचान ने अभियोजन पक्ष के मामले में निर्णायक वजन जोड़ा।

त्वरित न्यायिक प्रक्रिया

- **चार्जशीट दायर:** 14 सितंबर 2024 – एफआईआर के 3 दिनों के भीतर
- **आरोप तय किए जाएं:** 15 अक्टूबर 2024
- **निर्णय सुनाया गया:** 16 दिसंबर 2024

यह सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। फोरेंसिक विशेषज्ञ और चिकित्सा पेशेवरों ने विस्तृत और सुसंगत साक्ष्य प्रदान किए जो मामले का समर्थन करते थे।

निर्णय और सजा

अदालत ने जयेश @ चुन्नू को निम्नलिखित धाराओं में दोषी ठहराया:

- पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास (20 वर्ष), ₹50,000 के जुर्माने के साथ
- धारा 137 (2) बीएनएस के तहत 5 साल आरआई + ₹5,000 जुर्माना
- धारा 118 (1) बीएनएस के तहत 3 साल आरआई + ₹ 3,000 जुर्माना
- धारा 332 (ए) बीएनएस के तहत 7 साल आरआई + ₹10,000 जुर्माना

निष्कर्षः-

यह मामला उदाहरण देता है कि कैसे वैज्ञानिक जांच, फोरेंसिक उपकरण और कानूनी दक्षता तेजी से न्याय प्रदान कर सकती है, खासकर बाल पीड़ितों से जुड़े संवेदनशील मामलों में। नए आपराधिक कानूनों के तहत अमेठी पुलिस और न्यायपालिका का तालमेल उच्च गुणवत्ता वाले, पीड़ित-केंद्रित न्याय का खाका पेश करता है.

वृत्तांत संख्या-45 : उत्तर प्रदेश

शीर्षक: *पॉक्सो मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत त्वरित न्याय: जालौन, यूपी की एक मॉडल*

13 जुलाई 2024 को जालौन, उत्तर प्रदेश की 11 वर्षीय लड़की ने एक ज्ञात अपराधी छग्गन सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई। पॉक्सो की धारा 5(m), 6 और बीएनएस, 2023 की धारा 64(1), 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने धारा 183 बीएनएस के तहत पीड़िता के बयान सहित फोरेंसिक और साक्ष्य एकत्र किए। आरोप पत्र तुरंत दायर किया गया और केवल 90 दिनों में फैसला सुनाया गया। 25 अक्टूबर 2024 को छग्गन सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला नए कानूनी सुधारों द्वारा सक्षम पीड़ित-केंद्रित, समय पर न्याय का एक शक्तिशाली उदाहरण है।

13 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के पुलिस स्टेशन कुठोण्ड में बाल यौन उत्पीड़न की गंभीर शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में 11 साल की एक नाबालिग लड़की शामिल थी, जिसने एक परिचित व्यक्ति छगन सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर दर्ज की, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए:

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 *की धारा 5 (l) और (m),* जो गंभीर प्रवेशन यौन हमले से संबंधित है,
- पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, जो ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है, और
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 *की धारा 64 (1) और धारा 66*, जो क्रमशः बच्चों पर यौन हमले और निर्धारित सजा से संबंधित हैं।

मामले को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की गई। जांच अधिकारी ने सुनिश्चित किया कि पीड़िता का बयान पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें बच्चों के प्रति संवेदनशील प्रक्रियाओं को बनाए रखा गया था। फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए और गवाहों के बयानों के साथ पुष्टि की गई। आरोप-पत्र तेजी से दायर किया गया था, जिसमें सुधारित आपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन के कुशल कामकाज को प्रदर्शित किया गया था।

यह मामला अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, जालौन, सीआरआई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपराध की संवेदनशीलता और पीड़ित द्वारा सहन किए गए आघात को स्वीकार करते हुए, माननीय न्यायालय ने मुकदमे को प्राथमिकता दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई प्रक्रियात्मक देरी या अनुचित स्थगन न हो।

अभियोजन पक्ष ने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत दर्ज बच्चे के बयान सहित मजबूत चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य पेश किए। 25 अक्टूबर 2024 को, एफआईआर दर्ज होने के केवल 2 महीने और 30 दिनों के भीतर, अदालत ने छगन सिंह को दोषी ठहराया, उन्हें पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ बीएनएस की धारा 66 के तहत अतिरिक्त दंड की सजा सुनाई।

महत्वपूर्ण बिंदू:

- एफआईआर पीएस कुठोण्ड, जालौन में 13.07.2024 को दर्ज की गई।
- लागू की गई धाराएं:
  - धारा 5 (एल) (एम), धारा 6 – पॉक्सो अधिनियम, 2012
  - धारा 64(1), धारा 66 – भारतीय न्याय
  - संहिता, 2023
- वैधानिक समय के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया; साक्ष्य व्यापक और विश्वसनीय थे।
- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा केवल 2 महीने और 30 दिनों में सुनाया गया फैसला।
- सजा: 20 साल का कठोर कारावास, अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

निष्कर्षः-

राज्य बनाम छगन सिंह का मामला नए आपराधिक कानूनों, संवेदनशील पुलिस व्यवस्था और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के बीच शक्तिशाली तालमेल को प्रदर्शित करता है। त्वरित एफआईआर पंजीकरण, समय पर जांच और फास्ट-ट्रैक ट्रायल के साथ, यह मामला पॉक्सो अधिनियम और बीएनएस, 2023 के मुख्य लक्ष्यों का प्रतीक है – संवेदनशील, तेज एवं पीड़ित-केंद्रित न्याय।

वृत्तांत संख्या-46 : उत्तर प्रदेश

शीर्षक: *पोक्सो अधिनियम और बीएनएस के तहत त्वरित सजा: इटावा, उत्तर प्रदेश से एक आदर्श मामला*

इटावा के पुलिस स्टेशन, इकदिल में एक शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5(m)/6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें एक ज्ञात आरोपी द्वारा 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। नए आपराधिक कानूनों के तहत एक त्वरित और वैज्ञानिक जांच के परिणामस्वरूप आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

परिचय

थाना इकदिल, जिला इटावा में प्राप्त एक गंभीर शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपी द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न किया गया, जो उसे जानता था। पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित और वैज्ञानिक जांच की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

घटना

दिनांक 29.08.2024 को श्रीमती दीपिका ने पुलिस स्टेशन, इकदिल, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(एम) और 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी से और वैज्ञानिक जांच की, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत बयान दर्ज किए, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और लगातार निगरानी की। इन प्रयासों के कारण आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

जांच प्रक्रिया

एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। नाबालिग पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बाल कल्याण परामर्शदाता की मौजूदगी में एक महिला अधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत उसका बयान दर्ज किया, उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज किया गया।

पुलिस ने अपराध स्थल को संरक्षित करने और मेडिकल रिपोर्ट, रक्त के नमूने और डीएनए स्वैब सहित सामग्री और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। आस-पास के सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी तुरंत एकत्र किए गए।

पोक्सो अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों और नए

आपराधिक कानूनों के तहत हाल ही में प्रक्रियात्मक सुधारों के अनुरूप, बाल-अनुकूल जांच ने पीड़िता को न्यूनतम आघात सुनिश्चित किया।

आरोप तय किए गए और ट्रायल प्रक्रिया

एफआईआर दर्ज होने के 12 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चलाया गया। कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाह पेश किए, जिनमें मेडिकल ऑफिसर, जांच अधिकारी, पीड़िता की मां और एक फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे।

ट्रायल कोर्ट ने बाल पीड़िता की निजता और गरिमा को बनाए रखने के लिए, बंद कमरे में कार्यवाही की। पूरे मामले में मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई और अभियुक्त या उनके सहयोगियों द्वारा किसी भी तरह के प्रभाव या धमकी को रोकने के लिए गवाह सुरक्षा तंत्र मौजूद थे। कोर्ट ने 03.04.2025 को फैसला सुनाया।

दोषसिद्धि और सजा

अत्यधिक दस्तावेजी, चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को सभी लागू धाराओं के तहत दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने कहा कि मासूम बच्चों के खिलाफ इस तरह के जघन्य कृत्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु और विश्लेषण

1. समयबद्ध जांच और सुनवाई: एफआईआर दर्ज की गई, जांच पूरी हुई और 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया गया। फास्ट-ट्रैक मोड के तहत सुनवाई तेजी से पूरी हुई, जिससे समय पर न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।
2. बीएनएस और पोक्सो का एकीकरण: यह मामला उन शुरुआती उदाहरणों में से है, जहां भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को पोक्सो अधिनियम के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया गया, जो नए आपराधिक कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से दर्शाता है।
3. पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: जांच और सुनवाई के दौरान एक संवेदनशील और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण बनाए रखा गया। उत्तरजीवी के मनोवैज्ञानिक कल्याण और गरिमा पर विशेष जोर दिया गया।
4. फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी का उपयोग: डीएनए साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग ने घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक जांच ने अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ाया।
5. न्यायिक संवेदनशीलता और समन्वय: पुलिस, अभियोजन पक्ष, चिकित्सा अधिकारियों और न्यायपालिका के बीच प्रभावी समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि मामले में प्रक्रियागत देरी न हो। न्यायाधीश ने मामले को प्राथमिकता दी और रोजाना सुनवाई की अनुमति दी।

निष्कर्ष

इटावा के एकदिल का मामला बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन में एक मानक स्थापित करता है और नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। त्वरित दोषसिद्धि और कठोर सजा ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधियों को एक मजबूत निवारक संदेश भेजती है।

इस मामले को पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों और कानूनी पेशेवरों द्वारा एक सफलता की कहानी के रूप में प्रलेखित और अध्ययन किया जाना चाहिए, जहां प्रक्रियात्मक अखंडता, अंतर-एजेंसी समन्वय, पीड़ित संवेदनशीलता और न्यायिक संकल्प को सुदृढ़ बनाता है।

वृत्तांत संख्या-47 : उत्तराखंड

शीर्षक: *ग्रह-भेदन का पर्दाफाश: बीएनएस-2023 के तहत केवल 114 दिनों में त्वरित सजा*

देहरादून में 7 नवंबर 2024 को एक घर में चोरी हुई जिसमें ₹9,000 और एक मोबाइल फोन चोरी हो गया। पुलिस ने कुछ ही दिनों में संदिग्ध की पहचान कर ली, चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली और 5 जनवरी 2025 तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके तुरंत बाद आरोप तय कर दिए गए। 28 फरवरी 2025 को, एफआईआर दर्ज होने के 114 दिन बाद, आरोपी को दोषी ठहराया गया और उसे पहले से ही काटी गई सजा सुनाई गई, साथ ही ₹3,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बीएनएसएस, 2023 प्रक्रियात्मक अनुशासन के साथ जवाबदेही को मजबूत करते हुए छोटे संपत्ति अपराधों के त्वरित समाधान को सक्षम बनाता है।

परिचय:

देहरादून के सुंदर शहर में, एक शांत आवासीय चोरी आसानी से नियमित पुलिस फाइलों के बीच खो सकती थी। इसके बजाय, यह मामला इस बात का एक मॉडल बन गया कि कैसे त्वरित पुलिस कार्रवाई, फोरेंसिक पूर्णता और न्यायिक दक्षता बीएनएस, 2023 के तहत छोटे संपत्ति अपराधों को तेजी से बंद कर सकती है।

घटना:

7 नवंबर 2024 को, एक अज्ञात व्यक्ति ने ₹9,000 नकद और एक मोबाइल फोन चोरी करते हुए एक निवास में सेंध लगाई। पीड़ितों ने तुरंत अपराध की सूचना दी और धारा 305 (ए) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रक्रिया:

पुलिस जांचकर्ताओं ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पड़ोस की खुफिया जानकारी का उपयोग करके तुरंत आरोपी की पहचान की और कुछ ही दिनों के भीतर उसे ट्रैक कर लिया। चोरी का सामान पूरी तरह से बरामद कर लिया गया है। विस्तृत जब्ती मेमो तैयार किए गए, फोरेंसिक तस्वीरें ली गईं, और गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिससे एक व्यापक साक्ष्य आधार सुनिश्चित हुआ। बीएनएसएस, 2023 के तहत प्रक्रियात्मक समयसीमा के बाद, 5 जनवरी 2025 को 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आरोप तय और परीक्षण प्रक्रिया:

चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद आरोप तय किए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बिना किसी देरी के

सुनवाई शुरू की। गवाहों, जब्ती अधिकारियों और वसूली दस्तावेज क्रमिक रूप से प्रस्तुत किए गए, जिससे परीक्षण निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।

दोषसिद्धि और सजा:

28 फरवरी 2025 को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने के 114 दिन बाद अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी ठहराया गया और पहले से ही जेल में गुजार चुके समय की सजा सुनाई, साथ ही ₹3,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

निष्कर्ष:

चार महीने से भी कम समय में, इस संपत्ति अपराध की पूरी तरह से जांच, कोशिश और निष्कर्ष निकाला गया, जो दक्षता और गंभीरता को रेखांकित करता है कि बीएनएस, 2023 मामूली आपराधिक मामलों में भी तेजी लाता है। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बीच निर्बाध समन्वय सभी स्तरों पर फास्ट-ट्रैक न्याय के लिए भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

वृत्तांत संख्या-48 : उत्तराखंड

शीर्षक: *बीएनएस, 2023 और शस्त्र अधिनियम के तहत उत्तराखंड में अवैध हथियार रखने के लिए त्वरित सजा*

9 अगस्त 2024 को बागेश्वर जिले में पुलिस ने संजय उर्फ संजू के पास से खुखरी बरामद की। आर्म्स एक्ट और बीएनएस, 2023 की धारा 351(2) और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 8 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई, 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और 21 अक्टूबर 2024 को सजा सुनाई गई। संजय को कई आरोपों में छह महीने की कैद और ₹12,000 का जुर्माना लगाया गया। यह मामला दर्शाता है कि कैसे बीएनएस, 2023 हथियारों से संबंधित अपराधों के लिए भी त्वरित सजा सुनिश्चित करता है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में कानून का शासन मजबूत होता है।

परिचय:

उत्तराखंड का यह मामला शस्त्र अधिनियम और नए बीएनएस, 2023 दोनों के तहत अवैध हथियार रखने के लिए दोषसिद्धि हासिल करने में आपराधिक न्याय प्रणाली की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई को प्रदर्शित करता है। तेजी से जांच और परीक्षण के कारण घटना के कुछ महीनों के भीतर एक निर्णय हुआ।

घटना:

9 अगस्त, 2024 की रात को आरोपी *संजय* उर्फ *संजू* उम्र 25 साल के पास से खुखरी अवैध रूप से मिली। इस खोज के बाद, पुलिस स्टेशन झरौली, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड में शस्त्र अधिनियम की धारा 4, 25 और बीएनएस, 2023 की धारा 351 (2), 352 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच प्रगति:

अवैध हथियार के साथ पाए जाने पर, *संजय* को तुरंत 9 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, और एफआईआर दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर 8 सितंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी गई।

परीक्षण और दोषसिद्धि:

कानूनी कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ी। 21 सितंबर, 2024 को विचारण न्यायालय ने आरोपियों के

खिलाफ आरोप तय किए। एक महीने से भी कम समय के बाद, 21 अक्टूबर, 2024 को, आरोपी को शस्त्र अधिनियम और बीएनएस, 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत अवैध हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि में शस्त्र अधिनियम और बीएनएस, 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप शामिल थे, जिससे निम्नलिखित दंड हुए: धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत छह महीने का साधारण कारावास और ₹5,000 का जुर्माना; धारा 351 (2) बीएनएस के तहत छह महीने का साधारण कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना; और धारा 352 बीएनएस के तहत छह महीने का साधारण कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना।

निष्कर्ष:

यह मामला उत्तराखंड में नए बीएनएस, 2023 और मौजूदा शस्त्र अधिनियम के तहत न्याय वितरण की त्वरित प्रकृति पर प्रकाश डालता है। त्वरित गिरफ्तारी, समय पर चार्जशीट दाखिल करना और त्वरित सुनवाई प्रक्रिया, जिसकी परिणति घटना के केवल दो महीने के भीतर दोषसिद्धि और सजा के रूप में हुई, कानून और व्यवस्था को कुशलतापूर्वक लागू करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

वृत्तांत संख्या 49 : पश्चिम बंगाल

शीर्षक: 62 दिनों में न्याय: जॉयनगर में एक फोरेंसिक सफलता

पश्चिम बंगाल के जयनगर में 4 अक्टूबर 2024 को 9 वर्षीय लड़की के लापता होने और उसकी नृशंस हत्या से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। अगली सुबह उसका शव मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। 7 अक्टूबर को 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया और डीएनए, डिजिटल फोरेंसिक, सीडीआर विश्लेषण और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित फोरेंसिक साक्ष्य ने निर्णायक रूप से 19 वर्षीय हुसैन सरदार की ओर इशारा किया। बीएनएस, 2023 की धारा 64, 66 और 103(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया। 5 नवंबर को फास्ट-ट्रैक ट्रायल शुरू हुआ और 6 दिसंबर तक - अपराध से सिर्फ 62 दिन बाद - अदालत ने इसे 'दुर्लभतम' मामला मानते हुए मौत की सजा सुनाई। यह मामला नए आपराधिक कानूनों के तहत वैज्ञानिक जांच, पीड़ित-केंद्रित न्याय और कुशल कानूनी समन्वय के लिए राष्ट्रीय मानक के रूप में खड़ा है।

4 अक्टूबर, 2024 को पश्चिम बंगाल का शांत शहर जॉयनगर 9 साल की बच्ची के लापता होने से हिल गया था। 24 घंटे के भीतर, उसका शव कुल्ताली में एक पुलिस चौकी के पास पाया गया, जिससे दक्षिण 24 परगना जिले में सदमे की लहर दौड़ गई। न्यायिक दक्षता, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया और फोरेंसिक उत्कृष्टता का असाधारण प्रदर्शन, केवल 62 दिनों में मौत की सजा का समापन सुनिश्चित किया गया जो आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास में एक असामान्य उपलब्धि है।

अपराध और आक्रोश

पीड़िता अपने घर के पास खेलते समय लापता हो गई थी। उसका अचानक गायब हो जाना हैरान करने वाला था। जॉयनगर थाने में परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगली सुबह एक सुनसान इलाके में उसके शव पाये जाने पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और तत्काल कार्रवाई की मांग शुरू हुई। जनता में काफी आक्रोश था और पुलिस काफी दबाव में थी।

विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन

जनता के आक्रोश का जवाब देते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 अक्टूबर, 2024 को सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में अनुभवी जांचकर्ता, फोरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विश्लेषक और कानूनी सलाहकार शामिल थे, जो फास्ट-ट्रैक त्रुटिरहित जांच के लिए जिम्मेदार

थे। टीम जल्द ही अंतविषय समन्वय के माध्यम से न्याय के समय पर वितरण के लिए एक प्रतिमान के रूप में खुद को स्थापित करेगी।

फोरेंसिक और वैज्ञानिक तरीके: मामले की आधारशिला

शुरुआत से ही फोरेंसिक साक्ष्य जांच के केंद्र में थे। अपराध स्थल को बंद कर दिया गया था, और फोरेंसिक वैज्ञानिकों की देखरेख में एक वैज्ञानिक अपराध दृश्य पुनर्निर्माण किया गया था। घटनाओं के अनुक्रम के पुनर्निर्माण के लिए कई फोरेंसिक विषयों को नियोजित किया गया था।

डीएनए प्रोफाइलिंग: पीड़ित के शरीर से स्वैब को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) भेजा गया था। जैविक नमूनों से निकाले गए डीएनए का मिलान उसी इलाके के निवासी 19 वर्षीय संदिग्ध हुसैन सरदार से हुआ। इस अकाट्य साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले की रीढ़ बनाई।

डिजिटल फोरेंसिक: एसआईटी ने आसपास की दुकानों और घरों से सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। हालांकि पक्षपातपूर्ण, फुटेज में पीड़ित को हुसैन के विवरण के अनुरूप एक युवक द्वारा फुसलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टावरों के स्थान डेटा ने घटना के अनुमानित समय पर संदिग्ध को अपराध स्थल के पास रखा।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) विश्लेषण:

संदिग्ध के फोन रिकॉर्ड के विश्लेषण से अपराध से कुछ समय पहले और बाद में असामान्य आंदोलन और संदिग्ध संचार पैटर्न का पता चला। इस डेटा ने गवाहों के बयानों की पुष्टि की और एक समयरेखा स्थापित करने में मदद की।

पॉलीग्राफ और नार्को-विश्लेषण:

आरोपी का अदालत की अनुमति से पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें प्रमुख सवालों पर धोखे का खुलासा हुआ। हालांकि, पॉलीग्राफ परीक्षण के परिणाम प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में शुद्ध स्वीकार्य हैं, उन्होंने पूछताछ की दिशा का मार्गदर्शन करने में मदद की और संदिग्ध के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी की।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच:

पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण यौन उत्पीड़न और गला घोंटना बताया गया है। चोटों की प्रकृति और मौत का समय फोरेंसिक जांचकर्ताओं द्वारा स्थापित समयरेखा के अनुरूप था, जिससे मामले को और मजबूत किया गया।

चार्जशीट दाखिल करना

एसआईटी ने वैज्ञानिक सबूतों के तेजी से संग्रह और सत्यापन के कारण अपराध के 25 दिनों के ठीक बाद 30 अक्टूबर, 2024 को एक विस्तृत चार्जशीट प्रस्तुत की। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ धारा 64, 66 और 103(1) के तहत आरोप तय किए गए थे, ताकि नाबालिग के गंभीर यौन हमले और हत्या के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।

शीघ्र परीक्षण

बरुईपुर में पॉक्सो अदालत ने 5 नवंबर, 2024 को मुकदमे की कार्यवाही शुरू की। अभियोजन पक्ष ने निर्णायक साक्ष्य पहले प्रस्तुत किए, जिसे फोरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञ गवाहों, पुलिस अधिकारियों और डिजिटल विश्लेषकों द्वारा समर्थित किया गया

था। बचाव पक्ष सम्मोहक वैज्ञानिक प्रमाण को बदनाम करने में असमर्थ था।

21 दिनों के दौरान, अदालत ने 24 गवाहों की जांच की, जिसमें फोरेंसिक रोगविज्ञानी, अपराध दृश्य जांचकर्ता और साइबर अपराध विश्लेषक शामिल थे। अभियोजन पक्ष के तर्क को मामले की वैज्ञानिक विश्वसनीयता और अपराध की भयानक प्रकृति से रेखांकित किया गया था।

फैसला: एक ऐतिहासिक फैसला

6 दिसंबर, 2024 को, अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' उदाहरण के रूप में योग्य बनाया गया हुसैन सरदार को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था और धारा 65 बीएनएस के तहत पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें धारा 140 (i) के तहत लगाए गए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। साथ ही बीएनएस की धारा 60 और 238 के तहत जुर्माने के साथ अतिरिक्त सात साल की सजा सुनाई गई।

अपराध की तारीख से रिकॉर्ड-ब्रेकिंग 62 दिनों में फैसला सुनाया गया, जिसने वैज्ञानिक और तकनीकी सटीकता के माध्यम से समय पर न्याय का एक उदाहरण स्थापित किया।

प्रभाव और विरासत

जयनगर मामले ने एक मिसाल कायम की है कि कैसे आधुनिक फोरेंसिक उपकरणों को आपराधिक जांच में एकीकृत किया जा सकता है। इसने कई प्रमुख सफलता कारकों पर प्रकाश डाला:

- पुलिस, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, साइबर विशेषज्ञों और अभियोजकों के बीच बहु-एजेंसी समन्वय।
- एक समर्पित एसआईटी द्वारा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
- बीएनएस, 2023 और पॉक्सो अधिनियम के तहत नवीनतम आपराधिक कानून प्रावधानों का उपयोग
- सार्वजनिक विश्वास और पारदर्शिता, जिसे नियमित संचार और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से बनाए रखा गया था।

इस मामले को स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया था और इसकी व्यावसायिकता और गति के लिए प्रशंसा की गई थी। इसने आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत किया और भविष्य की जांच के लिए एक प्रतिकृति मॉडल की पेशकश की।

निष्कर्ष:-

जयनगर बलात्कार और हत्या मामला केवल एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान, प्रतिबद्धता और संस्थागत तालमेल कैसे त्वरित और निश्चित न्याय ला सकता है, इसकी कहानी है।

वृत्तांत संख्या-50 : पश्चिम बंगाल

शीर्षक: *कैसे फोरेंसिक परिशुद्धता और सीबीआई के अन्वेषण कुशलता ने आरजी कर त्रासदी को हल किया*

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या ने कोलकाता को हिलाकर रख दिया। सीबीआई की एएसपी सीमा पाहुजा ने डीएनए, सीसीटीवी और मोबाइल डेटा सहित बहुस्तरीय फोरेंसिक विधियों का उपयोग करके एक अनुकरणीय जांच का नेतृत्व किया, जिससे नागरिक स्वयंसेवक विजय रॉय को दोषी ठहराया गया। 300 से अधिक साक्ष्यों के आधार पर चलाए गए मुकदमे का समापन बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषसिद्धि के साथ हुआ। न्यायाधीश ने न्याय सुनिश्चित करने में विज्ञान और ईमानदारी की भूमिका की सराहना की।

"विज्ञान की आवाज़ मौन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यही वह विश्वास है जिसने सीबीआई की एएसपी सीमा पाहुजा को हाल के दिनों के सबसे जटिल और भावनात्मक रूप से परेशान करने वाले मामलों में से एक में निर्देशित किया – 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता में एक युवा स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या।

राष्ट्र सदमे और दुख के लिए जाग गया। तारीख, 9 अगस्त, इतिहास में एक गंभीर अनुस्मारक रखती है: 1945 में नागासाकी। 2024 में, यह फिर से गूंज उठा, इस बार एक क्रूर अपराध के भूतिया प्रतीक के रूप में जिसने ड्यूटी के दौरान एक होनहार डॉक्टर के जीवन का दावा किया। लेकिन इस मामले में, न्याय ने इतिहास के खुद को दोहराने का इंतजार नहीं किया। यह सावधानीपूर्वक फोरेंसिक विज्ञान और एक दृढ़ जांच के माध्यम से तेजी से किया गया था।

अपराध जिसने एक परिसर को हिला दिया

पीड़िता, चेस्ट मेडिसिन विभाग में एक युवा डॉक्टर, 8 अगस्त, 2024 की रात को अपनी ड्यूटी पर लौट आई थी। उसकी मां ने रात 11:15 बजे उससे आखिरी बात की। अगली सुबह तक, वह अपने ही विभाग के सेमिनार रूम में एक गद्दे पर बेजान, अर्ध-नग्न, खून से लथपथ और यौन उत्पीड़न के निशान वाली पाई गई।

शुरुआती भ्रम और स्थानीय पुलिस के गलत कदमों ने सार्वजनिक आक्रोश को प्रेरित किया। राज्य सरकार ने आनन-फानन में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। तथापि, जैसे-जैसे मामले की गंभीरता गहराती गई, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

संकल्प की महिला: एएसपी सीमा पाहूजा की एंट्री

एएसपी सीमा पाहुजा, फोरेंसिक विवरण के लिए गहरी नजर और पीड़ित परिवार के न्याय के लिए गहरी सहानुभूति के अनुभव के साथ एएसपी सीमा पाहुजा ने कार्यभार संभाला। उनका पहला कदम प्रारंभिक जांच के विकार को विघटित करना और ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तथ्यों का पुनर्निर्माण करना था।

अभिरक्षा की एक पूरी श्रृंखला फिर से स्थापित की गई थी। श्रीमती पाहूजा ने सुनिश्चित किया कि अपराध स्थल से कपड़े, खून से सने बिस्तर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सबूतों को सील कर दिया जाए और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), कोलकाता और एम्स कल्याणी को पुर्नजाँच के लिए भेजा जाए। जब्ती मेमो, हैश मान और डिजिटल ट्रेल्स सावधानीपूर्वक लॉग किए गए थे।

विज्ञान मार्ग प्रशस्त करता है

एफएसएल टीमों ने डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग करके योनि स्वैब, कपड़ों के फाइबर, जघन बाल और रक्त के नमूनों की जांच की। डीएनए रिपोर्ट एक निर्णायक मोड़ बन गई, जिसने आरोपी विजय रॉय, जो अस्पताल में तैनात एक नागरिक स्वयंसेवक था, को अपराध से जोड़ा।

जिस चीज ने मामले को महत्वपूर्ण बना दिया, वह बहुस्तरीय फोरेंसिक सहयोग था:

- एफएसएल विशेषज्ञों द्वारा अपराध दृश्य पुनर्निर्माण को डिजिटल फोटोग्राफी, स्केच मैप और सेमिनार रूम के 3 डी विज़ुअलाइज़ेशन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
- कई अस्पताल कोणों से सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, हैश किया गया, और महत्वपूर्ण घंटों में आरोपी की गतिविधि को पुनःनिर्मित करने के लिए समन्वित किया गया।
- मोबाइल टावर डेटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में विजय रॉय को घटनास्थल पर पाया गया, जिससे उनकी गुनहगारी की पड़ताल हुई।

महत्वपूर्ण रूप से, एएसपी सीमा पाहूजा ने एम्स, नई दिल्ली सहित कई एफएमटी विशेषज्ञों से विशेषज्ञ राय ली, चोट के पैटर्न, मौत का कारण, और क्या मौत आत्महत्या की फांसी से हो सकती है (जैसा कि आरोपी ने शुरू में सुझाव दिया था) को मान्य करने के लिए। सभी फोरेंसिक राय एक ही निष्कर्ष की ओर परिवर्तित हो गए, यौन हमले के साथ हत्या।

चुप्पी तोड़ना

एएसपी सीमा पाहूजा की पूछताछ तकनीक, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के साथ व्यवहार विश्लेषण के संयोजन ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। विजय रॉय न केवल निरंतर पूछताछ के दौरान टूट गया, बल्कि उनके आंशिक रूप से मिटाए गए फोन डेटा और सोशल मीडिया इंटरैक्शन ने उसके उद्देश्यों और पीड़िता की दिनचर्या के साथ पूर्व परिचितता का भी खुलासा किया।

सीमा पाहूजा प्राथमिक आरोपों से परे विस्तारित खोज में प्रयासरत रहीं। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल और स्थानीय पुलिस अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया. उन्होंने श्मशान प्रमाण पत्र, अस्पताल ड्यूटी रोस्टर, मुर्दाघर रिकॉर्ड, प्राप्त किए और यहां तक कि हाउसकीपिंग और सुरक्षा कर्मचारियों से जो पहले बोलने से बहुत डरते थे, प्रत्यक्षदर्शी गवाही भी प्राप्त की।

न्याय दिया

परीक्षण कड़ी सुरक्षा के बीच, इन-कैमरा और फास्ट-ट्रैक के तहत शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने 50 गवाहों और 300 वैज्ञानिक दस्तावेजों सहित 40 से अधिक प्रर्दशः से लैस होकर एक मजबूत मामला प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने समयसीमा को कमजोर करने और सबूतों की अखंडता पर सवाल उठाने का प्रयास किया। लेकिन फोरेंसिक स्थिरता दृढ़ रही।

अदालत ने विजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपने फैसले में, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास (ने कहा,) "यह न्यायालय संपूर्ण फोरेंसिक पद्धति और वैज्ञानिक ईमानदारी की सराहना करता है जिसके साथ एएसपी सीमा पाहूजा ने जांच का नेतृत्व किया था। विज्ञान ने साबित कर दिया जो शब्द नहीं कर सकते। न्याय सिर्फ किया नहीं गया था - यह सबूतों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था।

जांचकर्ताओं के लिए एक रोल मॉडल

इस मामले ने मेडिको-लीगल सहयोग, समय पर फोरेंसिक प्रतिक्रिया और सम्मानजनक पीड़ित-केन्द्रीत जांच के लिए नए मानक स्थापित किए। एएसपी सीमा पाहूजा के लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं था। यह युवा डॉक्टर के जीवन को उस न्याय के साथ सम्मानित करने का एक मिशन था जिसकी वह हकदार थी।

यह मामला वैज्ञानिक तकनीक, पुलिस कुशलता एवं प्रक्रियात्मक अखंडता द्वारा न्याय को प्रदर्शित करता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय , भारत सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037
फोन 011-26734889, 26782012 (फैक्स)

@BPRDindia officialBPRDindia bprdindia @bureauofpoliceresearchdeve7705 bprd.nic.in